

तीसरी THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2011-2012

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पिठत अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च March, 2012

परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरा बैच, 2011-2012

वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के तीसरे बैच में 78 अनुदान और 3 विनियोग शामिल हैं। ₹ 4,30,228.64 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि ₹ 42,605.78 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय के तकनीकी पूरक प्रस्तावों की राशि ₹ 3,87,621.79 करोड़ है। इसके अलावा, 107 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

निवल नगद व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नलिखित हैं

17. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(क) खाद्य सब्सिडी (₹ 9,988.58 करोड़) और

(ख) नाबार्ड (₹ 5.01 करोड़) के माध्यम से सहकारी

INTRODUCTORY NOTE

Subject: Third Batch of Supplementary Demands for

Grants, 2011-2012.

The third batch of Supplementary Demands for Grants for 2011-2012 includes 78 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹4,30,228.64 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 42,605.78 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 3,87,621.79 crore. Besides, token provision of ₹ 107 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total	
कृषि मंत्रालय 2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	MINISTRY OF AGRICULTURE 2 Department of Agricultural Research and Education				
(i) कृषि विस्तार (₹ 132.69 करोड़), (ii) कृषि, शिक्षा (₹ 1 करोड़), (iii) केरल पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, केरल ((₹ 50 करोड़), (iv) राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष परियोजना/विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं/स्कीम (₹ 14.70 करोड़), (v) अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹ 7.48 करोड़) तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के अन्तर्गत सम्बन्धित अन्य अनुदान (₹ 374.16 करोड़)।	For (a) Grants-in-aid General under the scheme (i) Agricultural Extension (₹ 132.69 crore), (ii) Agricultural Education (₹ 1 crore), (iii) Kerala Veterinary and Animal Sciences University, Kerala (₹ 50 crore), (iv) National Agricultural Innovation Project/Externally Aided Projects/Schemes (₹ 14.70 crore), (v) Other Natural Resource Management Institutes (₹ 7.48 crore), and (b) other Grants related expenditure under Agricultural Research and Education (₹ 374.16 crore).	50.00	-	50.00	
परमाणु ऊर्जा विभाग 5. नाभिकीय विद्युत योजनाएं बाह्य देशों से ईंधन की वर्द्धित परम्परागत आपूर्ति और अधिप्राप्ति पर व्यय ((₹ 312.44 करोड़) की पूर्ति हेतु।	 DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY Nuclear Power Schemes For meeting expenditure (₹ 312.44 crore) on increased indigenous supply and procurement of fuel from overseas countries. 	-	74.77	74.77	
रासायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS				
7. उर्वरक विभाग (क) आयातित उर्वरक (₹ 200 करोड़) (ख) आयातित विनियंत्रित उर्वरक (₹ 3,501.07 करोड़) (ग) स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरक (₹ 400 करोड़) और (घ) स्वदेशी उर्वरक (₹ 3,100 करोड़)।	7 Department of Fertilisers For subsidy on (a) imported fertilisers (₹ 200 crore), (b) imported decontrolled fertilisers	-	7,201.07	7,201.07	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,				

FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

For (a) providing Food Subsidy (₹ 9,988.58

crore), and (b) subsidies for interest

17 Department of Food and Public

Distribution

			रोड़ रुपए Rupee.	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total
चीनी मिल को ब्याज सहायता के लिए सब्सिडी हेतु।	subvention to Cooperative Sugar Mills through NABARD (₹ 5.01 crore).	-	9,858.57	9,858.57
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
9. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) (i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अतिरिक्त	(a) For (i) additional expenditure (₹ 5			
व्यय (₹ 5 करोड़), (ii) सामान्य सहायता	crore) for Archaeological Survey of			
अनुदान (1) क्षेत्रीय संस्कृति केन्द्र (₹ 0.40	India, (ii) Grants-in-aid General (1) to			
करोड़), (2) राष्ट्रीय संस्कृति निधि (₹ 0.45	Zonal Cultural Centres (₹ 0.40 crore),			
करोड़) और (3) सांस्कृतिक विरासत स्वयं	(2) to National Cultural Fund (₹ 0.45			
सेवक योजना (₹ 0.50 करोड़)	crore), and (3) under 'Cultural Heritage			
	Volunteers Scheme' (₹ 0.50 crore).	5.00	-	5.00
(ख) 'गुरु -ता-गद्दी की त्रि-शताब्दी समारोह' के	(b) For Grants-in-aid General under the			
अवसर पर योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता	scheme 'Commemoration of			
अनुदान हेतु।	Tercentenary of Guru-ta-Gaddi'.	-	20.00	20.00
क्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
o रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
(क) वेतन और अन्य स्थापना संबंधी व्यय के खाते	For (a) meeting additional expenditure on			
पर अतिरिक्त व्यय (i) तटरक्षक संगठन (₹50.27	account of salaries and other establishment			
करोड़), (ii) सचिवालय (₹20.97 करोड़), जम्मू	related expenditure of (i) Coast Guard			
और कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री (₹60 करोड़) और	Organisation (₹ 50.27 crore), (ii) Secretariat			
(ख) रक्षा संपदा संगठन कार्यालय भवनों का रखरखाव	(₹ 20.97 crore), (iii) Jammu and Kashmir			
(₹0.98 करोड़) को पूरा करना।	Light Infantry (₹ 60 crore), and (b)			
	maintenance of office buildings (₹ 0.98 crore) of Defence Estates Organisation.		116.03	116.03
2 रक्षा सेवाएं - थल सेना	22 Defence Services-Army	-	110.03	110.03
(क) न्यायालय के आदेश के कारण (₹3.65	For meeting additional expenditure (a)			
करोड़) और (ख) वेतन, कार्य पूर्व सेवा कर्मियों की	arising out of Court's order(₹ 3.65 crore),			
अंशदायी स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय राइफल्स आदि	and (b) on account of salaries, works,			
(₹3,412.07 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा	ex-servicemen contributory health scheme,			
करना।	Rashtriya Rifles, etc. (₹ 3,412.07 crore).	-	356.72	356.72
3 रक्षा सेवाएं - नौ सेना	23 Defence Services-Navy			
मुख्यतया वेतन, मरम्मतों और पुनर्निर्माण, पाइरेसी	For meeting additional expenditure			
प्रतिरोधी और तटीय सुरक्षा प्रचालनों के अंतर्गत	(₹ 752.76 crore) mainly under salaries,			
अतिरिक्त व्यय (₹ 752.76 करोड़) को पूरा करना।	repairs and refits, anti-piracy and coastal			
	security operations.	-	513.90	513.90
4 रक्षा सेवाएं - वायु सेना	24 Defence Services-Air Force			
(क) न्यायालय आदेशों के कारण (₹1.09 करोड़), और (ख) (i) वेतनों (₹15 करोड़), (ii) परिवहन	For meeting additional expenditure (a)			
(₹25.26 करोड़) और (iii) वीवीआईपी यात्रा हेतु	arising out of Court's order (₹ 1.09 crore), and (b) towards (i) salaries (₹ 15 crore), (ii)			
वायु यानों के रख-रखाव संबंधी लागत के कारण	transportation (₹ 25.26 crore), and (iii)			
एयर-इंडिया (₹108.98 करोड़) को भुगतान के	payment to Air India (₹ 108.98 crore) on			
कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	account of maintenance cost of Aircraft for			
٥	VVIP travel.	-	123.87	123.87
5 रक्षा आयुध निर्माणी	25 Defence Ordnance Factories			
(क) कोर्ट आदेशों के कारण (₹8.50 करोड़) और	For meeting additional expenditure (a)			
(ख) उपरि भत्तों और बकाया (₹858.93 करोड़)	arising out of Court orders (₹ 8.50 crore),			
के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	and (b) towards payment of Overtime			
	allowances and arrears thereof (₹ 858.93			
	crore).	-	818.26	818.26
वेदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
1 विदेश मंत्रालय	31 Ministry of External Affairs			
स्टैंडबाय ऋण सुविधा हेतु मालदीव को सहायता	For providing aid to Maldives for Standby			
मुहैया कराना।	Credit Facility.	-	100.00	100.00

				आयोजना	रोड़ रुपए Rupe आयोजना-भिन	
अनुव	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	
	वित्त मंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE			
24	विनियोग - ब्याज भुगतान		Appropriation-Interest Payments			
•		34				
	(क) बाजार ऋण (₹6,323.75 करोड़), (ख) नकदी		For meeting additional expenditure under			
	प्रबंधन हुंडियों पर छूट (₹1,010.88) करोड़) (ग)		(a) Market loans (₹ 6,323.75 crore), (b)			
	91-दिवसों राजकोषीय हुंडियों (₹3,734.26 करोड़)		Discount on Cash Management Bills			
	(घ) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (₹2,026.10		(₹1,010.88 crore), (c) 91 days Treasury Bills			
	करोड़) (ड) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों पर		(₹ 3,734.26 crore), (d) 182 days Treasury			
	छूट (₹3,090.83 करोड़) (च) अर्थोपाय अग्रिम		Bills (₹ 2,026.10 crore), (e) Discount on 364			
	(₹1,258.50 करोड़) (छ) राज्य भविष्य निधि					
	, , , ,		days Treasury Bills (₹ 3,090.83 crore), (f)			
	(₹412.36 करोड़) (ज) विशेष जमा (₹101.87		Ways and Means Advance (₹ 1,258.50			
	करोड़) (झ) विदेशी ऋण (₹35.73 करोड़) (ञ)		crore), (g) State Provident Funds (₹ 412.36			
	पीएलआई को जारी प्रतिभूतियां (562.80 करोड़)।		crore), (h) Special Deposits (₹ 101.87 crore),			
	-		(i) External Debt (₹ 35.73 crore), and (j)			
			Securities issued to PLI (₹ 562.80 crore).	_	7,631.53	7,631.53
20	व्यय विभाग	20	Department of Expenditure		7,031.33	7,031.33
30		30	-			
	(क) लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के नए भवन		(a) For meeting additional expenditure			
	निर्माण से संबंधित संविदा कर्मचारियों और		towards making payment to contractual			
	व्यय के भुगतान में किए गए अतिरिक्त व्यय		staff and expenses related to new			
	को पूरा करना।		accommodation of Office of Controller			
			General of Accounts.	_	0.67	0.67
	(ख) नई पेंशन योजना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा		(b) For meeting the additional expenditure			
	निक्षेपागार लिमिटेड को सेवा प्रभारों के भुगतान		(₹ 8.95 crore) towards payment of			
	के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु		service charges to National Security			
	(₹8.95 करोड़)।		Depository Limited for the New Pension			
			Scheme.	-	7.43	7.43
40	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा विभाग	40	Indian Audit and Accounts Department			
	अतिरिक्त वेतन और स्थापना संबंधी व्यय (₹17.09		For meeting additional salary and			
	करोड़) को पूरा करना।		establishment related expenditure (₹ 17.09			
	,		crore).	_	9.56	9.56
			crore).		7.50	7.50
-	मंत्रालय		NISTRY OF HOME AFFAIRS			
53	मंत्रिमंडल	53				
	(क) विदेश यात्रा व्यय (₹ 8.65 करोड़), (ख)		For (a) meeting additional expenditure			
	वीवीआईपी यात्रा हेतु प्रयुक्त वायुयान के		under Foreign Travel Expenses (₹ 8.65			
	रख-रखाव लागत का भुगतान (₹181.64 करोड़)		crore), (b) payment of maintenance cost of			
	और (ग) सब्सिडी दावा हेतु उत्तर रेलवे कैटरिंग		aircraft utilised for VVIP travel (₹ 181.64			
	यूनिट को संवितरण (₹ 0.40 करोड़ रुपए)।		crore), and (c) reimbursement to the			
	यूगिट यम सायरास्य (र 0.40 यमाञ् रवर्)।					
			Northern Railway Catering Unit for		100.60	100.60
			subsidy claim (₹ 0.40 crore).	-	190.69	190.69
मान	व संसाधन विकास मंत्रालय	Ml	INISTRY OF HUMAN RESOURCE			
			DEVELOPMENT			
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	58	Department of School Education and			
	3		Literacy			
	(क) राष्ट्रीय बाल भवन (₹0.20 करोड़), (ख)		For Grants-in-aid towards salary expenditure			
	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्		to (a) National Bal Bhawan			
	(₹53.05 करोड़), (ग) नवोदय विद्यालय समिति		(₹ 0.20 crore), (b) National Council of			
	(₹13.10 करोड़) (घ) तिब्बती शरणार्थी बच्चों को					
			Educational Research and Training (₹ 53.05			
	शैक्षिक सुविधाएं (₹3.65 करोड़)।		crore), (c) Navodaya Vidyalaya Samiti			
			(₹ 13.10 crore), and (d) Educational Facilities			
			to Tibetan Refugee Children (₹ 3.65 crore).	-	69.99	69.99
विहि	ो एवं न्याय मंत्रालय	М	NISTRY OF LAW AND JUSTICE			
	विनियोग - भारत का उच्चतम न्यायालय		Appropriation-Supreme Court of India			
J#	वेतन और अन्य स्थापना व प्रशासनिक व्यय को	U 1				
			For meeting, salary and other establishment		17.50	17.50
	पूरा करना।		and administrative expenditure.	-	17.53	17.53

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
73 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री के कारण तेल विपणन कम्पनियों के कम अनुमानित वसूलियों के संबंध में क्षतिपूर्ति को उपलब्ध कराना (₹ 15,000 करोड़ रुपए)।	73 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing compensation towards estimated under-recoveries to Oil Marketing Companies on account of sale of petroleum products (₹ 15,000 crore).	-	14,838.11 14	,838.11
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
77 लोक सभा अतिरिक्त वेतन व्यय को पूरा करना और उत्तर रेलवे के सब्सिडी दावे को भी बढ़ाया जाना।	77 Lok Sabha For meeting additional salary expenditure and also increased subsidy claim of Northern Railway.	_	11.00	11.00
78 राज्य सभा अतिरिक्त वेतन व्यय को पूरा करना और उत्तर रेलवे के सब्सिडी दावे को भी बढ़ाया जाना।	78 Rajya Sabha For meeting additional salary expenditure and also increased subsidy claim of Northern Railway.	-	33.02	33.02
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND			
81 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	HIGHWAYS 81 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि (₹ 600 करोड़) को योजना अंतरण के अंतर्गत अंतर खाता अंतरण (ख) केन्द्रीय सड़क निधि (₹ 176.82 करोड़) को अंतरण संबंधी व्यय को पूरा करना।	For meeting expenditure (a) on Inter Account Transfer under the scheme Transfer to National Highways Permanent Bridges Fee Fund (₹ 600 crore), and (b) on transfer to the Central Road Fund (₹ 176.82 crore).	176.82	-	176.82
वस्त्र मंत्रालय (क) समन्वित हैन्डलूम विकास योजना के अन्तर्गत नए निगमित घटक का क्रियान्वयन (₹ 10 करोड़) (ख) हैन्डलूम सेक्टर हेतु कार्यक्षम, सुधार और पुनर्सरचना पैकेज का क्रियान्वयन (₹ 200 करोड़) और (ग) समन्वित हैन्डलूम विकास योजना के अंतर्गत व्यय संबंधी सहायता अनुदान (₹ 51.38 करोड़)।	MINISTRY OF TEXTILES 93 Ministry of Textiles For (a) implementation of newly incorporated component under Integrated Handloom Development Scheme (₹ 10 crore), (b) implementation of Revival, Reform and Restructuring Package for Handloom Sector (₹ 200 crore), and (c) Grants-in-aid related expenditure under Integrated Handloom Development Scheme (₹ 51.38 crore).	210.00	-	210.00
संघ शासित क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
97 चंडीगढ़ (क) अतिरिक्त वेतन व्यय (₹ 4.03 करोड़) (ख) होम गार्ड स्वयंसेवकों को दैनिक भत्तों का भुगतान (₹ 1 करोड़) और (ग) विद्युत के उपभोग में वृद्धि के कारण अधिक ऊर्जा की खरीद (₹ 69.97 करोड़)।	97 Chandigarh For (a) additional salary expenditure (₹ 4.03 crore), (b) payment of Daily Allowance to the Home Guard volunteers (₹ 1 crore), and (c) purchase of more Power due to increase in consumption of Electricity (₹ 69.97 crore).	-	75.00	75.00
शहरी विकास मंत्रालय 101 शहरी विकास विभाग (क) लेखा परीक्षा (₹ 8 करोड़), (ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण (₹ 2 करोड़) और (ग) लोक सभा/राज्य	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 101 Department of Urban Development For meeting additional expenditure on Major Works for (a) Audit (₹ 8 crore), (b)			

		आयोजना	<i>in Crore,</i> जोड़	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	Total
सभा (₹ 20 करोड़) हेतु प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। 102 लोक निर्माण (क) वेतन (₹47.97 करोड़), (ii) पट्टा प्रभार (₹13.87 करोड़) और (iii) अनुदान संबंधी व्यय (₹0.40 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	Personnel and Training (₹ 2 crore), and (c) Lok Sabha/Rajya Sabha (₹ 20 crore). 102 Public Works (a) For meeting additional expenditure on (i) Salaries (₹ 47.97 crore), (ii) Lease Charges (₹ 13.87 crore), and (iii) Grants related expenditure	-	10.00	10.00
(ख) प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (₹30.70	(iii) Grants related expenditure(₹ 0.40 crore).(b) For meeting additional expenditure	-	62.24	62.24
करोड़) की पूर्ति हेतु।	(₹ 30.70 crore) on Major Works.	-	24.00	24.00
कुल नगद व्यय	Total Cash Outgo	441.82	42,163.96 42	,605.78
3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में ₹3,87,621.79 करोड़ के तकनीकी पूरक अनुदानों/ विनियोगों के प्रभाव शामिल हैं, जिनकी पूर्ति मंत्रालयों/ विभागों को अतिरिक्त बचतों/वसूलियों या अनुवर्ती बचतों में से की जानी है। ये मदें इस प्रकार से हैं:	3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 3,87,621.79 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/ Departments. The items are as follows:			
तकनीकी पूरक अनुदानों की मांगों	Technical Supplementary Demands for grants			
परमाणु ऊर्जा विभाग 4. परमाणु ऊर्जा भाभा परमाणु ऊर्जा केन्द्र, मैसूर के रेयर सामग्री संयंत्र द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा। 5 नाभिकीय विद्युत योजना बाहरी देशों से ईंधन तथा वर्धित देशज आपूर्ति पर व्यय (₹312.44 करोड़) की पूर्ति हेतु।	 DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 4 Atomic Energy For meeting enhanced compensation for land acquired by Rare Material Plant, Bhabha Atomic Research Centre, Mysore. 5 Nuclear Power Schemes For meeting expenditure (₹ 312.44 crore) on increased indigenous supply and procurement of fuel from overseas countries. 	16.60	237.57	16.60 237.57
नागर विमानन मंत्रालय 9 नागर विमानन मंत्रालय हज चार्टर 2011 के प्रचालन लिए सब्सिडी (₹ 85 करोड़)।	MINISTRY OF CIVIL AVIATION 9 Ministry of Civil Aviation For subsidy (₹ 85 crore) for operation of Haj Charters, 2011.	-	9.77	9.77
कोयला मंत्रालय 10 कोयला मंत्रालय 'कोयला क्षेत्रों का अधिग्रहण' स्कीम के तहत भारतीय कोल इंडिया लि. की विविध अनुषंगी कम्पनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भू-मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF COAL 10 Ministry of Coal For meeting expenditure for payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited under the scheme "Acquisition of Coal Bearing Areas".	-	46.83	46.83
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	MINISTRY OF COMMERCE AND			
11 वाणिज्य विभाग उत्पाद विविधीकरण, फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण, पारम्परिक चाय विनिर्माण की स्थापना, लघु चाय उत्पादकों आदि को प्रशिक्षण देने व उनके प्रमाणन के लिए गुणवत्ता एवं उत्पाद विविधरूपण स्कीम (क्यूयूपीडीएस) को लागू करने हेतु टी-बोर्ड को सब्सिडी (₹41.15 करोड़) मुहैया कराना।	INDUSTRY 11 Department of Commerce For providing subsidy (₹41.15 crore) to Tea Board to implement the Quality and Product Diversification Scheme (QUPDS) for product diversification, modernisation of Factories, installation of Orthodox tea manufacturing, certification, training to Small Tea growers, etc.	30.22	_	30.22

		्रायोजना आयोजना	ज्रोड़ रुपए Rupee आयोजना-भिन	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	Non Plan	
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3 डाक विभाग (क) कोर्ट डिक्री के कारण होने वाले व्यय (0.86 करोड़) तथा (ख) वेतन (₹333.21 करोड़) तथा पेंशनों (₹102 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 13 Department of Posts For (a) meeting expenditure (₹ 0.86 crore) arising out of court decrees, and (b) meeting additional expenditure on salaries (₹ 333.21 crore) and pensions (₹ 102 crore).		240.91	240.9
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS			
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 17 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (क) खाद्य सब्सिडी (₹९,988.58 करोड़) मुहैया कराने (ख) नाबार्ड के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को ब्याज सहायता देने हेतु (₹5.01 करोड़)।	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 17 Department of Food and Public Distribution For (a) providing Food Subsidy (₹ 9,988.58 crore) and (b) subsidies for interess subvention to Cooperative Sugar Mills through NABARD (₹ 5.01 crore).		15.16	15.10
क्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय (i) तटरक्षक संगठन (₹50.27 करोड़), (ii) सचिवालय (₹20.97 करोड़), (iii) जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री (₹60 करोड़) और (ख) रक्षा सम्पदा संगठन के कार्यालय भवनों के रख-रखाव से सम्बन्धित वेतन एव अन्य संस्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	Por (a) meeting additional expenditure or account of salaries and other establishment related expenditure of (i) Coast Guard Organisation (₹ 50.27 crore) (ii) Secretariat (₹ 20.97 crore), (iii) Jammu and Kashmir Light Infantry (₹ 60 crore) and (b) maintenance of office buildings (₹ 0.98 crore) of Defence Estates			
21 रक्षा पेंशन सशस्त्र सेना ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेशों के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत्।	Organisation. 21 Defence Pensions For meeting additional expenditure arising out of orders awarded by Armed Forces		12.75	12.7
22 रक्षा सेवा - थल सेवा (क) न्यायालय के आदेश के अनुपालन के कारण (₹3.65 करोड़) तथा (ख) भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य स्कीम के वेतनों, कार्यों, तथा राष्ट्रीय रायफल आदि (₹3,412.07 करोड़) के अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति	Tribunal. 22 Defence Services-Army For meeting additional expenditure (a) arising out of Court's order (₹ 3.65 crore) and (b) on account of salaries, works ex-servicemen contributory health scheme	-	0.29	0.2
हेतु। २३ रक्षा सेवा - नौ सेना मुख्य रूप से, वेतनों, रिपेयर एंड रेफिट्स, पाइरेसी विरोधी और तटीय सुरक्षा कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹752.76 करोड़)।	Rashtriya Rifles, etc. (₹ 3,412.07 crore). 23 Defence Services-Navy For meeting additional expenditure (₹ 752.76 crore) mainly under salaries repairs and refits, anti-piracy and coastal accounts of the coastal accounts		3,059.00	3,059.0
24 रक्षा सेवा - वायु सेना (क) न्यायालय आदेश लागू करने (1.09 करोड़), तथा (ख) (i) वेतनों (₹15 करोड़), (ii) परिवहन (₹25.26 करोड़), और (iii) वीवीआईपी यात्राओं के लिए विमानों की मरम्मत हेतु लागत के रूप में एयर इंडिया को देय (₹108.98 करोड़) आदि सम्बन्धी अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति हेतु।	security operations. 24 Defence Services-Air Force For meeting additional expenditure (a) arising out of Court's order (₹ 1.09 crore) and (b) towards (i) salaries (₹ 15 crore), (ii) transportation (₹ 25.26 crore), and (iii) payment to Air India (₹ 108.98 crore) or account of maintenance cost of Aircraft for VVIP travel.		238.86 26.46	238.8
१5 रक्षा आयुध निर्माणी (क) न्यायालय आदेश (₹8.50 करोड़) तथा (ख) समयोपिर भत्ते तथा उसके बकायों के भुगतान के अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति हेतु (₹858.93 करोड़)।	25 Defence Ordnance Factories For meeting additional expenditure (a) arising out of Court orders (₹ 8.50 crore) and (b) towards payment of Overtime allowances and arrears thereof (₹ 858.93			
	crore).	_	49.17	49.1

			-2012 SUFFLEWIENTART DEWANDS FOR			(VII)
					रोड़ रुपए Rupee	
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	न जोड़ Total
27	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय न्यायालय के आदेशों के कारण अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति हेतु	27	Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure arising out of court orders.	-	46.71	46.71
वन	एवं पर्यावरण मंत्रालय	Ml	NISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
30	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारतीय प्राणिविज्ञान पार्क के सम्बन्ध में न्यायालय आदेशों के अनुपालन के कारण अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति हेतु।	30	Ministry of Environment and Forests For meeting expenditure arising out of court decree in respect of Zoological Park of India.	-	0.13	0.13
	मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग निम्नलिखित के लिए (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूंजी के संबंध में अभिदान हेतु (₹1,000 करोड़),(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनपूँजीकरण के संबंध में अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु (₹6,000 करोड़) और (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम की इक्विटी पूँजी (₹95 करोड़)।		NISTRY OF FINANCE Department of Financial Services For (a) subscribing (₹ 1,000 crore) towards share capital of National Bank for Agriculture and Rural Development, (b) providing additional amount (₹ 6,000 crore) towards recaptilisation of Public Sector Banks, and (c) equity capital (₹ 95 crore) of Life Insurance Corporation of India.	6,497.42	_	6,497.42
34	विनियोग-ब्याज अदायिगयाँ निम्निलिखित के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) बाजार ऋण (₹ 6,323.75 करोड़), (ख) नकद प्रबंधन बिलों पर बट्टा (₹ 1,010.88 करोड़), (ग) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडिंया (₹ 3,734.26 करोड़), (घ) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियाँ (₹ 2,026.10 करोड़), (ड) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों पर बट्टा (₹ 3,090.83 करोड़), (च) अर्थोपाय अग्रिम (₹ 1,258.50 करोड़), (छ) राज्य भविष्य निधियाँ (₹ 412.36 करोड़), (ज) विशेष जमाराशियाँ (₹ 101.87 करोड़), (झ) विदेशी ऋण (₹ 35.73 करोड़), और पीएलआई को जारी प्रतिभूतियाँ (₹ 562.80 करोड़)।	34	Appropriation-Interest Payments For meeting additional expenditure under (a) Market loans (₹ 6,323.75 crore), (b) Discount on Cash Management Bills (₹ 1,010.88 crore), (c) 91 days Treasury Bills (₹ 3,734.26 crore), (d) 182 days Treasury Bills (₹ 2,026.10 crore), (e) Discount on 364 days Treasury Bills (₹ 3,090.83 crore), (f) Ways and Means Advance (₹ 1,258.50 crore), (g) State Provident Funds (₹ 412.36 crore), (h) Special Deposits (₹ 101.87 crore), (i) External Debt (₹ 35.73 crore), and (j) Securities issued to PLI (₹ 562.80 crore).	0,477.42		4,272.79
35	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को	35			4,272.79	4,212.19
37	ऋण राहत हेतु। विनियोग-ऋण की वापसी अदायगी निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों का उन्मोचन (₹ 82,766.79 करोड़), (ख) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियाँ (₹ 13,005.55 करोड़), (ग) अर्थोपाय अग्रिम (₹ 5,85,943 करोड़), (घ) नकद प्रबंधन बिल (₹ 73,000 करोड़), (ड) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-वित्तीय लेन-देन आयोजना (₹ 2,592.86 करोड़), (च) एशियाई विकास बैंक (₹ 9.80 करोड़), (छ) अफ्रीकी विकास निधि (₹ 1.82 करोड़), (छ) अफ्रीकी विकास निधि (₹ 1.82 करोड़), (ज) 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1987 (₹ 1.58 करोड़), (ज) 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1993 (₹ 0.09 करोड़), (ज) 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1993 (₹ 0.57 करोड़), (ट) 10 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1995 (₹ 2.40 करोड़), (ठ) 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1999 (₹ 112.45 करोड़), (ड) 8.50 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 2001 (₹ 23.07 करोड़), (ढ) 8 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 2002 (₹ 27.64 करोड़),	37	of the 13th Finance Commission. Appropriation-Repayment of Debt For meeting additional expenditure towards (a) Discharge of 91 days Treasury Bills (₹ 82,766.79 crore), (b) 182 days Treasury Bills (₹ 13,005.55 crore), (c) Ways and Means Advance (₹ 5,85,943 crore), (d) Cash Management Bills (₹ 73,000 crore), (e) International Monetary Fund-Financial Transaction Plan (₹ 2,592.86 crore), (f) Asian Development Bank (₹ 9.80 crore), (g) African Development Fund (₹ 1.82 crore), (h) 9% Relief Bond, 1987 (₹ 1.58 crore), (i) 10% Relief Bond, 1993 (₹ 0.09 crore), (j) 9% Relief Bond, 1993 (₹ 0.57 crore), (k) 10% Relief Bond, 1995 (₹ 2.40 crore), (l) 9% Relief Bond, 1999 (₹ 112.45 crore), (m) 8.50% Relief Bond, 2001 (₹ 23.07 crore), (n) 8% Relief Bond, 2002 (₹ 27.64 crore),		555.00	555.00

					रोड़ रुपए Rupees	
अनुव	ग्नन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवर ण	Gı	rant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	(ण) 7 प्रतिशत बचत योजना, 2002 (₹ 8.16 करोड़), (त) 6.50 प्रतिशत बचत बॉण्ड, 2003 (गैर-कराधेय) (₹ 32.36 करोड़), (थ) 8 प्रतिशत (कराधेय) बॉण्ड, 2003 (₹ 163.25 करोड़), (द) राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन (₹ 9,000 करोड़), और (ध) विदेशी ऋण की वापसी अदायगी (₹ 1,545,.55 करोड़)।		(o) 7% Savings Scheme, 2002 (₹ 8.16 crore), (p) 6.50% Savings Bonds, 2003 (Non-Taxable) (₹ 32.36 crore), (q) 8% Savings (Taxable) Bonds, 2003 (₹ 163.25 crore), (r) redemption of securities issued to National Small Saving Fund (₹ 9,000 crore), and (s) repayment of External Debt (₹ 1,545.55 crore).		369,496.27 36	9 496 27
38	व्यय विभाग नई पेंशन स्कीम के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के सेवा प्रभार के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 8.95 करोड़)।	38	Department of Expenditure For meeting the additional expenditure (₹ 8.95 crore) towards payment of service charges to National Security Depository	-		
40	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग अतिरिक्त वेतन एवं स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 17.09 करोड़)।	40	Limited for the New Pension Scheme. Indian Audit and Accounts Department For meeting additional salary and establishment related expenditure (₹ 17.09)	-	0.97	0.97
42	प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु (क) आय-कर विभाग के संबंध में स्थापना संबंधी व्यय (₹ 15.33 करोड़), और (ख) सम्पत्ति कर, प्रतिभूति लेन-देन और अन्य करों के संग्रहण हेतु व्यय (₹ 0.39 करोड़)।	42	rore). Direct Taxes For additional (a) establishment related expenditure (₹ 15.33 crore) in respect of Income Tax Department, and (b) expenditure (₹ 0.39 crore) for collection of Wealth Tax, Security Transaction Tax and	-	7.53	7.53
43	अप्रत्यक्ष कर (क) सीमाशुल्क (₹ 3.06 करोड़), और (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 5.14 करोड़) के तहत स्थापना संबंधी व्यय के संवर्धन हेतु।	43	other Taxes. Indirect Taxes For augmenting establishment related expenditure under (a) Customs (₹ 3.06 crore), and (b) Union Excise Duties (₹ 5.14 crore).	-	7.50	7.50
स्वा	थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय	Ml	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
47	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होमियोपेथी (आयुष) भारतीय औषधि की 'फार्माकोपिया प्रयोगशाला, गाजियाबाद' योजना के तहत अतिथि गृह के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय हेतु।	47	Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) For additional expenditure under the scheme 'Pharmacopoeia Laboratory of Indian Medicine, Ghaziabad' for construction of guest house.	0.40	-	0.40
भारी	उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
50	भारी उद्योग विभाग एण्ड्रु यूल एंड कम्पनी लिमिटेड संबंधी गारंटी शुल्क की माफी संबंधी आवश्यक समायोजन हेतु (₹ 0.64 करोड़)।	50	Department of Heavy Industry For carrying out necessary adjustment (₹ 0.64 crore) relating to waiver of guarantee fee in respect of Andrew Yule and Company Limited.	-	0.63	0.63
_	मंत्रालय गृह मंत्रालय (क) मानव अधिकार भवन के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) निम्नलिखित के लिए (i) निम्नलिखित में पूँजी परिव्यय संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) ने शनल सिविल डिपेंग्स कॉ ले ज (₹ 1 करोड़), (2) नेशनल फायर सर्विस कॉलेज (₹ 22.51 करोड़) और (ii) नेशनल डिफेंस	52	 MINISTRY OF HOME AFFAIRS Ministry of Home Affairs (a) For meeting additional expenditure on construction of Manav Adhikar Bhawan. (b) For (i) meeting additional expenditure towards Capital Outlay in (1) National Civil Defence College (₹ 1 crore), (2) National Fire Service College (₹ 22.51 crore), and (ii) meeting additional 	1.00	-	1.00

		(करोड़ रुपए Rupees in			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total	
कॉलेज की मशीन एवं उपस्कर के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 0.09 करोड़)।	expenditure under Machinery and Equipment of National Civil Defence College (₹ 0.09 crore).	-	23.60	23.60	
54 पुलिस केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	54 Police For meeting additional expenditure on Salaries of Central Reserve Police Force.	-	0.50	0.50	
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT				
59 उच्च शिक्षा विभाग सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु (₹ 389.20 करोड़)।	59 Department of Higher Education For Grants-in-aid related expenditure (₹ 389.20 crore)	69.67	-	69.67	
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING				
60 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	60 Ministry of Information and Broadcasting				
(क) प्रसार भारती को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 50 करोड़)।	(a) For providing Grants-in-aid to Prasar Bharati (₹ 50 crore).	-	35.42	35.42	
(ख) प्रसार भारती को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing Grants-in-aid to Prasar Bharati.	40.00	-	40.00	
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS				
69 प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय 'सचिवालय सामान्य सेवाएं' और 'विदेश मामला' के शीर्षों तहत अतिरिक्त व्यय हेतु।	69 Ministry of Overseas Indian Affairs For additional expenditure under the heads of 'Secretariat General Services' and 'External Affairs'.	-	6.50	6.50	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS				
72 कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निम्नलिखित संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) वेतन (₹ 6 करोड़), (ii) घरेलू यात्रा व्यय (₹ 1.55 करोड़), और (ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 2.52 करोड़)।	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions For (a) meeting additional expenditure of Central Bureau of Investigation on (i) Salaries (₹ 6 crore), (ii) Domestic Travel Expenses (₹ 1.55 crore), and (b) providing Grants-in-aid Salaries to Indian Institute of Public Administration (₹ 2.52 crore).	-	10.07	10.07	
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS				
73 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु।	73 Ministry of Petroleum and Natural Gas For additional equity investment in the form of bonus shares issued by Oil and Natural Gas Corporation Limited.	-	0.01	0.01	
योजना मंत्रालय 74 योजना मंत्रालय जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	 MINISTRY OF PLANNING 74 Ministry of Planning For meeting additional expenditure under Census Surveys and Statistics. 	197.00	-	197.00	
विद्युत मंत्रालय 75 विद्युत मंत्रालय (क) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF POWER 75 Ministry of Power (a) For meeting establishment related expenditure of Central Electricity Regulatory Commission.	-	1.81	1.81	

			(करोड़ रुपए Rupees in Cro		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total	
(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. को आवंटित कोयला ब्लॉकों के संबंध में कोयला उत्पादन क्षेत्रों (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिगृहीत भूमि की क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु।	(b) For payment of compensation of land acquired under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 in respect of coal blocks allotted to National Thermal Power Corporation Limited.	179.61	-	179.61	
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND				
81 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	HIGHWAYS 81 Ministry of Road Transport and Highways				
(क) निम्नलिखित संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (i) राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि को अंतरण योजना के तहत अंतर लेखा अंतरण पर (₹ 600 करोड़), और (ii) केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण पर (₹ 176.82 करोड़)।	(a) For meeting expenditure (i) on Inter Account Transfer under the scheme Transfer to National Highways Permanent Bridges Fee Fund (₹ 600 crore), and (ii) on transfer to the Central				
(ख) सड़कें एवं पुल के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 28.18 करोड़)।	Road Fund (₹ 176.82 crore). (b) For meeting additional expenditure under Roads and Bridges (₹ 28.18	305.00	-	305.00	
(ग) (i) स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्त पोषित योजना के तहत निवेश संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 600 करोड़), (ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि (₹ 131.37 करोड़) और सड़क कनेक्टविटी के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम पर अतिरिक्त व्यय हेतु (₹ 50 करोड़)।	crore). (c) For (i) meeting expenditure on investment under the scheme financed from Permanent Bridges Fee Fund (₹ 600 crore), (ii) Central Road Fund (₹ 131.37 crore) by National Highways Authority of India, and (iii) additional expenditure on Special Programme for Development of Road connectivity	-	3.33	3.33	
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	(₹ 50 crore). MINISTRY OF SCIENCE AND	731.37	-	731.37	
85 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय न्यायालय की डिक्री के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	 TECHNOLOGY Department of Science and Technology For meeting additional expenditure arising out of court decree. 	-	0.03	0.03	
पोत परिवहन मंत्रालय 88 पोत परिवहन मंत्रालय बकाया ऋणों को राइट डाउन करने हेतु (₹166.42 करोड़), (ii) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड संबंधी दंड ब्याज सहित ब्याज माफी (₹465.12 करोड़), और (ख) महानिदेशालय (प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत) संबंधी सामान्य प्रारक्षित निधि पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 7.03 करोड़)।	MINISTRY OF SHIPPING 88 Ministry of Shipping For (a) (i) writing down of outstanding loans (₹ 166.42 crore), (ii) waiver of interest including penal interest (₹ 465.12 crore) in respect of Hoogly Dock and Port Engineers Limited, and (b) meeting additional expenditure (₹ 7.03 crore) on General Reserve Fund in respect of Directorate General (Light Houses and Light Ships).	-	638.56	638.56	
जनजातीय कार्य मंत्रालय 95 जनजातीय कार्य मंत्रालय (क) किराया दर और करों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) 'अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 95 Ministry of Tribal Affairs (a) For meeting additional expenditure under Rent, Rates and Taxes. (b) For Grants related expenditure (₹ 25.17)	-	0.14	0.14	
और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण शीर्ष के तहत अनुदान संबंधी व्यय हेतु (₹ 25.17 करोड़)।	crore) under the head 'Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes'.	23.12	-	23.12	

		(क	s in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन् Non Plan	
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत व्यय की पूर्ति हेतु। विदरा एवं नागर हवेली 	 96 Andaman and Nicobar Islands For meeting expenditure under various Ministries/Departments. 98 Dadra and Nagar Haveli 	1.39	13.44	14.83
विद्युत की खरीद के लिए व्यय की पूर्ति हेतु। 99 दमन एवं दीव	For meeting the expenditure for purchase of power. 99 Daman and Diu	-	150.00	150.00
विद्युत की खरीद के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting the expenditure for purchase of power.	-	135.00	135.00
शहरी विकास मंत्रालय 101 शहरी विकास विभाग (क) राष्ट्रपति की संपदा हेतु अन्य प्रशासनिक व्यय संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु (30 करोड़), (ख) निम्नलिखित में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (i) दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (₹126.89 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (₹ 0.99 करोड़)।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 101 Department of Urban Development (a) For meeting additional expenditure on Other Administrative Expenses for President's Estate. (b) For (i) additional equity investment in the form of bonus shares issued by National Building Construction Company Limited (₹ 30 crore), (ii) additional equity investment in (1) Delhi Metro Rail Corporation Limited (₹ 126.89 crore) and (2) National Capital Region Transport Corporation (₹ 0.99 crore).	156.89	3.61	3.61 156.89
103 लेखन सामग्री एवं मुद्रण प्रकाशनों हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (₹ 28.43 करोड़)।	103 Stationery and Printing For meeting additional expenditure for Publications (₹ 28.43 crore).	_	10.06	10.06
·	Total Technical	8,249.69	379,372.10	387,621.79

जोड़ तकनीकी

4 नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में ₹ 1 लाख प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्तावित है, उनके समाने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों, जैसा भी मामला है, के पुनर्विनियोग से की जाएगी।

अनुदानों की सांकेतिक पूरक माँग

कृषि मंत्रालय

o 1 कृषि एवं सहकारिता विभाग

(क) (i) मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत अतिरिक्त अंशदान (₹ 189.06 करोड़)
(ii) राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के संबंध में अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹10 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50 करोड़) और राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के तहत जनजातीय उप आयोजना (₹ 50 करोड़) (iii) एकीकृत तिलहन/ऑयलपाम/दलहन और मक्का विकास के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 15 करोड़) और (iv) राष्ट्रीय कृषि विकास

4. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by re-appropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

Token Supplementary Demands for grants

MINISTRY OF AGRICULTURE

1 Department of Agriculture and Cooperation

(a) For (i) additional Contributions (₹189.06 crore) under Weather-based Crop Insurance Scheme, (ii) additional Grants-in-aid-General towards National Mission on Micro Irrigation (₹10 crore) and additional Grants-in-aid-General for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹50 Crore) and Tribal Sub Plan (₹50 Crore) under the scheme National Mission on Micro Irrigation, (iii) additional Grants-in-aid General

		(व	रोड़ रुपए Rupee	s in Crore
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of item	आयोजना s Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	न जोड़ Total
योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति हेतु (₹ 20.61 करोड़)। (ख) 'सहकारी समितियों के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता' योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान	 (₹15 crore) under Integrated Oilse Oilpalm/Pulses and Ma Development, and (iv) meet additional Grants-in-aid Gene (₹20.61 crore) under Rashtriya Ki Vikas Yojna. (b) For meeting additional Grants-in-General under the scheme 'Assistato National Cooperative Development of the scheme of the sch	ize ing eral ishi 334.67 aid- nce	-	334.67
की पूर्ति हेतु।	Corporation for Development Cooperatives'.	of 6.00	_	6.00
(ग) निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) 'ग्रामीण गोदामों का निर्माण' योजना के तहत (₹ 15 करोड़) (ii) ग्रांमीण गोदामों के निर्माण योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक आयोजना हेतु (₹ 34 करोड़) और जनजातीय उप आयोजना (₹ 1 करोड़)। (iii) 'बाजार विकास अवसंरचना, ग्रेडिंग और विपणन मानकीकरण (₹ 23 करोड़), (iv) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक आयोजना हेतु (₹ 45 करोड़) और बाजार विकास, अवसंरचना, ग्रेडिंग और विपणन मानकीकरण योजना के तहत जनजातीय उप आयोजना (₹ 2 करोड़) और (iv) छोटे किसान कृषि-व्यापार सहायता संघ' योजना के तहत (₹ 15 करोड़)।	(c) For meeting additional Grants aid-General (i) under the sche 'Construction of Rural Godow (₹ 15 crore), (ii) towards Spe Component Plan for Schedu Castes (₹ 34 crore) and Tribal Plan (₹ 1 crore) under the sche Construction of Rural Godowns, under the scheme 'Developmen Market, infrastructure, grading marketing standardisation' (₹ crore), (iii) for Special Compon Plan for Scheduled Castes (₹ crore) and Tribal Sub Plan (₹ 2 crunder the scheme Developmen Market, infrastructure, grading marketing standardisation and under the scheme 'Small Farn Agri-business Consortium' (₹	ein- eme ens' cial led Sub eme (ii) t of and 23 eent 45 ore) t of and (iv) eers		0.00
(घ)) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु (i) बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण और (₹ 2.37 करोड़) (ii) फसल पश्च प्रौद्योगिकी (4 करोड़), (iii) किसानों के खेत पर बागवानी उपकरण सहित नव विकसित कृषि उपकरण की आउटसोर्सिंग और प्रदर्शन (₹ 3.87 करोड़), (iv) सहकारी समितियों के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता (₹ 1 करोड़) और (v) जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना हेतु पूर्वेत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (₹ 27 करोड़)।	infrastructure facilities production and distribution of se (₹ 2.37 crore), (ii) Post Harv Technology (₹ 4 crore), (Outsourcing and demonstration newly developed agriculture equipment including horticulture equipment at farmer's field (₹ 3 crore), (iv) Assistance to Nation Cooperative Development Cooperatives (₹ 1 Crore), and Horticulture Mission for North I and Himalayan States for Tribal Assistance of Section 1.25 cross the section of	nent eed for eds rest iii) of iral ure 6.87 onal ent of (v) East	-	135.00 38.24
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	Sub-Plan (₹ 27 crore). 2 Department of Agricultural Research Education		-	38.24
(क) वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु ।	(a) For meeting additional expenditur Salaries.	e on -	0.16	0.16
(ख) कृषि अनुसंधान और शिक्षा के तहत अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(b) For Grants related expenditure un Agricultural Research and Educat	on	82.66	82.66
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(c) For Grants related expenditure in N Eastern Region.	orth 28.22	-	28.22

			गेड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
 पशुपालन, डेयरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग (क) पशुपालन के तहत अनुदान संबंधी व्यय हेतु। 	 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (a) For Grants related expenditure under 			
(ख) दिल्ली दुग्ध योजना के तहत विभिन्न दुग्ध संघ/सहकारी समितियों को भुगतान हेतु अधिप्राप्ति के तहत आपूर्ति एवं सामग्री संबंधी	Animal Husbandry. (b) For meeting additional expenditure on Supplies and Material under procurement for payment to different	18.62	-	18.62
अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	Milk Unions/Cooperative Societies under Delhi Milk Scheme.	-	31.28	31.28
परमाणु ऊर्जा विभाग 4. परमाणु ऊर्जा	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 4 Atomic Energy			
 4. परमाणु ऊजी (क) इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए। (ख) निम्नलिखित में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹ 33.51 	 (a) Towards Grants for creation of capital Assets to Electronics Corporation of India Limited. (b) For meeting additional expenditure in (i) Bhabha Atomic Research Centre 	20.00	-	20.00
करोड़), (ii) नाभिकीय ईंधन कॉम्पलेक्स (₹28 करोड़), (iii) विकिरण एवं समस्थानिक प्रौद्योगिकी (₹ 4 करोड), और (iv) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं (₹2.61 करोड़)। ग) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के तहत प्रावधान के	(₹33.51 crore), (ii) Nuclear Fuel Complex (₹28 crore), (iii) Board of Radiation and Isotope Technology (₹4 crore), and (iv) DAE Projects (₹2.61 crore). (c) For augmenting the provision under	-	68.12	68.12
संवर्धन हेतु।	Atomic Energy Research.	-	480.35	480.35
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग विश्व व्यापार संगठनों को अंशदान हेतु सहायता प्रदान करने के लिए	11 Department of Commerce For providing assistance for contribution to World Trade Organisations.	4.58	<u>-</u>	4.58
(क) विभिन्न निकायों को सहायता अनुदान	Department of Industrial Policy and Promotion(a) For providing Grant-in-aid to various			
(ख) जम्मू एवं कश्मीर; हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड	bodies. (b) For meeting additional expenditure	-	3.03	3.03
के लिए विशेष श्रेणी राज्यों पैकेज के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	under Package for Special Category States for Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttrakhand.	38.41	-	38.41
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) 'ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) - कनेक्टिविटी और सेवाएं' - कार्यकलाप के तहत कम्प्यूटरों और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenses on annual maintenance of computers and peripherals under the activity 'Rural Information Communication Technology (ICT) - connectivity and			
(ख) "प्रोजेक्ट एरो" के तहत 250 डाकघरों में अवसंरचना के विकास संबंधी अतिरिक्त व्यय	services'. (b) For meeting an additional expenditure towards development of infrastructure	4.99	-	4.99
की पूर्ति हेतु। 14 दूरसंचार विभाग पाकिस्तान और भारत के बीच दूरसंचार ट्रैफिक के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से पाकिस्तान दूरसंचार कम्पनी लि. को भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	in 250 post offices under 'Project Arrow'. 14 Department of Telecommunications For meeting additional expenditure towards payment to Pakistan Telecommunication Company Limited on behalf of Bharat Sanchar Nigam Limited for the telecommunication traffic between Pakistan	26.00	-	26.00
	and India.	-	63.32	63.32

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना s Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 17 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIR FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 17 Department of Food and Pub Distribution	N		
(क) "भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण" योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid Salaries under scheme 'Warehousing Developm and Regulatory Authority'.	ent 1.20	-	1.20
(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid General expendit under Targeted Public Distributi System.		_	1.06
(ग) सह-उत्पादन विद्युत परियोजना आधारित बगैस के लिए चीनी फैक्टरियों को ऋण और अग्रिमों संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting the expenditure on Los and Advances to Sugar Factories Bagasse based co-generation pov	ans for	75.00	
	projects.	-	75.00	75.00
ॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 8. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय निवेशक जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 18 Ministry of Corporate Affairs For meeting the expenditure towar Investors Awareness Programmes.	rds -	0.51	0.51
स्कृति मंत्रालय 9. संस्कृति मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु सहायता अनुदान के तहत प्रावधान को बढ़ाने हेतु।	MINISTRY OF CULTURE 19 Ministry of Culture For augmenting the provisions und Grants-in-aid for North Eastern Areas.	der 2.00	_	2.00
ता मंत्रालय). रक्षा मंत्रालय विभिन्न सिविल कार्य परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय और भूमि अधिग्रहण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF DEFENCE 20 Ministry of Defence For meeting additional expenditure acquisition of land and addition expenditure on various civil work project	nal	60.00	60.00
वी विज्ञान मंत्रालय). पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (क) समुद्र विज्ञान अनुसंधान के तहत सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। (ख) कार्यक्रमों के तहत अन्य संविदात्मक सेवाओं के संबंध में भारतीय पोत परिवहन निगम को भुगतान करने हेतु (i) प्रचालन अनुसंधान पोत (₹ 12.30 करोड़) और (ii) समुद्री सजीव संसाधन और मात्स्यिकी समुद्र विज्ञान अनुसंधान	MINISTRY OF EARTH SCIENCES 29 Ministry of Earth Sciences (a) For providing Grants-in-aid und Ocenogaphic Research. (b) For making payment to Shippi Corporation of India towards Oft Contractual Services under a programmes (i) Operation Resear Vessel (₹ 12.30 crore), and (ii) Mar	40.65 ing her the rch	-	40.65
(₹ 8.70 करोड़) (ग) एअर-क्वालिटी मॉनिटरिंग उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिए भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान, पुणे कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	Living Resources and Fisher Ocenographic Research (₹ 8.70 crops of the proposition of the programme Indian Institution of Tropical Meteorology, Pune procurement of Air-quality Monitor	ery re) eral ute for	21.00	21.00
	Equipment.	10.00	-	10.00
पर्यावरण और वन मंत्रालय 30. पर्यावरण और वन मंत्रालय (क) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (₹ 3.37 करोड़) और (ii) जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना-ईएपी (₹ 0.87 करोड़)।	MINISTRY OF ENVIRONMENT AN FORESTS 30 Ministry of Environment and Forests (a) For Grants-in-aid General to (i) Ind Plywood Industries Research Instit (₹ 3.37 crore), and (ii) Bio-diverse Conservation and Rural Livelihod Improvement Project-EAP (₹ 0. crore).	ian ute sity ood	_	4.24

		आयोजना	शेड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
(ख) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण योजना (₹ 0.75 करोड़), (ii) उत्कृष्टता केन्द्र (₹ 0.55 करोड़) और (iii) जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान (₹ 0.50 करोड़)।	(b) For Grants-in-aid General to (i) Environment Education Training Scheme (₹ 0.75 crore), (ii) Centres of Excellence (₹ 0.55 crore), and (iii) G.B. Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹ 0.50 crore).	1.80	-	1.80
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
31 विदेश मंत्रालय निम्नलिखित हेतु (क) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (i) संयुक्त सेवा संस्थान (₹ 0.41 करोड़), (ii) अन्तरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी संघ (₹ 0.10 करोड़), (iii) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (₹ 19 करोड़) और (ख) केवल वीवीआईपी यात्रा के लिए एअर इण्डिया के विमानों की रख रखाव लागत (₹ 78.54 करोड़)।	31 Ministry of External Affairs For (a) Grants-in-aid General to (i) United Service Institute (₹ 0.41 crore), (ii) International Federation of United Nations Agencies (₹ 0.10 crore), (iii) Indian Council of Cultural Relations (₹ 19 crore), and (b) maintenance cost of aircrafts (₹ 78.54 crore) of Air India exclusively meant for VVIP travel.	_	98.05	98.05
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32 आर्थिक कार्य विभाग	32 Department of Economic Affairs			
(क) अन्य राजकोषीय सेवाओं के तहत प्रावधान बढ़ाने हेतु (ख) सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए वेतन	(a) For augmenting provisions under Other Fiscal Services.(b) For augmenting the salary provisions	-	2.52	2.52
प्रावधान बढ़ाने हेतु। (ग) निम्नलिखित को अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु (i) अन्तरराष्ट्रीय पुनर्सरचना और विकास बैंक (₹ 22.99 करोड़) और (ii) एशियाई विकास बैंक (₹ 5.68 करोड़)।	for Security Appellate Tribunal. (c) For providing additional funds to (i) International Bank for Reconstruction and Development (₹ 22.99 crore) and (ii) Asian Development Bank (₹ 5.68	-	0.56	0.56
, ,	crore).	-	28.67	28.67
(घ) रेलवे सुरक्षा कार्यों के संबंध में अतिरिक्त निधयां जारी करने हेतु। 33 वित्तीय सेवा विभाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनश्री बीमा योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित सामाजिक सुरक्षा निधि की मूल निधि को अंशदान प्रदान करने हेतु।	 (d) For releasing additional funds towards Railway Safety Works. 33 Department of Financial Services For contributing to the corpus of Social Security Fund maintained by Life Insurance Corporation of India for Janashree Bima Yojana to provide life insurance protection to the rural and urban persons living below poverty line. 	18.93	100.00	18.93
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING			
 45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (क) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/संस्थापन/आधुनिकीकरण योजना के तहत (₹ 39.99 करोड़) और (ii) व्यावसायिक सेवाओं के संबंध में (₹ 0.30 करोड़) । (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र अवसंरचना विकास हेतु। 	INDUSTRIES 45 Ministry of Food Processing Industries (a) For meeting additional expenditure (i) under the scheme for Technology Upgradation/Establishment/ Modernisation of Food Processing Industries (₹39.99 crore), and (ii) towards professional services (₹0.30 crore). (b) For infrastructure development of	40.29	-	40.29
	North Eastern Region.	9.89	-	9.89
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (क) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के तहत विभिन्न योजनाओं के संबंध में सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	46 Department of Health and Family Welfare (a) For Grants-in-aid related expenditure towards various schemes under Medical and Public Health.	24.44	4.00	28.44

			रोड़ रुपए Rupees	
मनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) बी.सी.जी. वेक्सीन प्रयोगशाला गुंडी, चैन्नै के जीर्णोद्धार संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure of revival of B.C.G. Vaccine Laborator Guindy, Chennai.	y, 14.35	-	14.35
(ग) केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची में आवासीय भवन निर्माण के संबंध में बड़े निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure of Major Works towards construction of residential building in Central Institu- of Psychiatry, Ranchi.	of	_	1.24
 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) विभाग 	47 Department of Ayurveda, Yoga of Naturopathy, Unani, Siddha an Homoeopathy (AYUSH)	&		1.2
(क) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के तहत सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु। (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु सहायता अनुदान संबंधी व्यय	(a) For Grants-in-aid related expenditure under Medical and Public Health.(b) For Grants-in-aid related expenditure	37.91	0.10	38.01
हेतु 8 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	for North Eastern Areas. 18 Department of Health Research	14.11	-	14.11
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को सामान्य सहायता अनुदान हेतु ।	For Grants-in-aid General to Indian Counc of Medical Research, New Delhi.	il 48.26	-	48.26
ारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES	D		
 भारी उद्योग विभाग हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड को वेतन सहायता अनुदान हेतु। 	50 Department of Heavy Industry For Grants-in-aid Salary to Hindustan Sal Limited.	ts -	2.12	2.12
ह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
 गृह मंत्रालय (क) सचिवालय-सामान्य सेवाओं के तहत व्यय की पूर्ति। 	52 Ministry of Home Affairs(a) For meeting expenditure under Secretariat-General Services.	-	9.99	9.99
(ख) सिविल डिफेंस का पूर्ण सुधार करने के तहत मध्यावधि मूल्यांकन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure of midterm evaluation under Revampin of Civil Defence.		-	0.30
(ग) अन्य प्रशासनिक सेवाओं के तहत व्यय की पूर्ति हेतु। 4. पुलि स	(c) For meeting expenditure under Othe Administrative Services.54 Police	er -	1.05	1.05
(क) 'पुलिस' शीर्ष के तहत राजस्व व्यय की वृद्धि हेतु। (ख) 'पुलिस' शीर्ष के तहत पूंजी व्यय की वृद्धि	(a) For augmentation of revenue expenditure under the head 'Police'.(b) For augmentation of capital	2.42	432.18	434.60
हेतु। 5. गृह मंत्रालय के अ न्य व्यय	expenditure under the head 'Police'. 55 Other Expenditure of the Ministry of	356.35	85.30	441.65
(क) 'प्राकृतिक आपदा राहत' शीर्ष के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	Home Affairs (a) For meeting additional expenditure under the head 'Relief on account of Natural Calamities'.			2.43
(ख) यूएनडीपी-जोखिम प्रबन्धन परियोजना के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing additional Grants-in-ai under UNDP-Risk Managemen	d	10.00	
(ग) यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	Project. (c) For meeting additional expenditure for Youth Exchange Programme.	- or -	10.00	10.00
(घ) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के भवन निर्माण के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting expenditure under Offic Building of National Disaste Responsive Force.		10.46	10.46
ानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURC	E		
8. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	DEVELOPMENT 58 Department of School Education an Literacy	d		
(क) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सहायता	(a) For Grants-in-aid related expenditure	re e		

			ोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अनुदान संबंधी व्यय हेतु (i) सर्वशिक्षा अभियान (₹ 649 करोड़), (ii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹ 88.55 करोड़) और (iii) वयस्क शिक्षा और कौशल विकास योजना (₹ 2.26 करोड़)।	under the schemes of (i) Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 649 crore), (ii) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (₹ 88.55 crore) and (iii) Adult Education and Skill Development Scheme (₹ 2.26 crore).	739.81		739.81
(ख) निम्नलिखित हेतु (i) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 18.57 करोड़), (ii) माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन हेतु योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 5.72 करोड़), (iii) भाषा अध्यापकों की नियुक्ति (₹ 13 करोड़) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान और (iv) 'सर्विशिक्षा अभियान' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 235.52 करोड़)।	(b) For (i) Grants-in-aid General under the scheme 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (₹ 18.57 crore), (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme for construction and running of Girls Hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools (₹ 5.72 crore), (iii) Grants-in-aid General under the scheme 'Appointment of Language Teachers (₹ 13 crore), and (iv) Grants-in-aid General under the scheme 'Sarva Shiksha Abhiyan' (₹ 235.52	737.01	-	737.01
(ग) तिब्बती शरणार्थी बच्चों को वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान	crore). (c) For Grants-in-aid to Tibetan Refugee Children to meet the additional	272.81	-	272.81
हेतु। 59. उच्च शिक्षा विभाग (क) सामान्य शिक्षा के तहत अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	expenditure for salary. 59 Department of Higher Education (a) For Grants related expenditure under General Education.	-	1.00 300.41	1.00 300.41
(ख) तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु। (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु सहायता अनुदान संबंधी व्यय	(b) For Grants-in-aid related expenditure for Technical Education.(c) For Grants-in-aid related expenditure for North Fortuna Association.	361.72	163.55	525.27
हेतु। सूचना और प्रसारण मंत्रालय	for North Eastern Areas. MINISTRY OF INFORMATION AND	115.00	-	115.00
60. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	BROADCASTING 60 Ministry of Information and			
निम्नलिखित को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (क) भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान (₹ 1 करोड़), और (ख) भारतीय सत्यजीत राय फिल्म्स टेलीविजन संस्थान (₹ 0.39 करोड़)।	Broadcasting For providing Grants-in-aid to (a) Films Television Institute of India (₹ 1 crore), and (b) Satyajit Ray Films Television Institute of India (₹ 0.39 crore).	-	1.39	1.39
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
(क) निम्नलिखित हेतु (i) बीपीएल परिवारों के लिए स्टेट सोसायटियों को आरएसबीवाई योजना का केन्द्रीय हिस्सा (₹ 147.51 करोड़), (ii) डीजीईएण्डटी में परियोजना कार्यान्वयन और व्यापार परीक्षण योजना में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 3.50 करोड़), (iii) 'कौशल विकास पहल' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 31.10 करोड़) और (iv) पूर्वोत्तर और सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना संवर्धन योजना के तहत राज्य सोसाइटियों को दिए जाने वाले केन्द्रीय हिस्से को जारी करना (₹ 10 करोड़)।	(a) For (i) Central share of RSBY Scheme to State Societies for BPL families (₹ 147.51 crore), (ii) meeting additional expenditure in the scheme of 'Project Implementation and Trade Testing at DGE&T (₹ 3.50 crore), (iii) Grants-in-aid General under the Scheme 'Skill Development Initiative' (₹ 31.10 crore), and (iv) releasing the Central Share to State Societies under the scheme 'Enhancing Skill Development Infrastructure' in North Eastern	102 ::		102.11
	States and Sikkim (₹ 10 crore).	192.11	-	192

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों के लिए कौशल विकास योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	(b) For Grants for creation of capital assets under the scheme of Skill development for 34 districts affected by left wing extremism.	31.25	-	31.25
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
65. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत	65 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (a) For augmentation of provision for the			
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं के प्रावधान को बढ़ाने हेतु।	projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim under Prime Minister's Employment			
(ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	Generation Programme. (b) For meeting the additional requirement under Prime Minister's Employment	7.77	-	7.77
(ग) अतिरिक्त संस्थापन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	Generation Programme. (c) For meeting additional establishment related expenditure.	92.23	2.45	92.23 2.45
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
67. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय शहरी वक्फ प्रोपटींज के विकास के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद को सामान्य सहायता अनुदान।	67 Ministry of Minority Affairs For Grants-in-aid General to Central Wakf Council for development of Urban Wakf		0.96	0.96
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	Properties. MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE	-	0.86	0.86
	ENERGY			
68. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के तहत अतिरिक्त अनुदान संबंधी व्यय की पूर्ति।	68 Ministry of New and Renewable Energy For meeting additional Grants related expenditure under New and Renewable Energy.	26.75	-	26.75
पंचायती राज मंत्रालय 70. पंचायती राज मंत्रालय ग्राम सभा भवन की लागत संबंधी राष्ट्रीय ग्राम	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ 70 Ministry of Panchayati Raj For Grants for creation of capital assets			
स्वरोजगार योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	under Rashtriya Gram Swarojgar Yojana towards cost of Gram Sabha Bhawan.	25.00	-	25.00
योजना मंत्रालय 74. योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING 74 Ministry of Planning			
सर्वरों और अन्य आईटी संबंधी मदों की अधिप्राप्ति के लिए व्यय की पूर्ति।	For meeting the expenditure for procurement of Servers and other IT related items.	9.61	-	9.61
विद्युत मंत्रालय 75. विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER 75 Ministry of Power			
(क) हॉटलाइन ट्रेनिंग सेंटर बैंगलुरू और पॉवर सिस्टम ट्रेनिंग संस्थान, बैंगलुरू से राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद को आस्तियों के अन्तर के सन्दर्भ में पूर्व अविध लेखांकन समायोजन करने हेतु।	(a) For carrying out prior period accounting adjustment in respect of transfer of assets from Hot Line Training Centre, Bengaluru and Power System Training Institute, Bengaluru to National Power Training Institute, Faridabad.	12.42		12.42
(ख) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के रंगानाडी हाड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट के सन्दर्भ में ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के	(b) For carrying out prior period accounting adjustment in respect of conversion of loan into equity in	12.42	-	12.42

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सन्दर्भ में पूर्व अवधि लेखांकन समायोजन करने हेतु।	respect of Ranganadi Hydro Electric Power Project of North Eastern Electric Power Corporation Limited.	361.10	-	361.10
(ग) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लि. के ट्यूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन को ऋण और अग्रिम हेतु।	(c) For loans and advances to Turial Hydro Electric Power Corporation of North Eastern Electric Power Corporation Limited.	163.13		163.13
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND	103.13	-	103.13
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	HIGHWAYS 81 Ministry of Road Transport and Highways			
पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	For meeting additional expenditure on Major Works in North Eastern Areas.	385.49	-	385.49
ग्रामीण विकास मंत्रालय 82. ग्रामीण विकास विभाग अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 82 Department of Rural Development For meeting additional committed liabilities under Other Rural Development Programmes.	89.00	1.14	90.14
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND	89.00	1.14	90.14
 85. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान शीर्ष के तहत अनुदान संबंधी व्यय हेतु 86. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग 	 TECHNOLOGY 85 Department of Science and Technology For Grants related expenditure under the head Other Scientific Research. 86 Department of Scientific and Industrial Research 	45.98	-	45.98
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंघान परिषद् को अनुदान संबंधी व्यय प्रदान करने हेतु। 87. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	For providing Grants related expenditure to Council of Scientific and Industrial Research. 87 Department of Biotechnology	24.20	66.60	90.80
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अनुदान संबंधी व्यय प्रदान करने हेतु। (ख) अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान शीर्ष के तहत अनुदान	(a) For providing Grants related expenditure for North Eastern Areas.(b) For Grants related expenditure under	20.26	-	20.26
संबंधी व्यय हेतु।	the head Other Scientific Research.	5.00	-	5.00
परिवहन मंत्रालय 88. परिवहन मंत्रालय (क) हिन्दुस्तान डॉक एण्ड पोर्ट इंजिनियर्स लिमिटेड को अपने कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	MINISTRY OF SHIPPING 88 Ministry of Shipping (a) For Grants-in-aid General to the Hindustan Dock and Port Engineers Limited to meet expenditure on the Voluntary Retirement Scheme for its			
(ख) पोत परिवहन महानिदेशालय के तहत व्यावसायिक सेवाओं संबंधी अतिरिक्त व्यय	employees. (b) For meeting additional expenditure on Professional Services under Directorate	-	2.00	2.00
की पूर्ति हेतु। (ग) अन्तर्देशीय वाटरवेज एनडब्ल्यू-1 और एनडब्ल्यू- 3 हेतु भारतीय अन्तर्देशीय वाटर वेज प्राधिकरण को अनुदान योजना के तहत पूंजी आस्तियों	General of Shipping. (c) For Grants for creation of Capital Assets under the scheme Grants to Inland Water Ways Authority of India for	-	13.99	13.99
के सृजन हेतु अनुदान। (घ) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय अन्तर्देशीय वाटर वेज प्राधिकरण (₹ 0.60 करोड़) और (ii) केन्द्रीय अन्तर्देशीय	Inland Waterways NW-1 and NW-3. (d) For Grants-in-aid General to (i) Inland Water Ways Authority of India (₹ 0.60 crore), and (ii) Central Inland Water	25.12	-	25.12
र 0.50 चरराज़) जार (ा) के क्रांच जे सब्साव जल परिवहन निगम (₹ 0.33 करोड़) (ड) तुतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के मुख्य निर्माण कार्यों	Transport Corporation (₹ 0.33 crore). (e) For meeting the additional expenditure	-	0.93	0.93

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	89 Ministry of Social Justice and Empowerment			
(क) राष्ट्रीय अन्य पिछ्डा वर्ग आयोग को सहायता अनुदान वेतन जारी करने हेतु।	(a) For releasing Grants-in-aid Salaries to National Commission for Backward Classes.	_	2.00	2.00
(ख) निम्नलिखित को वेतन सहायता अनुदान जारी करने हेतु (i) राष्ट्रीय अशक्त व्यक्ति संस्थान (₹ 2 करोड़), (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद (₹ 0.80 करोड़)और (iii) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (₹ 0.55 करोड़)।	 (b) For releasing Grants in aid Salaries to (i) National Institutes for Disabled Persons (₹ 2 crore), (ii) Rehabilitation Council of India (₹ 0.80 crore), and (iii) National Institute of Social Defence (₹ 0.55 crore). 	3.35		3.35
(ग) निम्नलिखित को जारी करने हेतु (i) निम्नलिखित को वेतन सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय अशक्त जन संस्थान (₹ 31.50 करोड़), (2) भारतीय पुनर्वास परिषद (₹ 0.50 करोड़), (3) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (₹ 1.25 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय अशक्त जन संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.88 करोड़)	(c) For releasing (i) Grants in aid Salaries to (1) National Institutes for Disabled Persons (₹ 31.50 crore), (2) Rehabilitation Council of India (₹ 0.50 crore), (3) National Institute of Social Defence (₹ 1.25 crore), and (ii) Grants-in-aid General to National Institutes for Disabled Persons (₹ 2.88 crore).	5.55	36.13	36.13
अन्तरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
90. अन्तिरक्ष विभाग निम्निलिखित के संबंध में 'मार्स ऑर्बीटर मिशन' के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति (क) मशीनरी और उपस्कर की अधिप्राप्ति (₹ 1 करोड़) और (ख) अन्य पूंजी व्यय (₹ 9 करोड़)।	90 Department of Space For meeting expenditure towards 'Mars Orbiter Mission' towards (a) procurement of machinery and equipment (₹ 1 crore), and (b) other capital expenditure (₹ 9 crore).	10.00	-	10.00
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
91. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	91 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को वेतन सहायता अनुदान हेतु। (ख) पूर्वोत्तर राज्यों को वेतन सहायता अनुदान	(a) For Grants-in-aid Salaries to Indian Statistical Institute, Kolkata.(b) For Grants-in-aid Salaries to North	115.40	-	115.40
हेतु। (ग) आर्थिक जनगणना के तहत राज्य सरकार को	Eastern States. (c) For Grants-in-aid Salaries to State	-	5.26	5.26
वेतन सहायता अनुदान। (घ) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निधियां जारी	Government under Economic Census. (d) For release of funds to Union Territory	0.29	-	0.29
करना।	Governments.	1.34	-	1.34
कपड़ा मंत्रालय 93. कपड़ा मंत्रालय (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु	MINISTRY OF TEXTILES 93 Ministry of Textiles (a) For augmenting the provision for the			
परियोजनाओं/योजनाओं के प्रावधान को बढ़ाना। (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को वेतन सहायता अनुदान	projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim. (b) For Grants-in-aid Salary to Central Silk	34.00	-	34.00
हेतु।	Board.	-	17.78	17.78
पर्यटन मंत्रालय 94. पर्यटन मंत्रालय 'डेस्टीनेशन और सर्किट्स हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	MINISTRY OF TOURISM 94 Ministry of Tourism For Grants for creation of capital assets under the scheme 'Product/Infrastructure Development for Destination and			
	Circuits'.	9.00	-	9.00

			रोड़ रुपए Rupe	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भि Non Pla	
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
101.शहरी विकास विभाग	101 Department of Urban Development			
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को पूंजी	For Grants for creation of capital assets to			
आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	Delhi Metro Rail Corporation Limited.	7.99	-	7.99
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
104.जल संसाधन मंत्रालय	104 Ministry of Water Resources			
(क) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को सामान्य	(a) For Grants-in-aid General to National			
सहायता अनुदान हेतु।	Institute of Hydrology.	-	1.66	1.66
(ख) भूजल प्रबन्धन और विनियमन के मुख्य	(b) For meeting additional expenditure			
निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय की	under Major Works for Ground Water			
पूर्ति हेतु।	Management and Regulation.	29.63	-	29.63
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
105. महिला और बाल विकास मंत्रालय	105 Ministry of Women and Child			
	Development			
(क) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सामान्य	(a) For Grant-in-aid-General under the			
सहायता अनुदान हेतु (i) एकीकृत बाल विकास	scheme of (i) Integrated Child			
सेवाएं (₹ 6.30 करोड़), (ii) कामकाजी	Development Services (₹ 6.30 crore),			
माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय	(ii) Rajiv Gandhi National Creche			
शिशु गृह योजना (₹ 10 करोड़)।	Scheme for the Children of Working			
	Mothers (₹ 10 crore).	16.30	-	16.30
(ख) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान	(b) For Grant-in-aid-General to (i) National			
(i) राष्ट्रीय लोक सहकारिता और बाल विकास	Institute of Public			
संस्थान (₹ 1 करोड़) (ii) केन्द्रीय सामाजिक	Co-operation and Child Development			
कल्याण बोर्ड (₹ 2 करोड़)।	(₹ 1 crore), (ii) Central Social Welfare			
,	Board (₹ 2 crore).	-	3.00	3.00
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
106.युवा मामले और खेल मंत्रालय	106 Ministry of Youth Affairs and Sports			
अत्याधुनिक पुस्तकालय स्थापना के लिए श्री पेरम्बादूर में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को	For Grants-in-aid General to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development			
सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	at Sriperambadur for setting up of State of the Art Library.	10.00		10.00
	·		_	10.00
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.64	0.43	1.07
 तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत की 	5. Seven advances aggregating			
आकस्मिकता निधि से कुल ₹307,73,00,000	₹ 307,73,00,000 were sanctioned from the			
करोड़ के सात अग्रिमों की मंजूरी दी गई थी।	Contingency Fund of India for meeting			
इसकी प्रतिपूर्ति अनुदानों की पूरक मांगों की मंजूरी	immediate requirement. This will be			
प्राप्त होने के पश्चात कर दी जाएगी।	recouped to the Fund after the			
प्राचा सामार्थित प्राचीत प्राचीत जाएगा।	Supplementary Demands for Grants are			
	sanctioned.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	8,692.15	421,536.49	430,228.64
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	441.82	42,163.96	42,605.78
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	8,249.69	379,372.10	387,621.79
		0.64	0.43	

ÉÉKªÉ °É9ÉÉÓ CONTENTS

						Rupees in	
Attai of mati . It's artition		N 1000 65 1		®ÉVɰÉ	(ÉMÉ		- X E)
atini ota i +tip qtiniti		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	l Total	Page
EHHÁ ÁJÍTÁÍFÉ		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1. BÉLBÁÉ +ÉÉ® °ÉCBÉLÉÉ®IÉÉ ÉÉLÉÉMÉ	° ÉÉBÉEBÉ	1. Department of Agriculture and	X7 . 1	0.04		0.04	1.0
2. BÉEBRÉ +ÉXÉÖÉBEÉXÉ +ÉÉ®	EEDEEDE	Cooperation	Voted	0.04	•••	0.04	1-2
2. DELDAL FLALVEBILAL FLLC ÉNÉFÉÉ ÉÉÉÉÉÉMÉ	° ÉÉBÉERÉ	Department of Agricultural Research and Education	Voted	50.03		50.03	3-4
3. {£¶£¢££ã£x£ +££® bæ£ò棣£°£Çi£1££	LLULLINL	3. Department of Animal Husbandry,	voted	30.03	•••	30.03	3-4
àÉEÉ ° ª ÉBÉEÉ À ÉÉÉEÉMÉ	° ÉÉBÉERÉ	Dairying and Fisheries	Voted	0.02		0.02	5
{É®aÉÉhÉÖ>d√ÉÇÉÉFÉÉNÉ		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4. {É®àÉÉhÉÖ>ôVÉÉÇ	£ÉÉÉ®iÉ	4. Atomic Energy	Charged	•••	16.60	16.60	6-7
(° ÉÉ B ÉE B É		Voted	0.03		0.03	
5. xÉEEÉEBÉEEÐÉ ÉEÉTÉÐÉ ªÉEVÉXÉEAÆ	°ÉÉBÉERÉ	5. Nuclear Power Schemes	Voted	312.34		312.34	8
®°É'ÍxÉ +ÉÉ® = ÍÇRÉ ÀÁFÉ ÃÍ'É		MINISTRY OF CHEMICALS					
•		AND FERTILISERS					
7. = ÉÇBÉE ÉÉÉÉÉÉMÉ	° ÉÉBÉEBÉ	7. Department of Fertilisers	Voted	7201.07		7201.07	9
xÉÉNÉ® ÉÉÉAÉÉNÉNÉ aÉJHÉÉAɪÉ		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
9. xÉÉMÉ® ÉÉÉàÉÉxÉxÉ àÉJEÉEãɪÉ	°ÉÉBÉEBÉ	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	9.77		9.77	10
RÍHÁ LÁH A LJ HÁLÁ		MINISTRY OF COAL					
10. BETERFAÉTE ALJETETÉTÉ	°ÉÉBÉERÉ	10. Ministry of Coal	Voted		46.83	46.83	11
ÍHÁNV ^a ť +H® =tHÁ áj Háľať		MINISTRY OF COMMERCE					
		AND INDUSTRY					
11. ÉÉÉBÉV ^a É ÉÉÉÉÉÉNÉ	°´ÉÉBÉEBÉ	11. Department of Commerce	Voted	30.23		30.23	12
12. +ÉÉRÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ KÉÉÉÉÉÉ IÉIÉÉ	o c ŕŕ nérať	12. Department of Industrial					
°ÉÆVÉŖÉ ÉÊÉEÉÉMÉ	° ÉÉBÉEBÉ	Policy and Promotion	Voted	0.02	•••	0.02	13
°ÉMÉR +ÉÉR °ÉDÉNÉÉ		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
EEE ÉÉÉÁRÁFÁÍÓ AÉJÁÉÁÉ ^a É	-4444	AND INFORMATION TECHNOLOG					
13. bébée éléféléné	<u>EÉÉÉ</u> PiÉ	13. Department of Posts	Charged	0.86		0.86	14-15
1.4	° ÉÉBÉEBÉ		Voted	240.06	0.01	240.07	
14. n é °é s éé éééééééé	° ÉÉBÉERÉ	14. Department of Telecommunications	Voted	0.01	•••	0.01	16
		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
°ÉÉTYÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉ		FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTIO)N				
17. JEETE +EE® °EEEVEEREE EEEEENE	° ÉÉBÉERÉ	17. Department of Food and Public Distribution	Voted	9873.75	0.01	9873.76	17-18
LILLI IIL LILLILINE	LLLVLLIVL	rubile Distribution	voted	9613.13	0.01	9873.70	17-10
Proprieta (California)		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
18. BÉTÉ®(ÉÉPA) BÉTɪÉÇAÉJAÉÉAɪÉ	°ÉÉBÉERÉ	18. Ministry of Corporate Affairs	Voted	0.01		0.01	19
°ÉRHÍHÍÉ ALJÁTÁTÉ		MINISTRY OF CULTURE					
19. °É rbétő lé ál g étál ^a t	° ÉÉBÉEBÉ	19. Ministry of Culture	Voted	25.01		25.01	20-21
®FŰ álj űáfé		MINISTRY OF DEFENCE					
20. ®FÉÉ àLJEÉÉÃɪÉ	°ÉÉBÉERÉ	20. Ministry of Defence	Voted	128.78	0.01	128.79	22-23

						(BÉE®ÉÐ⁄2 âó(ÉA	Rupees in	crore)
					®ÉVɰ1	É {ÉMÉ	ÉÖ VÉ#2	{ÉK~
atine of a the description of th			No. and Title of Demand		Revenue	e Capita	l Total	Page
21. ®FÉÉ {ɶÉXÉ	£ÉÉÉ®iÉ	21.	Defence Pensions	Charged	0.29		0.29	24
22. ®FÉÉ °ÉåÉÉ-IÉãÉ °ÉäÉÉ	£ÉÉÉ®IÉ	22.	Defence Services - Army	Charged	3.65		3.65	25
	°ÉÉBÉEBÉ			Voted	3412.07		3412.07	
23. ®FÉÉ °ÉÄÉÉ-xÉÉPÉÄÉÉ	° ÉÉBÉEBÉ		Defence Services - Navy	Voted	752.76	•••	752.76	26
24. ®FÉÉ °ÉåÉÉ-´ÉɪÉÖ°É ä ÉÉ	<u>EÉÉÉP</u> IÉ	24.	Defence Services - Air Force	Charged	1.09		1.09	27
OF OFF TEATOF TEETH AFTE	° ÉÉ BÉERÉ cété r is: é			Voted	149.24	•••	149.24	
25. ®FÉÉ +ÉɪÉŰÉ {ÉEÉÐÉÐ ÁÉÉÆ	EÉÉÉÉPIÉ ° ÉÉ R ÉE R É	25.	Defence Ordnance Factories	Charged	8.50	•••	8.50	28
27. *FÉÉ °ÉÄÉÉ+ÉÉÆ{É* {ÉM ÉÉÒ{ÉÉ * BªÉªÉ	£ÉÉÉÊPIÉ	27.	Capital Outlay on Defence Services	Voted Charged	858.93 	 46.71	858.93 <i>46.71</i>	29
tin tiλitituiti. i ≥imti≈iai								
(EL ÉLOÉTÉVÉLXÉ AÉJIÉTÁÉ	O 'ÉÉ N ÉE S É		NISTRY OF EARTH SCIENCES					
29. {ÉN ÉÉDÉÉÉYÉÉXÉ àLJEÉ aɪÉ	°ÉÉBÉERÉ	29.	Ministry of Earth Sciences	Voted	0.03		0.03	30
(ťªÉÉÇÉ®hÉ +ÉÉ® ÉxÉ à ig ÉÉāɪÉ		MI	NISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS					
30. {ɪÉÉÇÉ®hÉ +ÉÉ® ÉxÉ àÉÆÉÉãɪÉ	£ÉÉÉPIÉ	30.	Ministry of Environment and Forests	Charged	0.13		0.13	31
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	° ÉÉ D ÉE G É		·	Voted	0.02		0.02	
ÉÉÉn S IÉ à ÉJ ÉÉãɪÉ		м	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
31. ÉÉn¶É àÉÆÉãɪÉ	° ÉÉBÉERÉ		Ministry of External Affairs	Voted	0.01	100.00	100.01	32
OT. ILLINGE UDILLOCE	LLULLINL	31.	Willistry of External Alfalis	voted	0.01	100.00	100.01	32
ÉÉÉKÉ aéj tétáf ^a é		MI	NISTRY OF FINANCE					
32. +ÉÉÉÐÉ R ÉE BÉEÉ ^a ÉÇÉÉÉÉÉÉMÉ	° ÉÉ B ÉE B É	32.	Department of Economic Affairs	Voted	0.03	0.01	0.04	33-34
33. ÉÉÉKÉÉÐÉ °ÉJÉÉ ÉÉÉÉÉNÉ	° ÉÉBÉEBÉ	33.	Department of Financial Services	Voted	0.01	6497.42	6497.43	35-36
34. ÉÉÉÉRɪÉÉNÉ-¤ªÉÉVÉ EÉDÉIÉÉXÉ	£ÉÉÉ®iÉ	34.	Appropriation - Interest Payments	Charged	11904.32		11904.32	37
35. °ÉVªÉ +ÉÉ® °ÉRÉ °ÉVªÉ FÉ j É	o céthén é	35.	Transfers to State and					
BÉEÉÒ °É®ÉEÉ®Éà BÉEÉà +Éx iÉ®hÉ	° ÉÉ BÉB IÉ atuttà		Union Territory Governments	Voted	555.00		555.00	38
37. ÉÉÉÉKÉ ^a ÉEMÉ-jéehÉ BÉÉÉÓ ÉÉ(ɰÉÉÓ+ÉnÉ 38. ^{°aga} É ÉÉÉÉÉÉMÉ	°ÉÉ BÉB IÉ		Appropriation - Repayment of Debt	Charged		369496.27 .		39
40. EÉÉ®IÉÉÐÉ ĀÉÐIÉ {É®ÉÐÉÉ +ÉÉ®	LLULDIL		Department of Expenditure Indian Audit and Accounts	Voted	9.07		9.07	40
afalf fifffe	£ÉÉÉPiÉ	40.	Department	Charged	4.01		4.01	41
CLUTE ELLEUR	° ÉÉ BÉB IÉ		Department	Voted	13.08		13.08	71
42. ÉiªÉFÉ BÉE®	° ÉÉ BÉB IÉ	42.	Direct Taxes	Voted	15.72		15.72	42
43. +É ÉiªÉFÉ BÉE®	° ÉÉ BÉB iÉ		Indirect Taxes	Voted	7.50		7.50	43
JÆté ɰɯÆE®hÉ =tÆMÉ æÉJÆÉæÉ		MI	NISTRY OF FOOD					
AC IÍÍ+Í IÍOÍØNÍT@LÍ +ÍÍNÍ			PROCESSING INDUSTRIES					
45. JÉÉTÉ ɰÉRBÉE®hÉ = TÉÉBÉ àÉJEÉÉAɪÉ	° ÉÉ B ÉE B É	45.	Ministry of Food Processing	37 . 1	0.02		0.02	4.4
arjutat t	LLULLIDL		Industries	Voted	0.02	•••	0.02	44
°É°lªÉ A ÉARÉÉÉ® BÉTãªÉÉhÉ AÉJFÉÃI	ēÉ.	MI	NISTRY OF HEALTH AND					
•			FAMILY WELFARE					
46. °Éɰ1ªÉ +ÉÉ® {ÉÉ®ÉÉ®		46.	Department of Health and					
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊÉÉÉÉNÉ	°ÉÉBÉERÉ		Family Welfare	Voted	0.02	0.02	0.04	45-46
47. +ÉɪÉÖÉRÐ, ªÉÉNÉ A ÉÆ LÉÉBÉEBÍÉBÉE		47.	Department of Ayurveda, Yoga &					
ÉBÉÉBÉE 1°ÉÉ, ªÉMÉÉXÉÉ) ÉPÉR TÉTÉÉ	o céthéraé		Naturopathy, Unani, Siddha and					
CÉĂªÉÉÁÉÁÉÉÓÉÉÉÉÉNÉ (+ÉɪÉNÉ)	° ÉÉBÉEBÉ o tídite	_	Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.03	0.40	0.43	47-48
48. °ÉɰIªÉ +ÉxÉÖÉMÉKÉ ÉÉÉÉÉMÉ	°´ÉÉBÉEBÉ	48.	Department of Health Research	Voted	0.01		0.01	49
		MI	NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES					
=tĺa£ a £y f£ã£ª£			AND PUBLIC ENTERPRISES					
50. °É®BÉEÉ®ÉÒ=tÉàÉ ÉÊÉEÉÉMÉ	° ÉÉ B ÉE B É	50.	Department of Heavy Industry	Voted	0.64		0.64	50

				(E	BÉE®ÉN⁄2 âó(ÉA 1	Rupees in	crore)
				®ÉVɰÉ	{ÉMÉ C		{ÉK~
ATH OTHER HER NEW PER		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
NÁG: àÉJH ÉÁÉ ^a É		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
52. Mec algetatat	°ÉÉBÉEBÉ	52. Ministry of Home Affairs	Voted	0.03	24.60	24.63	51-52
53. àÉÁÁÉTÉ TÁT THE TREATH THE TR	°ÉÉBÉBIÉ	53. Cabinet	Voted	190.69		190.69	53
54. {É lla ɰÉ	£ÉÉÉ®iÉ	54. Police	Charged	0.50		0.50	54-55
	°ÉÉBÉEBÉ		Voted	0.02	0.02	0.04	
55. MÉR: àÉMÉTÉ BÉTÄ	a . 	55. Other Expenditure of the					
+ÉxªÉ BªÉªÉ	° ÉÉBÉEBÉ	Ministry of Home Affairs	Voted	0.03	0.01	0.04	57-58
aktivété °épetévévé étépété°é akyitéatªé		MINISTRY OF HUMAN					
		RESOURCE DEVELOPMENT					
58. ° kíb áttót¶tFtt +tt®		58. Department of School					
°ÉEFÉ®IÉÉ ÉÊÉEÉÉMÉ	°ÉÉBÉBIÉ	Education and Literacy	Voted	70.02		70.02	59-60
59. =SSÉ ÉMÉFÉÉ ÉÉÉÉÉMÉ	° ÉÉBÉERÉ	59. Department of Higher Education	Voted	69.71		69.71	61-63
°ÉDÉXÉÉ A´ÉÆ ɰÉÉ®hÉ àÉJJÉÉãɪÉ		MINISTRY OF INFORMATION					
		AND BROADCASTING					
60. °É S ÉxÉÉ A´ÉÆ ɰÉÉ®hÉ àÉ J EÉãɪÉ		60. Ministry of Information					
	° ÉÉBÉBiÉ	and Broadcasting	Voted	75.43		75.43	64
g íaí +ff@ ®thínít® ath ffafaí		MINISTRY OF LABOUR					
y		AND EMPLOYMENT					
61. géaé +éé® ®ÉWéMé® algetéaé	° ÉÉBÉERÉ	61. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.02		0.02	65
ífíífí . ífe "affat »fælfafaf							
ÍÍÍÍÍÍ +ÍÍ® vªÍÍªÍ á<i>g</i>IÍáͪÍ 64. ÍÍIÍÍÍͪÍÍNÍ-EÍÍ®Í BÉIÍ		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
o4. ttttki ttir-ttt it bitt =SSÉiÉàÉ xaÉfaÉfaíaÉ	£ÉÉÉήiÉ	64. Appropriation - Supreme	CI I	17.50		15.50	
=220100 X_II_IIQI_I	IIIIIII	Court of India	Charged	17.53		17.53	66
°ÉDAÉ, ãÉPÉÖ+ÉE® AÉVªÉAÉ		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND					
=tĺáť ak j úťáľ		MEDIUM ENTERPRISES					
65. °ÉÐàÉ, ãÉPÉÖA ÉÆàÉvªÉàÉ		65. Ministry of Micro, Small and					
=tÉàÉ àÉÆÉāɪÉ	°ÉÉBÉEBÉ	Medium Enterprises	Voted	0.03		0.03	67
+Éã(ɰÉ J IªÉBÉE àÆÁLÁÉBÁÁJHÉÁɪÉ		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
67. +Éã{ɰÉЪÉBÉE àÉÉàÉãÉäáJÆÉáɪÉ	° ÉÉBÉEBÉ	67. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01		0.01	68
xÉ ÉBBÉ IÉIÉ XÉ ÉBBÉE®hÉBBÉ		MINISTRY OF NEW AND					
>d/ffÇà f# fáf ^a f		RENEWABLE ENERGY					
68. xÉ ÉÉDNÉ IÉ I ÉE XÉ ÉÉDNÉE® hÉEDNÉ		68. Ministry of New and					
>oVÉEÇ à£ y EÉãɪÉ	° ÉÉBÉEBÉ	Renewable Energy	Voted	0.01		0.01	69
+ŒŔŒŒŶŒŎŒŒŒŒŒŒŒ		MINICTRY OF OVERCEAS					
TIME II LIVITI TILVE DILE EÇALGILAR E		MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS					
69. +ÉÉRÉ TÉ °ÉÉD ÉÉE®IÉÉDÉ BÉEɪÉÇ		69. Ministry of Overseas					
àÉ f ÉÉãÉ ^a É	° ÉÉBÉERÉ	Indian Affairs	Voted	6.50		6.50	70
utjuttat t	LLULLINL	nidai Ailais	voicu	0.50		0.50	70
(ÉÆÆÉ¹ÉiÆÖ®ÉVÉ a £ JÆÉãɪÉ		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
70. {É s té ^a éitélő®évé àÉstéáé ^a é	° ÉÉBÉERÉ	70. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.01		0.01	71
BHHABE, affat Elphitatati +EE		MINICTOV OF DEDCOMMET DURING					
oumanne, auser equant ett +ue* {É S fxÉ a É JÉÉâɪÉ		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
72. BEEEEDEBEE, ãÉEBEE ENJEBEEE °ÉIÉ +ÉE®		72. Ministry of Personnel, Public					
72. bittabit, atlat typbit in File {ɶÉxÉ àÉÆÉÉãɪÉ	° ÉÉBÉERÉ	Grievances and Pensions	Voted	10.07		10.07	72
(rdieve ariterat r	LLVLLIVL	One various and 1 cholons	voicu	10.07		10.07	12

(BÉE®ÉN âÓÉA Rupees in crore) ®ÉVɺ É {ÉMÉD VÉÉŽ **(K**~ àÉINÍ °ÉAIªÉ +ÉÉ® ¶ÉINÉIÐÉ No. and Title of Demand Capital **Total Page** Revenue (**ía lib**árták + lie | libánbárbát niet akultáfat MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 73. {É**ä ÁbÉ**áÉaÉáÉ +ÉÉ® |ÉÉ**BÉEB**ÍÉBÉE 0.01 14838.12 73. Ministry of Petroleum and Natural Gas Voted 14838.11 73 ° ÉÉBÉERÉ MÉPÉ àÉÆÉÉãɪÉ aÉÉNÉKÉ AÉMÉÉAÉaÉ MINISTRY OF PLANNING 74. ªÉÉVÉXÉÉ àÉJEÉÉ ãÉ ªÉ ° ÉÉBÉERÉ 197.01 74. Ministry of Planning Voted 197.00 0.01 74 ÉÉÉTÉÖÉ AÉMÉÉAÉPÉ MINISTRY OF POWER °ÉÉBÉERÉ 75. ÉÉÉTÉ**Ö**É àÉ**J**EÉÉãɪÉ 75. Ministry of Power Voted 1.82 179 63 181 45 75-76 ®ÉKJ ÁÉÉÉÉ, °ÉÆÉN, °ÉÆÉ ãÉÉBÉE THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION °ÉÆÉ +ɰÉMÉ +ÉÉ® ={É-®ÉK] ÅÉÉÉ PUBLIC SERVICE COMMISSION AND BÉTÉ °ÉTŠÉ TÉTAɪÉ THE SECRETARIAT OF THE **VICE - PRESIDENT** 77. ãÉÉBÉE °ÉÉÉÉ 77. Lok Sabha Voted 11.00 11.00 77 78. ®ÉVªÉ °ÉÉÉÉ £ÉÉÉ®iÉ 78. Rajya Sabha Charged 0.01 0.01 78 ° ÉÉBÉERÉ Voted 33.01 33.01 °É½BÉE {ÉÉÊ®ÉCXÉ IÉIÉ MINISTRY OF ROAD TRANSPORT ®ÉVÉ**àÉÍNÍ**Ç àÉ**JÉ**ÉãɪÉ AND HIGHWAYS 81. °É½BÉE {ÉÉÊ®ÉCXÉ IÉIÉÉ 81. Ministry of Road Transport ° 'ÉÉBÉFRÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉ**J**EÉÉãɪÉ and Highways Voted 485.15 731.38 1216.53 79-80 OÉÉAÉÉDÉ ÉÉÉBÉTɰÉ AÉMÉÉAɪÉ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 82. DÉÉAÉÉDÉ ÉÉÉBÉEɰÉ ÉÉÉÉÉMÉ ° ÉÉBÉFRÉ 82. Department of Rural Development 0.02 0.02 Voted 81 ÉÉÉYÉÉXÉ +ÉÉ® |ÉÉ**tÉÉÁÁBÉ**ÉÓAÉ**J**ÉÉÃɰÉ MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 85. ÉÉÉYÉÉXÉ +ÉÉ® 85. Department of Science |ÉÉ&TÉÉ**ÉNÉ**BÉEÉÒ ÉÊÉEÉÉNÉ ffff**®**if and Technology Charged 0.03 0.03 82-83 ° ÉÉBÉEBÉ Voted 0.01 0.01 ° ÉÉBÉEBÉ 86. ÉVÉLÉKÉBÉE +ÉLÉ® +ÉLÉTÉLÉMÉBÉE 86. Department of Scientific and +ÉxÉÖÉMÉÉXÉ ÉÊÉÉÉNÉ Industrial Research Voted 0.02 0.02 84 ° ÉÉBÉEBÉ 87. Department of Biotechnology Voted 0.02 0.02 85 MINISTRY OF SHIPPING 88. {ÉÉJÉ {ÉÉJ®ÉCXÉ àÉJÆÉÃɪÉ ° ÉÉBÉERÉ 88. Ministry of Shipping Voted 638.60 0.01 638.61 86-87 offaffffyfff xaffaf +ff@ MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 89. °ÉÉÀÉÉÉÍVÉBÉE xªÉɪÉ +ÉÉ® 89. Ministry of Social Justice ° ÉÉBÉERÉ +ÉÉBÉBÉEÉÉB°IÉÉ àÉJEÉEãɰÉ 0.03 0.03 and Empowerment Voted 88 +ÉxiÉÉÉFÉ ÉÉÉÉÉNÉ DEPARTMENT OF SPACE ° ÉÉBÉERÉ 90. +ÉxiÉÉÉFÉ ÉÉÉÉÉMÉ 90. Department of Space Voted 0.01 0.01 89 सांख्यिकी और कार्यक्रम MINISTRY OF STATISTICS AND BÉHÉPÉÉR ÉPÉNÉ AÉMÉÉAÉPÉ PROGRAMME IMPLEMENTATION 91. सांख्यिकी और कार्यक्रम 91. Ministry of Statistics and ° ÉÉBÉEBÉ BÉEɪÉÉR ɪÉxÉ àÉAFÉÉãɪÉ 0.04 0.04 90 Programme Implementation Voted BÉE{ɽÉ àÉ#ÉÉãɪÉ MINISTRY OF TEXTILES °ÉÉBÉERÉ 93. BÉE{ɽÉ àÉÆÉÃɪÉ 210.02 93. Ministry of Textiles Voted 210.02 91

(BÉE®ÉN âÓÉA Rupees in crore) ®ÉVɰÉ {ÉMÉÓ VÉÉ 162 (ÉKàÉMÉ °ÉAªÉ +ÉÉ® ¶ÉMÉRÉ Page No. and Title of Demand Revenue Capital **Total** {ɪÉQ xÉ àÉÆÉãɪÉ MINISTRY OF TOURISM ° ÉÉBÉERÉ 94. {ɪÉQ xÉ àÉÆÉÉãɪÉ 94. Ministry of Tourism Voted 0.01 0.01 93 VÉXÉVÉÉÉÉ BÉHɪÉÇAÉJHÉÉAɪÉ MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 95. VÉxÉVÉÉÉÉÉ BÉEÉ^aÉÇ àÉAEÉÉãÉ^aÉ ° ÉÉBÉERÉ 95. Ministry of Tribal Affairs Voted 23.26 23.26 94 oéré ®évªé Féré UNION TERRITORIES (ÉÉVÉXÉ-àÉBB a É®ÉC i É) (WITHOUT LEGISLATURE) 96. +ÉAB àÉÉXÉ +ÉÉ® ÉRÉBÉEÉÆÉ® 96. Andaman and Nicobar uÉČɰÉàÉÉ ° ÉÉBÉERÉ Islands Voted 14.83 14.83 95-96 97. SÉABÉDÉ, 97. Chandigarh Charged 4.03 4.03 97 ° ÉÉBÉERÉ Voted 70.97 70.97 ... 98. nén®é +ÉÉ® xÉÉM® c´ÉãÉÉÒ °ÉÉBÉERÉ 98. Dadra and Nagar Haveli Voted 150.00 150.00 98 99. nàÉxÉ +ÉÉ® nÉÒÉ °ÉÉBÉERÉ 99. Daman and Diu Voted 135.00 135.00 99 ¶Éc®ÉDÉÉÉÉÉÉ àÉÆÉãɪÉ MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT £ÉÉÉ®iÉ 101. Department of Urban Development 3.61 3.61 100-101 Charged ° ÉÉBÉERÉ Voted 0.01 166.89 166.90 °ÉÉBÉERÉ 102. ãÉÉBÉE ÉBÉAÉÉDE BÉEÉAÉC 102. Public Works Voted 62.24 86.24 24.00 102 103. ãÉÐ ÉXÉ °ÉÉ À ÉOÉ É DA ÉÆ À ÉÐ ÞÉ °ÉÉBÉERÉ 103. Stationery and Printing Voted 10.06 10.06 103 Véaé °éatévéxé atatéaéaé MINISTRY OF WATER RESOURCES ° ÉÉBÉERÉ 104.VÉãÉ °ÉRÉÉVÉXÉ ÀÉAÉÉÃɪÉ 104. Ministry of Water Resources Voted 0.02 0.02 104 aHEaH +HE ×HaH HINH MINISTRY OF WOMEN AND àÉÆÉãɪÉ CHILD DEVELOPMENT 105.àÉÉEãÉ +ÉÉ® ¤ÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉ 105. Ministry of Women and Child àÉÆÉÉãɪÉ ° ÉÉBÉERÉ 0.02 0.02 105 Development Voted MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS 106. ªÉÖÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉ® JÉãÉ àÉÆÉÃɪÉ °ÉÉÐÉGÉ 106. Ministry of Youth Affairs and Sports Voted 0.01 0.01 106 BÉBBÉ VÉÉM2 GRAND TOTAL 52897.78 377330.86 430228.64 £ÉÉÉ®iÉ 11948.56 369559.58 381508.14 Charged ° ÉÉBÉERÉ Voted 40949.22 7771.28 48720.50 +ÉxÉGÉAE ANNEXURE 107

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	17450.67		72.20	17522.87
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.64			0.64
	स्वीकृत:		Voted:	0.03			0.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.04			0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		17451.38		72.20	17523.58
	भारित:		Charged:	0.64			0.64
	स्वीकृत:		Voted:	17450.74		72.20	17522.94
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीर्षी व	के अंतर्गत दिर	बाया जाये	गा:	
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for und	ler the follow	ing Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:	0.01	(क a)		0.01
2425 - सहकारिता	स्वीकृत:	2425 -Co-operation	Voted:	0.01	(खb)		0.01
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत:	2435 -Other Agricultural Programmes	Voted:	0.01	(गc)		0.01
2552 - पूर्वीत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(घd)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.04			0.04
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित	हेतु अपेक्षित	है: The su	pplementary g	rants are red	quired for		
(क) (i) मौसम आधारिक	त फसल ब	ग्रीमा योजना के तहत अतिरिक्त (a)	(i) additio	nal Contrib	outions	(` 189.06 c	rore) under
अंशदान हेतु (`	189.06 करे	। इ):	Weath	er-based Cro	n Insurar	nce Scheme;	

- - (ii) राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (` 10 करोड़) और राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (` 50 करोड़) और जनजातीय उप आयोजना (` 50 करोड़) के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति हेत्।
 - एकीकृत तिलहन/आयल पाम/दलहन और मक्का विकास के (iii) अतिरिक्त तहत सहायता अनुदान हेतु (` 15 करोड़); तथा
 - (iv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति हेतु (20.61 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- meeting additional Grants-in-aid-General for National (ii) Mission on Micro Irrigation (* 10 crore) and additional Grants-in-aid-General for Scheduled Castes sub-plan (50 Crore) and Tribal Sub Plan (50 Crore) under the scheme National Mission on Micro Irrigation;
- (iii) additional Grants-in-aid-General (` 15 crore) under Integrated Oilseed/Oilpalm/Pulses Maize Development; and
- meeting additional Grants-in-aid-General (* 20.61 crore) (iv) under Rashtriya Krishi Vikas Yojna.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(c)

(d)

- (ख) 'सहकारी सिमितियों के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता' योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति हेतु (` 6 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) (i) 'ग्रामीण गोदाम निर्माण' योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (` 15 करोड़) और ग्रामीण गोदाम निर्माण योजना के तहत अनुसूचित जातियों (` 34 करोड़) और जनजातीय उपयोजना (` 1 करोड़) के लिए विशेष संघटक आयोजना हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति के लिए:
 - (ii) अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (` 23 करोड़) और 'बाजार का विकास, अवसंरचना, ग्रेडीकरण और विपणन मानकीकरण' योजना के जातियों तहत अन्सूचित (` 45 करोड़) और जनजातीय उप आयोजना (` 2 करोड़) के लिए विशेष संघटक आयोजना हेत् अतिरिक्त सामान्य सहायता की पूर्ति हेतु; तथा
 - (iii) 'छोटे किसानों का कृषि कारोबार संघ' योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति हेतु (` 15 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) (i) 'बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण' योजना हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (` 2.25 करोड़), पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान (` 0.12 करोड़) जारी करने के लिए; और
 - (ii) 'फसल पश्च प्रौद्योगिकी' योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (` 4 करोड़);
 - (iii) 'किसानों के खेत में बागवानी उपस्कर सहित नव-विकसित कृषि उपस्कर की आऊटसोर्सिंग और प्रदर्शन' योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेत् (`3.87 करोड़);
 - (iv) 'सहकारी समितियों के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता' योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (` 1 करोड़); और
 - (v) जनजातीय उप आयोजना के लिए पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (` 27 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- meeting additional Grants-in-aid-General (` 6 crore) under the scheme 'Assistance to National Cooperative Development Corporation for Development of Cooperatives'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) meeting additional Grants-in-aid-General (` 15 Crore) under the scheme 'Construction of Rural Godowns' and additional Grants-in-aid-General for Scheduled Castes sub-plan (` 34 Crore) and Tribal Sub Plan (` 1 Crore) under the scheme Construction of Rural Godowns;
 - (ii) meeting additional Grants-in-aid-General (* 23 Crore) under the scheme 'Development of Market, infrastructure, grading and marketing standardisation' and additional Grants-in-aid-General for Scheduled Castes sub-plan (* 45 Crore) and Tribal Sub Plan (* 2 Crore) under the scheme Development of Market, infrastructure, grading and marketing standardisation; and
 - (iii) meeting additional Grants-in-aid-General (` 15 crore) under the scheme 'Small Farmers Agri-business Consortium'.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) release of additional Grants-in-aid-General (* 2.25 crore), Grants for Creation of Capital Assets (* 0.12 crore) for the scheme 'Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds':
 - (ii) release of additional Grants-in-aid-General (` 4 crore) for the scheme 'Post Harvest Technology';
 - (iii) release of additional Grants-in-aid-General (* 3.87 crore) for the scheme 'Outsourcing and demonstration of newly developed agricultural equipment including horticulture equipment at farmer's field';
 - (iv) release of additional Grants-in-aid-General (` 1 crore) for the scheme 'Assistance to National Cooperative Development Corporation for Development of Cooperatives'; and
 - (v) release of additional Grants-in-aid-General (` 27 crore) under the scheme Horticulture Mission for North East and Himalayan States for Tribal Area Sub-Plan.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कृषि अन्संधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान :		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	4966.14				4966.14
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमानः		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	50.03				50.03
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	5016.19				5016.19
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीष	ं के अंतर्गत	दिखाया	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for u	nder the fol	lowing M	lajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3451 - सचिवालय- आर्थिक	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:			0.01	(कa)	0.01
सेवाएं								
2415 - कृषि अनुसंधान और	स्वीकृत:	2415 -Agricultural Research and	Voted:	50.00	(खb)	0.01	(गc)	50.01
शिक्षा		Education						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(घd)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	50.01		0.02		50.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग स्कीम के तहत वेतनों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (`0.16 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (ख) (i) कृषि विस्तार स्कीम के तहत (` 132.69 करोड़), कृषि शिक्षा
 (` 1.00 करोड़), पुकोडे, केरल स्थित केरल पशु चिकित्सालय
 तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (` 50.00 करोड़) राष्ट्रीय कृषि
 नवोन्मेषी परियोजना/बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं/स्कीमों
 (` 14.70 करोड़) और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान
 (` 7.48 करोड़) के अन्तगर्त सामान्य सहायता अनुदान।
 - (ii) फसल विज्ञान संस्थान स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन (` 66.33 करोड़), बागवानी संस्थान (` 61.69 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (` 16.07 करोड़), कृषि में मूलभूत कार्य नीतिक तथा फ्रंटियर अनुप्रयोग की राष्ट्रीय निधि हेतु (` 23.06 करोड़), केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (` 3.45 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन संस्थानों (` 30.86 करोड़), मौसम आधारित कृषि पहल (` 3.80 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (` 102.34 करोड़), मत्स्यकी संस्थान (` 66.56 करोड़) के लिए अनुदान।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure on Salaries under the scheme Department of Agricultural Research & Education (` 0.16 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) Grants-in-aid-General under the scheme Agricultural Extension (* 132.69 crore), Agricultural Education (* 1.00 crore), Kerala Veterinary & Animal Sciences University at Pookode, Kerala (* 50.00 crore), National Agricultural Innovation Project/Externally Aided Projects/Schemes (* 14.70 crore), and Other Natural Resource Management Institutes (* 7.48 crore).
 - (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (* 66.33 crore), Horticulture Institutes (* 61.69 crore), Agricultural Engineering Institutes (* 16.07 crore), National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (* 23.06 crore), Central Soil and Water Conservation Institutes (* 3.45 crore), Other Natural Resource Management Institutes (* 30.86 crore), Climate Resilient Agricultural Initiative (* 3.80 crore), Animal Science Institutes (* 102.34 crore), Fisheries Institutes (* 66.56 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (` 530.03 करोड़) को ध्यान में रखते हुए इस पूरक में निवल नकद व्यय (` 50.00 करोड़) होगा।

- (ग) (i) फसल विज्ञान संस्थान (` 25.79 करोड़), बागवानी संस्थान (` 7.13 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मुख्यालय प्रशासन (` 11.93 करोड़), केंद्रीय मृदा एवम् जल संरक्षण संस्थान (` 0.26 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन संस्थानों (` 28.66 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (` 1.63 करोड़) हेत् सामान्य सहायता अनुदान।
 - (ii) फसल विज्ञान संस्थान (` 0.37 करोड़), बागवानी संस्थान (` 0.52 करोड़), कृषि शिक्षा (` 0.06 करोड़), कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी संस्थान (` 0.04 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (` 0.29 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन (` 1.34 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन संस्थान (` 1.23 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (` 0.44 करोड़) तथा मात्स्यिकी संस्थाओं (` 2.97 करोड़) की स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पतियों के मृजन हेतु अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

- (घ) (i) मौसम आधारित कृषि पहलों की स्कीम के तहत(`0.01 करोड़) तथा मात्स्यिकी (`2.00 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान।
 - (ii) फसल विज्ञान संस्थान (` 0.79 करोड़), बागवानी संस्थान (` 3.72 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग (` 0.24 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन संस्थानों (` 13.35 करोड़) तथा पशु विज्ञान संस्थान (` 8.11 करोड़) स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के स्जन हेतु अनुदान

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- Taking into account the savings available (` 530.03 crore) in the same section of the Grant, this supplementary will entail a net cash outgo (` 50.00 crore).
- (i) Grants-in-aid-General under the scheme Crop Science Institutes (* 25.79 crore), Horticulture Institutes (* 7.13 crore), Indian Council of Agricultural Research Headquarter Admn.(* 11.93 crore), Central Soil and Water Conservation Institutes (* 0.26 crore), Other Natural Resource Management Institutes (* 28.66 crore), Animal Science Institutes (* 1.63 crore).
 - (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Crop Science Institutes (* 0.37 crore), Horticulture Institutes (* 0.52 crore), Agricultural Education (* 0.06 crore), Agricultural Economics & Statistics Institutes (* 0.04 crore), Agricultural Engineering Institutes (* 0.29 crore), Indian Council of Agricultural Research Headquarter Admn.(* 1.34 crore), Other Natural Resource Management Institutes (* 1.23 crore), Animal Science Institutes (* 0.44 crore) and Fisheries Institutes (* 2.97 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- Grants-in-aid General under the scheme Climate Resilient Agriculture Initiative (* 0.01 crore) and Fisheries (* 2.00 crore).
- (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Crop Science Institutes (* 0.79 crore), Horticulture Institutes (* 3.72 crore), Agricultural Engineering (* 0.24 crore), Other Natural Resource Management Institutes (* 13.35 crore) and Animal Science Institutes (* 8.11 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पश् पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 2 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान :		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2021.21		16.74		2037.95
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted	2021.25		16.74		2037.99
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षो	ं के अंतर्गत	दिखाया उ	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for u	nder the foll	owing Ma	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
२४०३ - पशु पालन	स्वीकृत:	2403 -Animal Husbandry	Voted:	0.01	(क a)			0.01
2404 - डेयरी विकास	स्वीकृत:	2404 -Dairy Development	Voted:			0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.01		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय मवेशी और भैस प्रजनन परियोजना की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (`10.00 करोड़)।
 - (ii) अनुसूचित जातियों की उप-योजना के लिए राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (1.62 करोड़)।
 - (iii) क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (`3.05 करोड़)।
 - (iv) व्यावसायिक दक्षता विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (` 0.40 करोड़)।
 - (v) शूकर विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (`3.55 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के तहत विभिन्न दुग्ध संघ/सहकारी समितियों को भुगतान हेतु अधिप्राप्ति के तहत आपूर्ति एवं सामग्री पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 31.28 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

-) (i) Grants-in-aid-General under the scheme for National Project for Cattle and Buffalo Breeding (` 10.00 crore).
 - (ii) Grants-in-aid-General under the scheme for National Project for Cattle and Buffalo Breeding for Scheduled Castes Sub-Plan (` 1.62 crore).
 - (iii) Grants-in-aid-General under the scheme for Regional Disease Diagnostic Laboratories (` 3.05 crore)
 - (iv) Grants-in-aid-General under the scheme for Professional Efficiency Development (* 0.40 crore).
 - (v) Grants-in-aid-General under the scheme for Piggery Development (* 3.55 crore).
 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- For meeting additional expenditure on Supplies & Material under Procurement for payment to different Milk Union/Cooperative Societies under Delhi Milk Scheme (` 31.28 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत:		Voted:	5636.41	3448.85	9085.26
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.01	0.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	भारित:		Charged:		16.60	16.60
	स्वीकृत:		Voted:	0.03	***	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5637.46	3466.46	9103.92
	भारित:		Charged:	1.00	17.60	18.60
	स्वीकृत:		Voted:	5636.46	3448.86	9085.32
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब वि	नेम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगाः	
		II This Cumplementers Creat/Appropriet	مم مط النبي مم	sounted for unde	r the following Major II	anda.

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न		जोड़ Total
राजस्य भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				Non-Plan		
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
३४०१ - परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत:	3401 -Atomic Energy Research	Voted:			0.01	(गc)	0.01
अनुसंधान								
जोड़ (राजस्व भाग) <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	Voted:	0.01		0.02		0.03
9 4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	भारित:	4861 - Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Charged:	16.60	(घd)			16.60
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		16.61		0.02		16.63
	भारित:		Charged:	16.60				16.60
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.02		0.03

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) इलेकट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 20 करोड़)।
 - चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) निम्निलिखित में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (` 33.51 करोड़) (ii) न्यूक्लीयर फ्यूल कॉम्पलेक्स (` 28 करोड़)। (iii) विकरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (` 4 करोड़)। और (v) डीएई परियोजनाएं (` 2.61 करोड़)।
 - चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Grants for creation of Capital Assets to Electronics Corporation of India Limited (` 20 crore).
 - As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - meeting additional expenditure in respect of (i) Bhabha Atomic Research Centre (* 33.51 crore), (ii) Nuclear Fuel Complex (* 28 crore), (iii) Board of Radiation and Isotope Technology (* 4 crore) and (iv) DAE Projects (* 2.61 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग) (i) निम्नलिखित के संदर्भ में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (1) परमाण् ऊर्जा विनियामक बोर्ड ((` 0.55 करोड़) (2) भाभा परमाण् अनुसंधान केन्द्र (` 6.18 करोड़) (3) इंदिरा गांधी परमाण् अनुसंधान केन्द्र (` 0.48 करोड़) (4) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (2.34 करोड़), (5) वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रान सेंटर (` 0.99 करोड़) (6) खरीद एवं स्टोर्स निदेशालय (2.50 करोड़)। (7) सामान्य सेवा संगठन (3.71 करोड़), (8) निमार्ण तथा सम्पदा प्रबन्धन निदेशालय (` 8.31 करोड़) और (ii) निम्नलिखित को वेतन सहायता अनुदान प्रदान करना (1) टाटा इन्स्टीटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (` 147.77 करोड़) (2) टाटा मेमोरियल सेंटर (` 153.95 करोड़) (3) साहा इन्स्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स (` 48.70 करोड़) (4) इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स (9.75 करोड़) (5) इन्स्टीट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंस (14.09 करोड़), (6) हरिश चन्द्र अनुसंधान संस्थान (` 8 करोड़) (7) इन्स्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च (32.53 करोड़) (8) एटॉमिक एनर्जी एज्यूकेशन सोसाइटी, हैदराबाद (6.90 करोड़) और (9) एटोमिक एनर्जी एज्यूकेशन सोसायटी, मुम्बई (33.60 करोड़)।

> चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(घ) न्यायालय आदेश की अनुपालना में 21 भूमि अधिग्रहण मामलों में रेअर मिटिरियल प्लांट, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मैसूर द्वारा अधिग्रास की गई भूमि हेतु वर्धित क्षतिपूर्ति संबंधी व्यय की पूर्ति। इस हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त किया गया जिसे इस पूरक अनुदान के पारित होने के बाद निधि को प्रतिपूर्ति कर दिया जाएगा।

अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।

(i) meeting additional expenditure in respect of (1) Atomic Energy Regulatory Board (` 0.55 crore), (2) Bhabha Atomic Research Centre (* 6.18 crore), (3) Indira Gandhi Centre for Atomic Research (` 0.48 crore), (4) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (* 2.34 crore), (5) Variable Energy Cyclotron Centre (* 0.99 crore), (6) Directorate of Purchase and Stores (* 2.50 crore), (7) General Services Organisation (* 3.71 crore), (8) Directorate of Construction and Estate Management (` 8.31 crore) and (ii) providing Grants-in-Aid-Salaries to (1) Tata Institute of Fundamental Research (* 147.77 crore), (2) Tata Memorial Centre (` 153.95 crore), (3) Saha Institute of Nuclear Physics (* 48.70 crore), (4) Institute of Physics (* 9.75 crore), (5) Institute of Mathematical Sciences (* 14.09 crore), (6) Harish-Chandra Research Institute (` 8 crore), (7) Institute for Plasma Research (* 32.53 crore), (8) Atomic Energy Education Society, Hyderabad (* 6.90 crore), and (9) Atomic Energy Education Society, Mumbai (` 33.60 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure on enhanced compensation for land acquired by Rare Material Plant, Bhabha Atomic Research Centre, Mysore in 21 land acquisition cases in compliance of court's order. An advance for this purpose was obtained from the Contingency Fund of India, which shall be recouped to the fund after this supplementary grant is passed.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं

NUCLEAR POWER SCHEMES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

(करोड रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: 8308.98 स्वीकृत: Voted: 1087.40 9396.38 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 312.34 312.34 जोड़ (मूल और पूरक) स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary) Voted: 8621.32 1087.40 9708.72 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड Plan भिन्त Total Non-Plan राजस्य भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2801 - वियुत स्वीकृत: 2801 -Power Voted: 312.34 312.34

यह पूरक अनुदान निम्निलिखित हेतु अपेक्षित है: विदेशों से ईंधन की विधित देशी आपूर्ति और अधिप्राप्ति पर व्यय (` 312.44 करोड़) की पूर्ति हेतु । चूंिक अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत (` 0.10 करोड़) और पूंजी भाग के अन्तर्गत (` 183.90 करोड़) की बचतें उपलब्ध हैं तथा व्यय की अतिरिक्त प्राप्तियों (` 53.67 करोड़) से प्रतिपूर्ति किया जाएगा, इसमें नकद व्यय (` 74.77 करोड़) होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure on increased indigenous supply and procurement of fuel from overseas countries (* 312.44 crore). As savings of (* 0.10 crore) are available within the same section of the Grant and (* 183.90 crore) crore under Capital section; and expenditure matched by additional receipts of (* 53.67 crore), this will entail net cash outgo of (* 74.77 crore).

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 5 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

							(करोड़ रुपर	मे Rupee	es in Crore)
						राजस्व	पूंजी		जोड़
						Revenue	Capital		Total
१. मूल .	अनुदान :		I. ORIGINAL GRANT:						
		स्वीकृत:			Voted:	53619.46	217.54		53837.00
पूरक अ	भनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
		स्वीकृत:			Voted:	13778.93			13778.93
इस सम	मय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of th	e amour	nt				
पूरक अ	न्तुमान:		now required:						
		स्वीकृत:			Voted:	7201.07			7201.07
जोड़ (म	मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementar	y)	Voted:	74599.46	217.54		74817.00
			II. इस पूरक अनुदान का हिसाब	निम्नर्लि	खेत मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिख	ाया जायेगाः		
			II. This Supplementary Grant	will be a	ccounted for un	nder the followin	ng Major Heads:		
						आयोजना	आयोजना-		जोड़
						Plan	भिन्न		Total
							Non-Plan		
राजस्व	भाग		REVENUE SECTION						
<i>राजस्व</i> मुख्य १			REVENUE SECTION MAJOR HEAD						
मुख्य १		स्वीकृत:			Voted:		4101.07	(ক a)	4101.07
मुख्य १	शीर्ष कृषि कार्य	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD		Voted: Voted:		4101.07 3100.00	(কa) (खb)	4101.07 3100.00
मुख्य १ 2401 -	शीर्ष कृषि कार्य उद्योग	•	MAJOR HEAD 2401 -Crop Husbandry			 		` ,	
मुख्य १ 2401 - 2852 - जोड़ (पृ	शीर्ष कृषि कार्य उद्योग ऱ्रक)	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2401 -Crop Husbandry 2852 -Industries Total (Supplementary)	The s	Voted: Voted:		3100.00 7201.07	` ,	3100.00
मुख्य १ 2401 - 2852 - जोड़ (प् यह पूरव	शीर्ष कृषि कार्य उद्योग (एक) क अनुदान निम्नलिखित	स्वीकृतः स्वीकृतः हेतु अपेक्षित	MAJOR HEAD 2401 -Crop Husbandry 2852 -Industries Total (Supplementary)		Voted: Voted: upplementary of	 grants are requi	3100.00 7201.07 red for:	(खb)	3100.00 7201.07
मुख्य १ 2401 - 2852 - जोड़ (पृ	शीर्ष कृषि कार्य उद्योग एक) क अनुदान निम्नलिखित (i) आयात उर्वरकों १	स्वीकृतः स्वीकृतः हेतु अपेक्षित पर सब्सिडी (MAJOR HEAD 2401 -Crop Husbandry 2852 -Industries Total (Supplementary) है:	The s	Voted: Voted: upplementary c (i) subsid	 grants are requi y on imported fe	3100.00 7201.07 red for: ertilisers (` 200.0	(u b) 0 crore).	3100.00 7201.07
मुख्य १ 2401 - 2852 - जोड़ (प् यह पूरव	शीर्ष कृषि कार्य उद्योग १२क) क अनुदान निम्नलिखित (i) आयात उर्वरको प	स्वीकृतः स्वीकृतः हेतु अपेक्षित पर सब्सिडी (MAJOR HEAD 2401 -Crop Husbandry 2852 -Industries Total (Supplementary)		Voted: Voted: upplementary c (i) subsid	 grants are requi y on imported fe	3100.00 7201.07 red for:	(u b) 0 crore).	3100.00 7201.07
मुख्य १ 2401 - 2852 - जोड़ (प् यह पूरव	शीर्ष कृषि कार्य उद्योग (एक) क अनुदान निम्नलिखित (i) आयात उर्वरकों ए (ii) आयात विनियंत्रि	स्वीकृतः स्वीकृतः हेतु अपेक्षित पर सब्सिडी (त उर्वरकों पर	MAJOR HEAD 2401 -Crop Husbandry 2852 -Industries Total (Supplementary) है:		Voted: Voted: upplementary g (i) subsid (ii) subsid crore). (iii) subsid	grants are requi y on imported fo y on imported	3100.00 7201.07 red for: ertilisers (` 200.0	(堰b) 0 crore). tilisers(3100.00 7201.07
मुख्य १ 2401 - 2852 - जोड़ (प् यह पूरव (क)	शीर्ष कृषि कार्य उद्योग (स्क) क अनुदान निम्नलिखित (i) आयात उर्वरको । (ii) आयात विनियंत्रि (iii) इंडिजेनस विनियं	स्वीकृतः स्वीकृतः हेतु अपेक्षित पर सब्सिडी (त उर्वरकों पर	MAJOR HEAD 2401 -Crop Husbandry 2852 -Industries Total (Supplementary) है: (* 200.00 करोड़)। र सब्सिडी (* 3501.07 करोड़)। पर सब्सिडी (* 400.00 करोड़)।	(a)	Voted: Voted: upplementary (i) subsid (ii) subsid crore). (iii) subsid crore).	grants are requi y on imported fo y on imported y on indigenou	3100.00 7201.07 red for: ertilisers (` 200.0 decontrolled fer	(অdb) 0 crore). tillisers (3100.00 7201.07
मुख्य १ 2401 - 2852 - जोड़ (प् यह पूरव	शीर्ष कृषि कार्य उद्योग १२क) क अनुदान निम्नलिखित (i) आयात उर्वरको प (ii) आयात विनियंत्रि	स्वीकृतः स्वीकृतः हेतु अपेक्षित पर सब्सिडी (त उर्वरकों पर वित्रत उर्वरकों	MAJOR HEAD 2401 -Crop Husbandry 2852 -Industries Total (Supplementary) है: (* 200.00 करोड़)। र सब्सिडी (* 3501.07 करोड़)। पर सब्सिडी (* 400.00 करोड़)।		Voted: Voted: Voted: upplementary g (i) subsid crore). (iii) subsid crore). subsidy on ind	grants are requi y on imported for y on imported y on indigenou	3100.00 7201.07 red for: ertilisers (` 200.0 decontrolled fer	(অdb) 0 crore). tillisers (3100.00 7201.07

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1000.92	1393.00	2393.92
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	9.77		9.77
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	1010.70	1393.00	2403.70
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ज्य शीर्ष क <u>े</u>	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	r the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation	Voted:		9.77	9.77

यह पूरक अनुदान निम्नित्यित हेतु अपेक्षित है: हज चार्टर्स 2011 के प्रचालन के लिए सब्सिडी(` 85.00 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध (` 9.77 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में (` 75.23 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त ट्यय में नगद ट्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

Subsidy (`85.00 crore) for operation of Haj Charters 2011.

Taking into account the surrender of savings of ` 9.77 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ` 75.23 crore available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 7 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Rupees in C	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
/. मूल अनुदान :		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	468.72	30.00	498.72
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:		70.00	70.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the amount now				
का पूरक अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:		46.83	46.83
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	468.72	146.83	615.55
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जाये	ोगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under th	e following Majo	or Head:	
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4803 - कोयला और	स्वीकृत:	4803 - Capital Outlay on Coal and Lignite	Voted:		46.83	46.83
लिग्नाइट पर पूंजी						
परिव्यय						
						
		टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए ग		नीचे दर्शाई गयी	वस्तियों को शामिल नही	िकिया गया
		है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जा	ता है !			
		Note: The above estimates of additional requirement	s do not take in	ito account the rec	coveries shown below, which	ch are
		adjusted in reduction of expenditure.				

पूंजी भाग **CAPITAL SECTION**

4803 - कोयला और 4803 - Capital Outlay on Coal and Lignite (-) 46.83 (-) 46.83

लिग्नाइट पर पूंजी

परिव्यय

होगा।

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कोयला उत्पादन क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत "कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण" योजना में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के लिए अधिगृहित भूमि हेत् भूमि के बेदख़ल किए गए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु व्यय की पूर्ति हेत् है। चूँकि सीआईएल द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि सरकार को पहले ही जमा करी दी गई है, अतः व्यय की पूर्ति वर्धित वसूली से की जाएगी। वर्धित वसूली को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure for payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited (CIL) in the scheme of "Acquisition of Coal Bearing Areas" under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development), Act, 1957. As the compensation amount is deposited by CIL with Government in advance, the expenditure will be met through enhanced recovery.

Taking into account the enhanced recovery, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 8 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

Grants for the year 2011-2012	2 and page 8	3 of the Second Supplementary Demands	for Grants for th	ne year 201	1-2012)	
					(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	1.00		1.00
	स्वीकृत:		Voted:	5584.10	930.98	6515.08
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत:		Voted:	15.08		15.08
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	30.23		30.23
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5630.43	930.98	6561.41
	भारित:		Charged:	1.02		1.02
	स्वीकृत:		Voted:	5629.41	930.98	6560.39
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिर	षाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be acc				
		., .		आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
२४०७ - पौधारोपण	स्वीकृत:	2407 -Plantations	Voted:	30.22	(कa)	30.22
३४५३ - विदेशी व्यापार और	स्वीकृत:	3453 -Foreign Trade and Export	Voted:	0.01	(퍃 b)	0.01
निर्यात संवर्द्धन		Promotion				
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	30.23		30.23

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) उत्पाद विविधीकरण, कारखानों का आधुनिकीकरण, परम्परागत चाय विनिर्माण की संस्थापना, प्रमाणन, छोटे चाय उत्पादकों को प्रशिक्षण आदि के लिए गुणवत्ता तथा उत्पाद विविधीकरण योजना (क्यूयूपीडीएस) के कार्यान्वयन हेतु चाय बोर्ड को सब्सिडी प्रदान करना (`41.15 करोड़)। इसी भाग में उपलब्ध (`10.93 करोड़) की बचतों और अनुदान के पूंजी भाग से (`30.22 करोड़) के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) विश्व व्यापार संगठनों को अंशदान हेतु सहायता प्रदान करने के लिए(`4.58 करोड)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। The supplementary grants are required for:

- (a) Providing subsidy to Tea Board(` 41.15 crore) to implement the Quality and Product Diversification Scheme(QUPDS) for product diversification, modernization of Factories, installation of Orthodox tea manufacturing, certification, training to small Tea growers, etc. Taking into account the savings of ` 10.93 crore available in the same section and surrender of ` 30.22 crore from Capital Section of the Grant, this will not entail any cash outgo.
- (b) Providing assistance for Contribution to World Trade Organizations (* 4.58 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 10 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

-				-	•	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1481.01	8.00	1489.01
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.09		0.09
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1481.14	8.00	1489.14
	भारित:		Charged:	0.09		0.09
	स्वीकृत:		Voted:	1481.05	8.00	1489.05
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत वि	देखाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be account	unted for un	der the follo	wing Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:		0.01	(क a) 0.01
2885 - उद्योग और खनिजों	स्वीकृत:	2885 -Other Outlays on Industries and	Voted:	0.01	(खb)	0.01
पर अन्य व्यय		Minerals				
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद् को वेतन और चिकित्सा ट्यय के संबंध में (2 करोड़), (ii) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रशासनिक ट्यय की पूर्ति के संबंध में (1 करोड़) और (iii) कागज लुगदी और सम्बद्ध उद्योग विकास परिषद को वेतन भुगतान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में (0.03 करोड़)। चूँिक अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं; अत: सांकेतिक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी राज्य पैकेज के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 38.41 करोड़)। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः साकंतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (a) meeting additional expenditure towards providing Grants-in-aid Salaries to (i) National Council for Cement and Building Material (` 2 crore) towards salaries and medical expenses, (ii) Central Manufacturing Technology Institute (` 1 crore) towards meeting administrative expenses and (iii) Development Council for Paper Pulp and Allied Industries (` 0.03 crore) towards payment of salaries and other retirement benefits. As equivalent savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
 - meeting additional expenditure under Package for Special Category States for Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttrakhand (* 38.41 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Ru	upees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.10		0.10
	स्वीकृत:		Voted:	13522.26	518.12	14040.38
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.63	9.60	10.23
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the				
का पूरक अनुमान:		amount now required:				
	भारित:		Charged:	0.86		0.86
	स्वीकृत:		Voted:	240.06	0.01	240.07
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		13763.92	527.74	14291.66
	भारित:		Charged:	1.59	9.60	11.19
	स्वीकृत:		Voted:	13762.33	518.14	14280.47
		II are the series (ACM) at Am	- 	A 34.0 m	1- 0	

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्निलेखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3201 - डाक सेवाएं	भारित:	3201 - Postal Services	Charged:			0.86	(क a)	0.86
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(खb)	240.05	(गc)	240.06
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		0.01		240.91		240.92
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5201 - डाक सेवाओं पर पूंजी	स्वीकृत:	5201 - Capital Outlay on Postal	Voted:	0.01	(घd)			0.01
परिव्यय		Services						
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.02		240.91		240.93
	भारित:		Charged:			0.86		0.86
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		240.05		240.07

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (` 0.50 करोड़), मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (` 0.08 करोड़) और उच्च न्यायालय, कोलकाता (` 0.28 करोड़) जैसे विभिन्न न्यायाधिकरणों/न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है;
- (ख) 'ग्रामीण सूचना संचार प्रौयोगिकी (आईसीटी)-कनेक्टिविटी और सेवाएं कार्यकलाप के तहत कम्प्यूटरों और अवयवों के वार्षिक रख-रखाव पर (े 4.99 करोड़) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतूल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है;

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting additional expenses arising out of awards given by various tribunals/courts such as Central Administrative Tribunal, Chandigarh (* 0.50 crore), Motor Accidents Claims Tribunal (* 0.08 crore) and High Court, Kolkata (* 0.28 crore). As equivalent savings are available under the voted section of the grant, a technical supplementary is sought;
- (b) meeting additional expenses (* 4.99 crore) on annual maintenance of computers and peripherals under the activity 'Rural Information Communication Technology (ICT) connectivity and services'. As equivalent savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ग) वेतन (` 333.21 करोड़) और पेंशन (` 102 करोड़) के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ` 195.16 करोड़ की बचतों को दखते हुए ` 240.05 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा गया है। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) 'प्रोजेक्ट एरो' के तहत 250 डाकघरों में अवसंरचना विकास संबंध में ` 26 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- meeting additional expenditure on account of salaries (* 333.21 crore) and pensions (* 102 crore). Taking into account the savings of * 195.16 crore available in the Revenue section of the grant, supplementary for the balance amount of * 240.05 crore is sought. Taking into account the savings available in the capital section of the grant, this will not entail cash outgo.
- meeting additional expenditure of ` 26 crore towards development of infrastructure in 250 post offices under 'Project Arrow'. Taking into the account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

(करोड रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 8745.82 1027.96 9773.78 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary) Voted: 8745.83 1027.96 9773.79 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना-आयोजना जोड Plan भिन्त Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3275 - अन्य संचार सेवाएं स्वीकृत: 3275 -Other Communication Services Voted: 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

1947 से 1993 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दूरसंचार ट्रैफिक के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की ओर से पाकिस्तान टेलीकम्यूनिकेशन कम्पनी लिमिटेड को ` 63.32 करोड़ की अदायगी सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु। चूँिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक मांगा की गई है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure towards payment of `63.32 crore to Pakistan Telecommunication Company Limited on behalf of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) for the telecommunication traffic between Pakistan and India during 1947 to 1993. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये) (See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 14 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुप	ाये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	1.31			1.31
	स्वीकृत:		Voted:	61701.68	10628.33		72330.01
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2297.52			2297.52
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the					
का पूरक अनुमान:		amount now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	9873.75	0.01		9873.76
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		73874.26	10628.34		84502.60
	भारित:		Charged:	1.31			1.31
	स्वीकृत:		Voted:	73872.95	10628.34		84501.29
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नर्लि	खेत मुख्य शीषे	िक अंतर्गत	दिखाया जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be a					
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2408 - खाद्य भंडारण और	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and	Voted:	0.01	(कa) 9873.73	(खb)	9873.74
भाण्डागारण		Warehousing					
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(गc)		0.01
सहायता		Governments					
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02	9873.73		9873.75
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के	स्वीकृत:	6860 - Loans for Consumer	Voted:		0.01	(घd)	0.01
लिए ऋण		Industries					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	9873.74		9873.76

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत वेतन सहायता अनुदान (`1.20 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (i) भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी उपलब्ध कराना (` 9988.58 करोड़)। इसमें 2009-10 के लिए (` 1355.42 करोड़) की सब्सिडी का बकाया शामिल है।
 - (ii) नॉवार्ड के जरिए सहकारी चीनी मिलों को ब्याज आर्थिक सहायता हेतु सब्सिडियों पर व्यय की पूर्ति हेतु (` 5.01 करोड़)।

- Grants-in-aid-Salaries under the scheme Warehousing

 Development and Regulatory Authority (` 1.20 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) providing Food Subsidy to Food Corporation of India(`9988.58 crore). This includes `1355.42 crore of arrears of subsidy for 2009-10.
 - (ii) meeting the expenditure on subsidies for Interest Subvention to Cooperative Sugar Mills through NABARD (` 5.01 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध (` 119.86 करोड़) की बचतों और अनुदान के पूंजी/स्वीकृत तथा राजस्व/भारित भाग से (` 15.16 करोड़) के अभ्यर्पण के मद्देनजर इसमें (` 9858.57 करोड़) का निवल नकद व्यय होगा।

- (ग) लिक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आशयित खाद्यान्नों की बर्बादी/दूसरी तरफ लगाने से रोकने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता योजना तहत सामान्य सहायता अनुदान पर व्यय की पूर्ति हेतु, (` 1.06 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) खोई आधारित सह सृजन विद्युत परियोजना हेतु चीनी मिलों को ऋण (d) और अग्रिमों पर व्यय की पूर्ति हेतु (75.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। Taking into account savings of ` 119.86 crore available within the same section of the Grant and surrender of ` 15.16 crore from Capital/Voted and Revenue/Charged Section of the Grant, there will be a net cash outgo of ` 9858.57 crore.

- meeting the expenditure on Grants-in-aid-General under the scheme of Financial Assistance to States to curb leakages/diversion of food grains meant for Targeted Public Distribution System(` 1.06 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting the expenditure on Loans and Advances to Sugar Factories for Bagasse based co-generation power project (* 75.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

					s in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	199.94	39.00	238.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	199.95	39.00	238.95
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया	जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be account	ted for under	r the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) क्षेत्रीय निदेशक (आरडी) द्वारा निवेशक शिक्षण और संरक्षा कोष (आईईपीएफ) के तहत निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (` 0.01 करोड़) तथा (ii) ई-नीलामी तथा लेखा के लिए व्यय जरूरतों को पूरा करने हेतु (` 0.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

The supplementary grant is required for:

meeting the expenditure requirements for (i) Investors Awareness Programmes under Investor Education & Protection Fund(IEPF) by Regional Director (RDs) (* 0.01 Crore) and (ii)OL e-Auction and Accounting (* 0.50 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10-12 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 15-16 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 10-12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 15-16 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1298.00		40.00		1338.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	15.07				15.07
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमानः		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	25.01				25.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	1338.08		40.00		1378.08
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीषो	ं के अंतर्गत	दिखाया उ	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for u	nder the foll	owing M	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:	5.00	(क a)	20.00	(खb)	25.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	5.01		20.00		25.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) व्यावसायिक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हेतु अपेक्षित अतिरिक्त राशि है (` 5.00 करोड)।
 - (ii) जनजातीय उप आयोजना हेतु प्रावधानों में बढ़ोतरी हेतु क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को सामान्य सहायता अनुदान (` 0.40 करोड़)।
 - (iii) नैतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि को सामान्य सहायता अनुदान (`0.45 करोड़)।
 - (iv) सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम के कार्यव्वयन हेतु "सांस्कृतिक विरासत स्वंयसेवक योजना" के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (` 0.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध (` 1.35 करोड़) की बचतों के मद्देनजर इसमें (` 5.00 करोड़) का नकद व्यय होगा।
- (ख) 'गुरू-ता-गद्दी की त्रि-शताब्दी समारोह' योजना के अन्तर्गत आनन्द साहिब और तलवंडी सावों के विकास पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (` 20.00 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Archaeological Survey of India to meet the additional expenditure on Professional Services (` 5.00 crore).
 - (ii) Grants-in-aid General to Zonal Cultural Centres to augment the provisions for Tribal Sub-Plan (* 0.40 crore).
 - (iii) Grants-in-aid General to National Cultural Fund to meet the additional expenditure on Leadership Training Programme(` 0.45 crore).
 - (iv) Grants-in-aid General under 'Cultural Heritage Volunteers Scheme' for implementation of Cultural Heritage Youth Leadership Programme (` 0.50 crore) Taking into account the savings of ` 1.35 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ` 5.00 crore.
 - Grants-in-aid General under the scheme 'Commemoration of Tercentenary of Guru-ta-Gaddi' to meet the additional expenditure on development of Anandpur Sahib and Talwandi Sabo (` 20.00 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग) निम्निलिखित संगठनों/योजनाओं के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्रावधान बढ़ाने हेतु अतिरिक्त राशि अपेक्षित है: (i) 'राष्ट्रीय भारतीय अभिलेखागार' को सामान्य सहायता अनुदान (` 0.05 करोड़) (ii) 'राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद' को सामान्य सहायता अनुदान (` 0.50 करोड़) (iii) लघु निर्माण कार्यों हेतु भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण (0.95 करोड़) (iv) कार्यालय व्यय हेतु भारतीय नृ-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (` 0.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर इसमें सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है। Additionality is required for augmenting the provisions for North Eastern Areas in respect of the following Organizations/Schemes: (i) Grants-in-aid General to 'National Archives of India' (` 0.05 crore) (ii) Grants-in-aid General to 'National Council of Science Museums (` 0.50 crore) (iii) Archaeological Survey of India for Minor Works (` 0.95 crore) (iv) Anthropological Survey of India for Office Expenses (` 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 17 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपर	र्गे Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>	- 0	I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.24	•••		0.24
	स्वीकृत:		Voted:	11474.57	1682.00		13156.57
पूरक अनुदानः	-	SUPPLEMENTARY GRANT:		1000.00			1000.00
	स्वीकृत:	Complementary Fatiments of the	Voted:	1800.00	•••		1800.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमानः		Supplementary Estimate of the					
पूर्वर अधुनारा.	स्वीकृत:	amount now required:	Voted:	128.78	0.01		128.79
जोड़ (मूल और पूरक)	स्पाकृता.	Total (Original plus Supplementary)	voteu.	120.70 13403.59	1682.01		15085.60
one (ext. on (भारित:	retar (enginar plas cappionientary)	Charged:	0.24			0.24
	स्वीकृत:		Voted:	13403.35	1682.01		15085.36
	Č	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित					
		II. This Supplementary Grant will be acco	•				
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत:	2037 -Customs	Voted:		50.27	(क a)	50.27
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:		17.53	(खb)	17.53
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:		60.00	(गc)	60.00
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत:	2059 -Public Works	Voted:		0.98	(घd)	0.98
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:		128.78		128.78
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं	स्वीकृत:	4047 - Capital Outlay on Other Fiscal	Voted:		0.01	(ਭ e)	0.01
पर पूंजी परिव्यय		Services					
जोइ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		128.79		128.79

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) तटरक्षक संगठन के वेतन और अन्य स्थापना व्यय संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के सम्बन्ध में `50.27 करोड़ प्रदान करने हेतु।
- (ख) रक्षा संपदा में वेतन, अन्य स्थापना संबंधी व्यय, भूमि अभिलेखों का बचाव एवं संरक्षण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में 20.97 करोड़ प्रदान करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध (3.44 करोड़) की बचतों को देखते हुए (17.53 करोड़) की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (a) providing ` 50.27 crore towards meeting additional expenditure on salaries and other establishment related expenditure of Coast Guard Organisation.
- providing ` 20.97 crore towards meeting additional expenditure on salaries, other establishment related expenditure, protection and preservation of land records in Defence Estates. Taking into account the savings (` 3.44 crore), available in the same section of the grant, supplementary for the balance amount (` 17.53 crore) is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(e)

- (ग) जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री (जाकली) को वेतन एवं भर्तो पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध ` 60 करोड़ प्रदान करने हेत्।
- (घ) रक्षा संपदा संगठन के कार्यालय भवनों के रख-रखाव के संबंध में ` 0.98 करोड़ प्रदान करने हेतु।
- (ङ) मिनीकॉय में 8 एकड़ की भूमि और लक्षद्वीप के आंद्रोध में 4 एकड़ भूमि; कोलकाता में 5 एकड़ की भूमि के अधिग्रहण और विभिन्न सिविल निर्माण परियोजनाओं पर `60 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूँकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अत: सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इन पूरक अनुदानों के कारण े 116.03 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- providing ` 60 crore towards meeting additional expenditure on pay and allowances of Jammu & Kashmir Light Infantry (JAKLI).
- providing ` 0.98 crore towards maintenance of office buildings of Defence Estates Organisation.
- meeting additional expenditure of `60 crore on acquisition of 8 acres of land at Minicoy and 4 acres of land at Androdh in Lakshadweep; 5 acres of land at Kolkata; and additional expenditure on various civil work projects. As equivalent savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

Taking into account the savings available in the Capital section of the grant, the net cash outgo on account of these supplementaries will be ` 116.03 crore.

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.25		0.25
	स्वीकृत:		Voted:	33999.75		33999.75
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	भारित:		Charged:	0.29		0.29
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		34000.29		34000.29
	भारित:		Charged:	0.54		0.54
	स्वीकृत:		Voted:	33999.75		33999.75
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित	न मुख्य शीर्ष वे	उंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Appropriation will be	oe accounted f	for under the fo	llowing Major Head	l:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2071 - पेंशन और अन्य	भारित:	2071 - Pensions and other Retirement	Charged:		0.29	0.29
सेवानिवृत्ति		Benefits				

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के फलस्वरूप े 0.29 करोड़ उत्पन्न अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में। चूँकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतून्य बचतें उपलब्ध हैं, अत: इसमें नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure of ` 0.29 crore arising out of orders awarded by Armed Forces Tribunal. This will not entail cash outgo as equivalent savings are available in the voted section of grant.

रक्षा सेवाएं-थल सेना

DEFENCE SERVICES-ARMY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 18 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

				(करोड़ रुपये Ruj	pees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
<i>।.</i> मूल अनुदान <i>:</i>	I. ORIGINAL GRANT:				
भारि	न:	Charged:	22.67		22.67
स्वीकृ	र :	Voted:	65962.38		65962.38
पूरक अनुदानः	SUPPLEMENTARY GRANT:				
भारि	न:	Charged:	12.00		12.00
स्वीकृ	र :	Voted:	3800.00		3800.00
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः	now required:				
भारि	न:	Charged:	3.65		3.65
स्वीकृ	र :	Voted:	3412.07		3412.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		73212.77		73212.77
भारि	न:	Charged:	38.32	•••	38.32
स्वीकृ	र :	Voted:	73174.45		73174.45
	II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब f	नेम्नलिखित मुर	ज्य शीर्ष के अंत	नर्गत दिखाया जायेगाः	

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना	आयोजना-		जोड़
			Plan	भिन्न		Total
				Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना भारित	2076 - Defence Services - Army	Charged:		3.65	(क a)	3.65
स्वीकृत	:	Voted:		3412.07	(खb)	3412.07
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)			3415.72		3415.72
भारित	:	Charged:		3.65		3.65
स्वीकृत	:	Voted:		3412.07		3412.07

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप ` 3.65 करोड़ अतिरिक्त व्यय (क) की पूर्ति हेतु।
- वेतन, निर्माण कार्य, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय (ख) राइफल्स के कारण और साथ ही वेतनमानों में संशोधन के कारण े 3412.07 करोड़ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत्।
 - पूंजी भाग में (` 3059 करोड़) की बचतों के मद्देनजर इन पूरक अनुदानों के कारण े 356.72 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- meeting additional expenditure of ` 3.65 crore arising out of Court orders.
- meeting additional expenditure of ` 3412.07 crore on account of salaries, works, ex-servicemen contributory health scheme, Rashtriya Rifles and also due to revision in Meat scales.

Taking into account the savings (` 3059 crore) in capital section, cash outgo on account of these supplementaries will be ` 356.72 crore.

रक्षा सेवाएं-नौसेना

DEFENCE SERVICES-NAVY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 19 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

Grants for the year 2011-2012	and page 1	9 of the Second Supplementary Demands	for Grants for the	e year 2011-20	12)	
					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	6.81		6.81
	स्वीकृत:		Voted:	10782.25		10782.25
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:		Charged:	5.10		5.10
	स्वीकृत:		Voted:	800.01		800.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	752.76		752.76
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		12346.93	•••	12346.93
	भारित:		Charged:	11.91		11.91
	स्वीकृत:		Voted:	12335.02		12335.02
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीर्ष के :	अंतर्गत दिखाया	जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for under	the following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2077 - रक्षा सेवाएं-नौ सेना	स्वीकृत:	2077 -Defence Services - Navy	Voted:		752.76	752.76

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन, मरम्मत और दुरूस्ती, जल दस्युता विरोधी और तटरक्षा प्रचालनों के तहत (` 752.76 करोड़) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।

मांग सं. 26-रक्षा सेवाएं-अनुसंधान और विकास में उपलब्ध (` 238.86 करोड़) की बचतों के मद्देनजर, इसमें निवल ` 513.90 करोड़ का नगद व्यय होगा। The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure (* 752.76 crore) under salaries, repairs and refits, anti-piracy and coastal security operations.

Taking into account the savings ($^{\circ}$ 238.86 crore) available in Demand No. 26- Defence Services- Research & Development, there will be net cash outgo of $^{\circ}$ 513.90 crore.

रक्षा सेवाएं-वाय् सेना

DEFENCE SERVICES-AIR FORCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपर	Rupee	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	2.14			2.14
	स्वीकृत:		Voted:	16518.73			16518.73
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	85.56			85.56
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	1.09			1.09
	स्वीकृत:		Voted:	149.24			149.24
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		16756.76			16756.76
	भारित:		Charged:	3.23			3.23
	स्वीकृत:		Voted:	16753.53			16753.53
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब नि	नेम्नलिखित मुख	ज्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जायेगा	ī:	
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	on will be acco	ounted for unde	er the following M	ajor Hea	d:
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2078 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना	भारित:	2078 - Defence Services - Air Force	Charged:		1.09	(क a)	1.09
	स्वीकृत:		Voted:		149.24	(खb)	149.24
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			150.33		150.33
	भारित:		Charged:	***	1.09		1.09
	स्वीकृत:		Voted:		149.24		149.24

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप (` 1.09 करोड़) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत्।
- (ख) वेतन (` 15 करोड़), परिवहन (` 25.26 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (` 40.26 करोड़) तथा एयर इंडिया को वर्ष 2010-11 के दौरान वीवीआईपी यात्रा के लिए वायुयान की रख-रखाव लागत के तहत भुगतान (` 108.98 करोड़)।
 - (` 26.46 करोड़) की अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते हुए, इसमें निवल नकद व्यय (` 123.37 करोड़) होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting additional expenditure (* 1.09 crore) arising out of Court orders.
- meeting additional expenditure of ` 40.26 crore under salaries
 (` 15 crore), transportation (` 25.26 crore) and payment of
 ` 108.98 crore to Air India on account of maintenance cost of
 Aircraft for VVIP travel during 2010-11.

Taking into account the additional receipts(` 26.46 crore), there will be net cash outgo of ` 123.87 crore.

रक्षा आयुध फैक्ट्रियां

DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 20 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	3.00		3.00
	स्वीकृत:		Voted:	792.88		792.88
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:		Charged:	1.90		1.90
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	भारित:		Charged:	8.50		8.50
	स्वीकृत:		Voted:	858.93		858.93
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1665.21		1665.21
	भारित:		Charged:	13.40		13.40
	स्वीकृत:		Voted:	1651.81		1651.81
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब नि	मिनलिखित मुख्य	य शीर्ष के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा	:
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	on will be accou	unted for unde	er the following Ma	ajor Head:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
२०७१ - रक्षा सेवाएंआयुध	भारित:	2079 - Defence Services - Ordnance	Charged:		8.50	(কa) 8.50
कारखाने		Factories				
	स्वीकृत:		Voted:		858.93	(ख b) 858.93
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			867.43	867.43
	भारित:		Charged:	•••	8.50	8.50
	स्वीकृत:		Voted:		858.93	858.93

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- क) न्यायालय आदेशों के कारण अतिरिक्त व्यय (` 8.50 करोड़) की पूर्ति।
- (ख) रक्षा आयुध कारखानों में समयोपरि भता और उसके बकाया भुगतान से संबंधित (` 858.93 करोड़) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।
 - (` 49.17 करोड़) की अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, ` 818.26 करोड़ का नगद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting additional expenditure (` 8.50 crore) arising out of Court
 - meeting additional expenditure (` 858.93 crore) towards payment of OTA and arrears thereof in Defence Ordnance Factories.

Taking into account the additional receipts (* 49.17 crore), there will be a net cash outgo of `818.26 crore.

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 21 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Rup	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:		50.80	50.80
	स्वीकृत:		Voted:		69148.01	69148.01
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:		Charged:		4.00	4.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	भारित:		Charged:		46.71	46.71
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			69249.52	69249.52
, ,	भारित:		Charged:		101.51	101.51
	स्वीकृत:		Voted:		69148.01	69148.01
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाय	। जायेगाः	
		II. This Supplementary Appropriation will be	•			•
		., , , , ,		आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
- 4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित:	4076 - Capital Outlay on Defence Services	Charged:		46.71	46.71

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

न्यायालय आदेशों की वजह से अतिरिक्त व्यय (` 46.71 करोड़) की पूर्ति। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर इसमें नगद व्यय नहीं होगा। The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure (` 46.71 crore) arising out of Court orders. Taking into account the savings available in the voted section of the grant this will not entail cash outgo.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 22 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.10		***		0.10
	स्वीकृत:		Voted:	1284.92		284.20		1569.12
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:						
4 3	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	-	Total (Original plus Supplementary)		1285.06		284.20		1569.26
	भारित:		Charged:	0.10				0.10
	स्वीकृत:		Voted:	1284.96		284.20		1569.16
	ŭ	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	। मख्य शीर्षों	के अंतर्गत वि	देखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco						
				 आयोजना	9	आयोजना-		जोड
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान	स्वीकृत:	3403 -Oceanographic Research	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
अनुसंधान 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	(गс)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्निलिखित कार्यक्रमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) 'सागर मंजूषा अनुसंधान यान' को चलाने की ईंधन लागत में वृद्धि और डाटा बॉय नेटवर्क अधिप्राप्ति और परिनियोजन के संबंध में भुगतान हेतु डाटा बॉय (`16 करोड़), (ii) सुनामी और तूफानी ज्वार चेतावनी प्रणाली (टीएसएसडब्ल्यूएस), सूनामी चेतावनी केन्द्र की 24x7 प्रचालन के लिए बॉय सहित उपस्करों के परिनियोजन से संबंधित सुनामी और तूफानी ज्वार (`16 करोड़) (iii) सागर निधि के ड्राईडॉकिंग जो कि तीन वर्ष में एक बार होता है के लिए अनुसंधान यान सागर निधि की अधिप्राप्ति (`8 करोड़) और (iv) आईएनसीओआईएस की प्रचालन आवश्यकता से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना प्रणाली केन्द्र (आईएनसीओआईएस) (`0.65 करोड़)।
- (ख) अन्य संविदा सेवाओं के लिए भारतीय पोत परिवहन निगम को 'प्रचालन अनुसंधान यान (` 12.30 करोड़) और समुद्री सजीव संसाधन और मात्स्स्यिकी समुद्री विज्ञान अनुसंधान (` 8.70 करोड़) के कार्यक्रमों के तहत भुगतान।
- (ग) वायु-गुणवता मॉनिटरिंग उपस्कर अधिप्राप्ति से संबंधित भारतीय उष्णकिटबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) पुणे को कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (`10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। The supplementary grants are required for:

- (i) Data Buoy for payment towards procurement, deployment of Data Buoy network and increase in the fuel cost of running 'Sagar Manjusha Research Vessel' (* 16 crore); (ii) Tsunami and Storm Surge Warning System (TSSWS) relating to deployment of equipments including buoys for 24x7 operation of Tsunami Warning Centre (* 16 crore); (iii) Acquisition of Research Vessel 'Sagar Nidhi' for dry docking of Sagar Nidhi which is normally done once in three years (* 8 crore); and (iv) Indian National Center for Ocean Information System (INCOIS) relating to operational requirement of INCOIS (* 0.65 crore).
- b) for making payment to Shipping Corporation of India for Other Contractual Services under the programmes 'Operation Research Vessel (` 12.30 crore); and Marine Living Resources & Fishery Oceanographic Research (` 8.70 crore).
- providing Grants-in-Aid General under the programme Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune relating to procurement of Air-quality Monitoring Equipment (` 10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 23 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

				(करांड़ रुपय	Rupees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत		Voted:	2661.29	80.68	2741.97
पूरक अनुदानः	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत		Voted:	0.05	42.00	42.05
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the				
पूरक अनुमानः	amount now required:				
भारित		Charged:	0.13		0.13
स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2661.49	122.68	2784.17
भारित		Charged:	0.13		0.13
स्वीकृत		Voted:	2661.36	122.68	2784.04

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				Non-Plan		
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत:	2406 -Forestry and Wild Life	Voted:	0.01	(ক a)			0.01
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	भारित:	3435 - Ecology and Environment	Charged:			0.13	(खb)	0.13
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.02		0.13		0.15
	भारित:		Charged:			0.13		0.13
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (` 3.37 करोड़), (ii) जैव विविधता संरक्षण एवं ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना-ईएपी (` 0.87 करोड़), के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (ख) भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण के सम्बन्ध में कोर्ट डिक्री से सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम को पूरा करने हेतु (` 0.13 करोड़)। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद बहिर्वाह नहीं होगा।
- (ग) (i) पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण स्कीम (` 0.75 करोड़), (ii) उत्कृष्टता केन्द्र (` 0.55 करोड़)(iii) जी.बी. पन्त हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान (` 0.50 करोड़) को सामान्य सहायता-अनुदान।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Grants-in-aid General to (i) Indian Council of Forestry Research and Education (` 3.37 crore), (ii) Bio-diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement Project -EAP (` 0.87 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Recouping an advance obtained from Contingency Fund of India for meeting expenditure related to court decree in respect of Zoological Survey of India (* 0.13 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- Scheme (* 0.75 crore), (ii) Centres of Excellence (* 0.55 crore), and (iii) G.B. Pant Himalayan Institute of Environment & Development (* 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 25 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये	Rupees in Cro	ore)
				राजस्व	पूंजी	जो	ड़
				Revenue	Capital	Tota	al
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.03		C	0.03
	स्वीकृत:		Voted:	6314.97	791.00	7105	5.97
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	198.54	500.00	698	3.54
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	100.00	100	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6513.55	1391.00	7904	4.55
	भारित:		Charged:	0.03		C	0.03
	स्वीकृत:		Voted:	6513.52	1391.00	7904	1.52
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिख	ाया जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for unde	r the followir	ng Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-	जो	ड़
				Plan	भिन्न	Tota	al
					Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत:	2061 -External Affairs	Voted:		0.01	(কa) 0	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
7605 - विदेशी सरकारों को	स्वीकृत:	7605 - Advances to Foreign	Voted:		100.00	(खb) 100	0.00
अग्रिम		Governments					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		100.01	100	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्नलिखित संस्थानों अर्थात् एकीकृत सेवा संस्थान (` 0.41 करोड़), अन्तर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी संघ (आईएफयूएनए) (` 0.10 करोड़) और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, (आईसीसीआर) (` 19.00 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान।
 - (ii) वीवीआईपी यात्रा के लिए एयर इण्डिया के विमानों की रख-रखाव लागत (` 78.54 करोड़)।

एयर इण्डिया विमानों की रख-रखाव लागत हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत (` 41 करोड़) के अग्रिम की प्रतिपूर्ति पूरक अनुदान के संसद में पारित होने के बाद निधि को कर दी जाएगी। अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचत (`.98.05 करोड़) को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गई।

(ख) मालदीव को उचत ऋण सुविधा। मालदीव को उचत ऋण सुविधा हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत (`100.00 करोड़) की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति संसद में पूरक अनुदान के पारित होने के बाद की जाएगी। इसमें नकद व्यय होगा। The supplementary grants are required for:

- (i) Grants-in-aid General to the Institutions viz. United Service Institute (USI) (` 0.41 crore), International Federation of United Nations Agencies (IFUNA) (` 0.10 crore) and Indian Council of Cultural Relations (ICCR) (` 19.00 crore).
 - (ii) maintenance cost of aircrafts of Air India exclusively meant for VVIP travel (` 78.54 crore).

An advance (` 41 crore) sanctioned from Contingency Fund of India for maintenance cost of aircrafts of Air India shall be recouped to the Fund after the Supplementary Grant is passed in the Parliament. Taking into account savings (` 98.05 crore) available within the same Section of Grant, a token supplementary is sought.

(b) Standby Credit Facility to Maldives. An advance of ` 100.00 crore sanctioned from Contingency Fund of India for Standby Credit Facility to Maldives shall be recouped to the Fund after the supplementary grant is passed in the Parliament. This will entail net cash outgo.

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंज <u>ी</u>	जोड
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	6948.66	14683.56	21632.22
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1121.94	11120.61	12242.55
इस समय आवश्यक		Supplementary Estimate of the amount				
रकम का पूरक अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.03	0.01	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8070.63	25804.18	33874.81
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित II. This Supplementary Grant will be accou	-			
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			Non-Plan	
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2047 - अ <i>न्</i> य	स्वीकृत:	2047 -Other Fiscal Services	Voted:		0.01	(কa) 0.01
राजकोषीय सेवाएं	स्याकृता.	2047 -Other Fiscal Services	voteu.		0.01	(भव) 0.01
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:		0.01	(u b) 0.01
3054 - सड़क और प्ल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	0.02	0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5466 - अंतर्राष्ट्रीय	स्वीकृत:	5466 - Investments in International	Voted:		0.01	(घd) 0.01
वित्तीय संस्थानों में		Financial Institutions				
निवेश						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.03	0.04

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है!

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्य भाग REVENUE SECTION

3054 - सड़क और पुल 3054 - Roads and Bridges (-) 18.93 ... (-) 18.93

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) समाचार पत्र-पत्रिकाओं में विविध बचत योजनाओं (1.50 करोड़) के सम्बन्ध में एक प्रचार अभियान चलाना और राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) के सम्बध में प्राधिकृत एजेन्ट प्राप्तियां (एएआपीज), पुस्तकों तथा महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई) कार्डों (1.02 करोड़) को छापना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

a) Conducting publicity campaign through print media in respect of various Small Savings Schemes (` 1.50 crore) and for printing of Authorised Agent Receipts (AARs) books and Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojna (MPKBY) cards (` 1.02 crore) in respect of National Savings Institute (NSI). After taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ख) प्रतिभृति अपीलीय अभिकरण (एसएटी) को वेतनों के संबंध में (` 0.56 करोड़) का अतिरिक्त प्रावधान मुहैया कराना, चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ग) केंद्रीय सड़क कोष को (` 18.93 करोड़) के डीजल उपकर के अतिरिक्त संग्रहण का अन्तरण और रेल सुरक्षा कार्यों के लिए (` 18.93 करोड़) की अतिरिक्त राशि जारी करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (घ) पुनर्निमाण तथा विकास सम्बन्धी विविध अन्तर्राष्ट्रीय बैंको- जनरल कैपिटल इन्क्रीज (जीसीआई)(`12.85 करोड़); समेक्तिव कैपिटल इन्क्रीज (एससीआई))(`10.14 करोड़); को अतिरिक्त निधिया मुहैया करना तथा विनिमय दरों की घट-बढ़ के कारण एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को अंशदान)(`5.68 करोड़); चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- b) Providing additional provision towards "Salaries" (` 0.56 crore) to the Security Appellate Tribunal (SAT). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Transferring an additional collection of diesel cess of ` 18.93 crore to Central Road Fund and towards releasing additional sum of ` 18.93 crore for Railway Safety Works. As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Providing additional funds to International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) towards General Capital Increase (GCI) (* 12.85 crore) and Selective Capital Increase (SCI) (* 10.14 crore), and subscription to Asian Development Bank (ADB) (* 5.68 crore) due to exchange rate fluctuations. As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

वितीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33, वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012, page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 28 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपय	Rupees i	n Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	15891.94		7814.00	2	3705.94
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	500.01		0.02		500.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमानः		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		6497.42		6497.43
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	16391.96		14311.44	;	30703.40
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	ा मुख्य शी	र्षों के अंतर्गत	दिखाया उ	जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for		lowing Ma	=		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	_	MAJOR HEAD						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:			0.01	(कa)	0.01
कल्याण								
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4416 - कृषि वित्तीय संस्थानों	स्वीकृत:	4416 - Investments in Agricultural	Voted:	402.42	(खb)			402.42
में निवेश		Financial Institutions						
5465 - सामान्य वित्तीय और	स्वीकृत:	5465 - Investments in General	Voted:	6095.00	(गc)			6095.00
व्यापारिक संस्थानों में निवेश		Financial and Trading Institutions						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	6497.42				6497.42
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	6497.42		0.01		6497.43

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी तथा ग्रामीण लोगों के लिए जनश्री बीमा योजना के लिए अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि के लिए (` 100 करोड़) की राशि मुहैया कराना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक मांग की गयी है।
- (ख) राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) को अपना पूंजीगत आधार बढ़ाने के लिए े 1000.00 करोड़ की राशि का अभिदान। इस प्रयोजन के लिए यह कहते हुए कि, अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, 2011-12 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों में सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था। सांकेतिक मांग की गई थी, तथापि इस भाग के तहत केवल (े 597.57 करोड़) ही उपलब्ध कराए गए और (े 402.42 करोड़) की राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान के राजस्व भाग से अभ्यर्पित समतुल्य राशि से की जाएगी। इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (a) Providing an amount (` 100 crore) to the corpus of Social Security Fund maintained by Life Insurance Corporation of India for Janashree Bima Yojana to provide life insurance protection to the rural and urban persons living below poverty line. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Subscribing (* 1000.00 crore) to the share capital of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)to augment its capital base. For this purpose, a token supplementary was obtained in the First Supplementary Demands for Grants 2011-12 stating that the savings are available within the same Section of the Grant. However, savings of only * 597.57 crore could be made available under this Section and * 402.42 crore would be matched by equivalent amount surrendered from the Revenue Section of the Grant. This will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ग) (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए ` 6000 करोड़ की अतिरिक्त राशि मुहैया कराना। अनुदान के राजस्व भाग में ` 6000 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
 - (ii) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को प्रदत्त इक्विटी पूंजी के तौर पर ` 95 करोड़ की राशि मुहैया कराना। अनुदान के राजस्व भाग में यथा उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड) की शेयर पूंजी में अपने पूंजी आधार के संवधर्न हेतु 199.99 करोड़ की राशि के अभिदान हेतु। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (i) Providing an additional amount of ` 6000 crore towards recapitalization of Public Sector Banks. After taking into account the surrender of savings of ` 6000 crore available in the Revenue Section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.
 - (ii) Providing an amount of ` 95 crore to Life Insurance Corporation of India (LIC) as paid up equity capital. After taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.

Subscribing an amount of ` 199.99 crore to the share capital of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to augment its capital base. After taking into account surrender of savings available in the Revenue Section of the grant, this will not entail any additional cash outgo.

संख्या NO. 34 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ब्याज अदायगियां

INTEREST PAYMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

(करोड रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Revenue Total ।. मूल विनियोगः I. ORIGINAL APPROPRIATION: भारित: 272330.28 272330 28 Charged: इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अनुमानः now required: भारित: 11904.32 11904.32 Charged: जोड़ (मूल और पूरक) भारित: Total (Original plus Supplementary) Charged. 284234.60 284234.60 II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड Plan भिन्न Total Non-Plan

राजस्य भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD

2049 - ब्याज भूगतान *भारित*ः 2049 - Interest Payments *Charged*: ... 11904.32 11904.32

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाजार ऋण(े 6323.75 करोड़), नकद प्रबंधन बिलों पर बट्टा (े 1010.88 करोड़), 91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां (े 3734.26 करोड़), 182 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां (े 2026.10), 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों पर बट्टा (े 3090.83 करोड़) और अर्थोपाय अग्रिम (े 1258.50 करोड़), राज्य भविष्य निधियां (े 412.36 करोड़), गैर-सरकारी मविष्य निधियों को विशेष जमाराशियां (े 101.87 करोड़), विदेशी ऋण (े 35.73 करोड़) और पीएलआई को जारी प्रतिभृतियां (े 562.80 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में।

(` 6652.76 करोड़) की बचतों और ` 4272.79 करोड़ की उपचित ब्याज की अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए इस पूरक में (` 7631.53 करोड़) का नगद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure under Market loans (` 6323.75 crore), Discount on Cash Management Bills (` 1010.88 crore), 91 days Treasury Bills (` 3734.26 crore), 182 days Treasury Bills (` 2026.10 crore), Discount on 364 days Treasury Bills (` 3090.83 crore), Ways and Means Advance (` 1258.50 crore), State Provident Funds (` 412.36 crore), Special Deposits of Non-Government Provident Funds (` 101.87 crore), External Debt (` 35.73 crore) and Securities issued to PLI (` 562.80 crore).

After taking into account the savings (` 6652.76 crore) and additional receipts of accrued interest amounting to ` 4272.79 crore, this supplementary will entail cash outgo of ` 7631.53 crore.

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012, page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 30 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Rup	pees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	49298.62		49298.62
	स्वीकृत:		Voted:	89348.61	10000.00	99348.61
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:		Charged:		13000.00	13000.00
	स्वीकृत:		Voted:	1500.01		1500.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	555.00		555.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		140702.24	23000.00	163702.24
	भारित:		Charged:	49298.62	13000.00	62298.62
	स्वीकृत:		Voted:	91403.62	10000.00	101403.62
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित र	मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया	जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be account	•			
		,,		आयोजना	, आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2075 - Miscellaneous General Services	Voted:		555.00	555.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त मंत्रालय को छोड़ कर शेष अन्य मंत्रालयों के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को ऋण राहत प्रदान करना। इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा क्योंकि व्यय की पूर्ति प्रातियों से की जाएगी।

The supplementary grant is required for:

providing debt relief to State Governments for Centrally Sponsored Schemes and Central Plan Schemes through Ministries other than Ministry of Finance as per the recommendations of 13th Finance Commission. There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

संख्या NO. 37 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापस अदायगी

REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

(करोड रुपये Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व Capital Revenue Total **/. मूल** विनियोग: I. ORIGINAL APPROPRIATION: भारितः 3155216 93 3155216 93 Charged: इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अनुमानः now required: भारित: 369496.27 369496.27 Charged: जोड़ (मूल और पूरक) भारित: Total (Original plus Supplementary) Charged: 3524713.20 3524713.20 II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड Plan ਮਿਟਰ Total Non-Plan पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 6001 - केन्द्र सरकार का भारित: 6001 - Internal Debt of Central Charged: 367950.72 (कa) 367950.72 आन्तरिक ऋण Government 6002 - विदेशी ऋण भारित: 6002 - External Debt Charged: 1545.55 (खb) 1545.55 जोड़ (पूरक) भारित: Total (Supplementary) 369496.27 369496.27

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- 91 दिवसों की राजकोषीय हंडियों का डिस्चार्ज (82766.79 करोड़), 182 दिवसों की राजकोषीय हंडियां (` 13005.55 करोड़) अर्थोपाय 585943 प्रबंधन हंडियां 73000 करोड़ रुपए), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वित्तीय अंतरण योजना (एफटीपी) (2592.86 करोड़), एशियाई विकास बैंक (` 9.80 करोड़), अफ्रीकी विकास निधि (` 1.82 करोड़), 9% राहत बॉन्ड, 1987 (` 1.58 करोड़), 10% राहत बॉन्डों, 1993 (` 0.09 करोड़), 9% राहत बॉन्ड, 1993 (` 0.57 करोड़), 10% राहत बॉन्ड, 1995 (` 2.40 करोड़), 9% राहत बॉन्ड, 1999 (` 112.45 करोड़), 8.50% राहत बॉन्ड, 2001 (23.07 करोड़), 8% राहत बॉन्ड, 2002 (27.64 करोड़ रुपए), 7% बचत योजना, 2002 (` 8.16 करोड़), 6.50% बचत बॉन्ड, 2003 (गैर-कर योग्य), बॉन्ड, 2003 (` 163.25 करोड़) और राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन (` 900 करोड़)।
- बाह्य ऋण के भ्गतान हेत्। (ख) चूंकि विनियोग के तहत (` 398740.67 करोड़) की बचत उपलब्ध है, अतः शेष राशि हेतु पूरक मांग की गई है। इसमें नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि प्राप्तियों द्वारा व्यय को मिला दिया गया है।

The supplementary appropriations are required for:

Charged:

- Discharge of 91 days Treasury Bills (` 82766.79 crore), 182 days Treasury Bills (` 13005.55 crore), Ways and Means Advances (* 585943 crore), Cash Management Bills (* 73000 International Monetary Fund (IMF) -Financial crore). Transaction Plan (FTP) (* 2592.86 crore), Asian Development Bank (* 9.80 crore), African Development Fund (* 1.82 crore), 9% Relief Bond,1987 (` 1.58 crore), 10% Relief Bonds, 1993 (0.09 crore), 9% Relief Bonds, 1993 (0.57 crore), 10% Relief Bonds, 1995 (` 2.40 crore), 9% Relief Bonds, 1999 (` 112.45 crore), 8.50% Relief Bonds, 2001 (* 23.07 crore) 8% Relief Bonds, 2002 (* 27.64 crore), 7% Savings Scheme, 2002 (* 8.16 crore), 6.50% Savings Bonds, 2003 (Non-Taxable) (* 32.36 crore), 8% Savings (Taxable) Bonds, 2003 (` 163.25 crore) and redemption of securities issued to National Small Savings Fund (NSSF) (9000 crore).
- (b) Repayment of External Debt. As savings of ` 398740.67 crore is available within the Appropriation, supplementary for the balance amount is sought. There will be no cash outgo as the expenditure will be matched by receipts

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 31 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये F	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	99.97	2.00	101.97
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	18.42		18.42
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	9.07		9.07
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	127.46	2.00	129.46
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित र	मुख्य शीर्षों दे	५ अंतर्गत दिखार	ग जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for und	er the following	Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:		0.67	(क a) 0.67
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:		8.40	(ख b) 8.40
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		9.07	9.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के नए आवास से सम्बद्ध संविदात्मक स्टाफ तथा व्यय का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) नई पेंशन योजना हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवा प्रभारों के भुगतान हेतु ` 8.95 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ` 0.55 करोड़ की बचतों और अनुदान के पूंजी भाग में ` 0.97 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपर्युक्त में ` 7.43 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (a) Meeting additional expenditure towards making payment to contractual staff and expenses related to new accommodation of Office of Controller General of Accounts. This will entail cash outgo.
- (b) Meeting the additional expenditure (` 8.95 crore) towards payment of service charges to National Security Depository Limited(NSDL) for the New Pension Scheme. After taking into account the savings (` 0.55 crore) available in the same Section of the Grant and surrender of savings (` 0.97 crore) in the Capital Section of the Grant, the above will entail net cash outgo(` 7.43 crore).

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012).

,	,				(करोड़ रुपये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	74.52		74.52
	स्वीकृत:		Voted:	2314.36	9.68	2324.04
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
. •	स्वीकृत:		Voted:	25.00		25.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:				
0.13-1	भारित:		Charged:	4.01		4.01
	स्वीकृत:		Voted:	13.08		13.08
जोड़ (मूल और पूरक)	· ·	Total (Original plus Supplementary)		2430.97	9.68	2440.65
	भारित:		Charged:	78.53		78.53
	स्वीकृत:		Voted:	2352.44	9.68	2362.12
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलि	खित मुख्य शीर्ष	र्भ के अंतर्गत दिख	वाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant/Appropriation will	J			
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2016 - लेखा परीक्षा	भारित:	2016 - Audit	Charged:		4.01	4.01
	स्वीकृत:		Voted:		13.08	13.08
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	17.09	17.09
	भारित:		Charged:	•••	4.01	4.01
	स्वीकृत:		Voted:		13.08	13.08
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए ग जिन्हें ट्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता Note: The above estimates of additional requirements in reduction of expenditure.	है !		·	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नितिखित हेतु अपेक्षित है: अतिरिक्त वेतन और संस्थापन संबंधी व्यय (* 17.09) करोड़ की पूर्ति हेतु। पूंजी भाग से (* 5.68 करोड़) की बचतों के अभ्यर्पण और अतिरिक्त वस्तियों के (* 1.85 करोड़) को ध्यान में रखते हुए इसमें (* 9.56 करोड़) का नगद व्यय होगा। The supplementary grant/appropriation is required for:

Meeting additional salary and establishment related expenditure (* 17.09 crore). After taking into account the surrender of savings (* 5.68 crore) from Capital Section and additional recoveries (* 1.85 crore), this will entail cash outgo (* 9.56 crore).

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

					(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2975.85	905.70		3881.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	15.72			15.72
जोइ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	2991.57	905.70		3897.27
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	ा मुख्य शीर्षो	ं के अंतर्गत वि	देखाया जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for u	nder the follo	wing Major Head	ds:	
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2020 - आय और व्यय पर करों का	स्वीकृत:	2020 -Collection of Taxes on Income	Voted:		15.33	(कa)	15.33
संग्रहण		and Expenditure					
2031 - संपदा शुल्क, संपत्ति, उपहार	स्वीकृत:	2031 -Collection of Estate Duty, Taxes	Voted:		0.39	(खb)	0.39
और सुरक्षा संबंधी लेन-देन पर करों		on Wealth, Gift and Security					
का संग्रहण		Transaction					
जोइ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		15.72		15.72

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) आयकर विभाग में कार्यालय व्यय (स्चना प्रौचोगिकी) के तहत स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (15.33करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) संपत्ति कर, प्रतिभूति लेन-देन कर और अन्य करों के संग्रहण के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 0.39 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यपर्ण के मद्देनजर इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (a) Meeting additional establishment related expenditure (` 15.33 crore) under Office Expenses (Information Technology)in respect of Income Tax Department. After taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.
- (b) Meeting additional expenditure (` 0.39 crore) for collection of Wealth Tax, Security Transaction Tax and Other Taxes. After taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

				(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
			राजस्व	पूंजी		जोड़
			Revenue	Capital		Total
<i>।.</i> मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
भारित	Cha	arged:	0.50			0.50
स्वीकृत	· ·	Voted:	3250.84	127.55		3378.39
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः	now required:					
स्वीकृत	•	Voted:	7.50			7.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3258.84	127.55		3386.39
भारित	Ch	arged:	0.50			0.50
स्वीकृत	•	Voted:	3258.34	127.55		3385.89
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	। शीर्षों के	अंतर्गत दिख	गया जायेगाः		
	II. This Supplementary Grant will be accounted	for unde	er the followi	ng Major Heads:		
			आयोजना	आयोजना-		जोड़
			Plan	भिन्न		Total
				Non-Plan		
राजस्य भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2037 - सीमा शुल्क स्वीकृत	2037 -Customs	Voted:		3.06	(कa)	3.06
2038 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्वीकृत	2038 -Union Excise Duties	Voted:		4.44	(खb)	4.44
जोड़ (पूरक) स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:		7.50		7.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सीमा शुल्क कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय (` 3.06 करोड़) यथा -मजदूरी (` 0.06 करोड़ रूपए), किराया, दर और कर (` 2.13 करोड़ रूपए), गुप्त सेवा व्यय (` 0.47 करोड़) और विदेश स्थित मिशन (` 0.40 करोड़) की पूर्ति हेतु। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय (5.14 करोड़) यथा, व्यावसायिक सेवाएं (0.62 करोड़), पुरस्कार (2.27 करोड़), मजदूरी ((0.35 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (1.55 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (3.30 करोड़) की पूर्ति हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध (0.70 करोड़) की बचतों और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध (4.44 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- a) Meeting additional establishment related expenditure (* 3.06 crore) of Customs Offices viz., Wages (* 0.06 crore), Rent, Rates and Taxes (* 2.13 crore), Secret Service Expenses (* 0.47 crore) and Mission Abroad (* 0.40 crore). After taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- Meeting additional establishment related expenditure (* 5.14 crore) of Central Excise Offices towards Professional Services (* 0.62 crore),Rewards (* 2.27 crore),Wages (* 0.35 crore), Domestic Travel Expenses(* 1.55 crore) and Information Technology (* 0.30 crore. After taking into account the savings (* 0.70 crore) available in the same Section of the Grant and surrendering of savings (* 4.44 crore) available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 34 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

				(करोड़ रुपये Rupe			
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	514.58		95.51	610.09
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	95.51			95.51
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	610.11		95.51	705.62
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों वे	ь अंतर्गत दि	खाया जार	पेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for und	er the follov	ving Majo	or Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2408 - खाद्य भंडारण और	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	0.01	(क a)		0.01
भाण्डागारण							
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

(a)

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/संस्थापन/ आधुनिकीकरण योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (`39.99 करोड़)।
 - (ii) व्यावसायिक सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय (` 0.30 करोड़)
- (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र अवसंरचना विकास हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (9.89 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (i) meeting additional expenditure under the Scheme for Technology Up-gradation/ Establishment/ Modernisation of Food Processing Industries (* 39.99 crore).
 - (ii) meeting additional expenditure under professional services ($\hat{}$ 0.30 crore).
- meeting additional expenditure for Infrastructure Development of North Eastern Region (* 9.89 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27-29 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 35-36 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 27-29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 35-36 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

							₹ Rupee	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	26912.25		1989.08		28901.33
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.11		0.03		0.14
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the						
पूरक अनुमानः		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02		0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	26912.38		1989.13		28901.51
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाव निम्नलिखि	वत मुख्य १	शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accommodated as a commodate of the supplementary Grant will be accommodated as a commodate of the supplementary Grant will be accommodated as a commodate of the supplementary Grant will be accommodated as a commodate of the supplementary Grant will be accommodated as a commodated	counted fo	or under the f	ollowing Ma	jor Heads:		
				आयोजना	3	भायोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
					ı	Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
स्वास्थ्य								
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	0.01	(गc)			0.01
स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय		Public Health						
४२१६ - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:	0.01	(घd)			0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.02				0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		0.01		0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) ओवर साइट कमेटी के अनुसार उच्च शिक्षण के लिए संस्थाओं को सामान्य सहायता अनुदान (` 10.21 करोड़)
 - (ii) वल्लभ भाई स्नातकोत्तर पटेल चेस्ट संस्थान, नई दिल्ली (` 2.00 करोड़) तथा कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति; वर्धा (` 5.00 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के मृजन हेतु।
 - (iii) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जिपमर, पुदुचेरी के लिए वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान (` 7.23 करोड़) । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के लिए वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान (` 4.00 करोड़) । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (ग) बी. सी. जी. वैक्सीन लेबोरेट्री, गुन्डी, चैन्नई:- चालू वस्तु विनिर्माता प्रक्रिया व्यवहार (सीजीएमपी) के अनुपालन हेतु प्रयोगशाला के नवीकरण के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (`14.35 करोड़)।

- (i) Grants-in-aid General to Institutions for Higher Learning as per Oversight Committee (` 10.21 crore).
 - (ii) Grants for creation of capital assets to 'Vallabh Bhai Patel Chest Institute, New Delhi' (` 2.00 crore) and 'Kasturba Health Society, Wardha' (` 5.00 crore).
 - (iii) Grants-in-aid-Salaries to Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (* 7.23 crore).
 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants-in-aid Salaries to 'All India Institute of Medical Sciences, New Delhi' (` 4.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- B.C.G Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai:- For meeting additional expenditure on revival of the laboratory to make it current Good Manufacturing Practice (CGMP) compliant (`14.35 crore).

(d)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

(घ) मनोचिकित्सा संस्थान, रांची:- आवासीय भवनों से सम्बन्धित प्रमुख खर्चों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (`1.24 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Central Institute of Psychiatry, Ranchi :- For meeting additional expenditure on Major Works towards construction of residential building (` 1.24 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30-31 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 30-31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 37 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदानः</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1064.00	24.00	1088.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.05		0.05
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the				
पूरक अनुमानः		amount now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.03	0.40	0.43
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	1064.08	24.40	1088.48
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शी	र्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for	under the f	ollowing Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(क a) 0.01	(ख b) 0.02
स्वास्थ्य						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02	0.01	0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	0.40	(घd)	0.40
स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	•	Public Health				
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.42	0.01	0.43

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (1) केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद, नई दिल्ली को कार्यशालाओं के आयोजन के लिए स्कीम अनुदान के तहत सामान्य सहायता अनुदान (`0.20 करोड़)।
 - (2) स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं/मिडवाइफरी प्राक्टिसों/पशुचर्या आदि के पुनर्नवीकरण हेतु एनजीओ के वित्तपोषण की स्कीम के तहत अतिरिक्त जरूरतों की भरपाई के लिए सामान्य सहायता अनुदान (`0.15 करोड़)।
 - (3) औषधीय पादपों के राष्ट्रीय मिशन स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (`3.00 करोड़)।
 - (4) आयुर्वेद में शोध तथा अनुसंधान वर्षों के लिए केंद्रीय परिषद के प्रमुख कार्यों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (`12.73 करोड़)।
 - (5) वेतन सम्बधी देयताओं को पूरा करने के लिए आयुर्वेद में शोध तथा अनुसंधान कार्यों को 'केन्द्रीय परिषद' का सहायता अनुदान (`1.94 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (1) Grants-in-aid General under the scheme 'Grants to Central Council of Homoeopathy, New Delhi', for conducting workshops (* 0.20 crore).
 - (2) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the scheme 'Funding of NGOs for revitalization of Local Health Traditions/ Midwifery Practices/ Veterinary Care etc.'(` 0.15 crore).
 - (3) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the scheme 'National Mission on Medicinal Plants' (` 3.00 crore).
 - (4) Grants for creation of capital assets to 'Central Council for Research in Ayurvedic Sciences' for undertaking Capital Works (` 12.73 crore).
 - (5) Grants-in-aid Salaries to 'Central Council for Research in Ayurvedic Sciences' for meeting the salary liability (` 1.94 crore).

(c)

- (6) सीआरयूआईएम, लखनऊ और यूनानी दवा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, पटना और भदरक के भवनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग/राष्ट्रीय परियोजना निर्माण कंपनी को यूनानी मेडीसन (सीआरआईयूएम) में अनुसंधान हेतु केन्द्रीय परिषद के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (`15.52 करोड़)।
- (7) निदान अनुभाग के निर्माण के लिए 'राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 1.40 करोड़)'
- (8) 'मोरार जी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान स्कीम के तहत देश भर में 100 जिलों में 100 स्वामी विवेकानन्द जिला योग आरोग्य केंद्रों के लिए अनुदान-सहायता (` 1.67 करोड़)'
- (9) 'राष्ट्रीय सिद्ध केंद्र, चेन्नई' को वेतन हेतु सहायता अनुदान (` 1.30 करोड़)' अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक माँग की गई है।
- (ख) 'होम्योपैथी इलेक्शन की केंद्रीय परिषद' स्कीम के तहत 14 राज्यों में होम्योपैथी इलेक्शन कराने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (`0.10 करोड़।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक

अनुदान क इसा भाग म उपलब्ध बचता क महनजर साकातक पूरक मांग की गई है।

- (ग) (i) औषधीय पादपों के राष्ट्रीय मिशन के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 2.00 करोड़)।
 - (ii) आयुष अस्पतालों/औषधालयों के विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयुष को मुख्यधारा से जोड़ने की स्कीम के तहत वहां 50/10 विस्तारों वाले अस्पतालों आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान (` 2.78 करोड़)।
 - (iii) आयुष अस्पतालों और औषधालयों के विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयुष को मुख्यधारा से जोड़ने की स्कीम के तहत वहां 50/10 बिस्तरों वाले अस्पतालों की स्थापना के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 9.33 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (घ) फार्माकोपोइया लैबेरिट्री आफ इंडियन मेडिसिन, गाजियाबाद स्कीम के तहत अतिथि गृह के निर्माण की अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति के लिए केंद्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग को किए जाने वाले भुगतान के लिए (`0.40 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर उर्पयुक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (6) Grants for creation of capital assets to 'Central Council for Research in Unani Medicine (CRIUM) for payment to the Central Public Works Department/ National Project Construction Company for construction of buildings of CRIUM, Lucknow and Regional Research Institute of Unani Medicine, Patna & Bhadrak (` 15.52 crore).
- (7) Grants for creation of capital assets to 'National Institute of Naturopathy, Pune' for construction of Treatment Section (` 1.40 crores).
- (8) Grants-in-aid General under the scheme 'Morarji Desai National Institute of Yoga' for 100 Swami Vivekananda District Yoga Wellness Centres established in 100 districts of the country (` 1.67 crore).
- (9) Grants-in-aid Salaries to 'National Institute of Siddha, Chennai' for meeting the salary liability (` 1.30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants-in-aid General under the scheme 'Central Council of Homoeopathy Election' for holding Central Council Homoeopathy election in 14 States (* 0.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants-in-aid General under the scheme 'National Mission on Medicinal Plants' for meeting additional requirement in North-Eastern Areas (` 2.00 crore).
 - (ii) Grants-in-aid General under the scheme 'Development of AYUSH Hospitals & Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH' for setting up of 50/10 bedded hospitals in North-Eastern Areas (* 2.78 crore).
 - (iii) Grants for creation of capital assets under the scheme 'Development of AYUSH Hospitals & Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH' for setting up of 50/10 bedded hospitals in North-Eastern Areas (` 9.33 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- For meeting the additional requirement under the scheme 'Pharmacopoeia Laboratory of Indian Medicine, Ghaziabad' for making the payment to Central Public Works Department for construction of Guest House (` 0.40 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 38 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

	1.3	у			, (करोड़ रुपये Rupee	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	771.00		771.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	W			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	771.05		771.05
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया	जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for under	the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् दिल्ली' को मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं (प्राकार बाह्य और प्राकार अंतरंग दोनों) डायबिटीज और प्रजायी व बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) व आण्विक औषध हेतु अन्य निर्णायक परियोजनाओं सिहत चाटक कार्यकलापों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (`48.26)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid General to 'Indian Council of Medical Research, New Delhi' for ongoing activities involving key research projects (both extramural & intramural) and other crucial projects for Diabetes and Reproductive & Child Health (RCH) as well as the molecular medicine (* 48.26 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 39 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

				(करोड़ रुपये Rupe		s in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।.</i> मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	415.75	439.90	855.65
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.33	0.02	0.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.64		0.64
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	416.72	439.92	856.64
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for under	the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:		0.64	0.64

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) आवश्यक समायोजन अर्थात् वर्ष 2011-12 के लिए एण्डू यूल एंड कम्पनी लि. संबंधी गारंटी शुल्क की माफी हेतु (`0.64 करोड़), और
- (ख) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड को छठे-केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण कम्पनी के पूर्व-कर्मचारियों की पेंशन और बकाया पेंशन संवितरण से संबंधित सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता हेतु (`2.12 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (a) for carrying out necessary adjustment viz. waiver of guarantee fee in respect of Andrew Yule & Company Ltd. (` 0.64 Crore) for 2011-12, and
- (b) additional requirement as Grants-in-aid (` 2.12 Crore) to Hindustan Salts Limited towards disbursement of pension and arrears of pension of ex-employees of the company on account of implementation of 6th CPC Report.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 40 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	4921.54		28.85		4950.39
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.04				0.04
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमानः		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		24.60		24.63
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	4921.61		53.45		4975.06
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	त मुख्य शीष	र्भों के अंतर्गत	दिखाया	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for a	under the fo	llowing N	/lajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:			0.01	(क a)	0.01
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01		0.02		0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	1.00	(घd)	23.51	(ਭ e)	24.51
पूंजी परिव्यय								
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं	स्वीकृत:	4070 - Capital Outlay on Other	Voted:			0.09	(चf)	0.09
पर पूंजी परिव्यय		Administrative Services						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	1.00		23.60		24.60
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	1.01		23.62		24.63

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- क) (i) आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए विजापन प्रकाशन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (`4.43 करोड़)।
 - (ii) विभिन्न पुरस्कारों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (`3.56 करोड़)।
 - (iii) गृह मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी (मशीनरी और उपस्कर) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (`2.00 करोड़)।
- (ख) असैन्य रक्षा में पूर्ण सुधार के तहत मध्याविध मूल्यांकन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (`0.30 करोड़)।
- (ग) (i) गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) न्यायाधिकरण के संदर्भ में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (`0.67 करोड़)।
 - (ii) नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज (` 0.01 करोड़), पुलिस मेडल (` 0.22 करोड़) और 1965 के संघर्ष के दौरान और पश्चात पाकिस्तान द्वारा जब्त संपत्ति के लिए भारतीय नागरिकों को अनुग्रह भुगतान (` 0.09 करोड़) देने पर होने वाले व्यय की पूर्ति।

The supplementary grants are required for:

- (i) meeting additional expenditure on publishing advertisements for campaigning against terrorism (* 4.43 crore)
 - (ii) meeting additional expenditure on various awards (` 3.56 crore).
 - (iii) meeting additional expenditure on Information Technology (Machinery and Equipment) of Ministry of Home Affairs(` 2.00 crore).
- meeting additional expenditure on mid term evaluation under Revamping of Civil Defence (` 0.30 crore).
- (i) meeting additional expenditure in respect of Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (` 0.67 crore).
- (ii) meeting expenditure on National Civil Defence College (` 0.01 crore), Police Medal (` 0.22 crore) and ex-gratia payment to Indian Nationals for properties seized by Pakistan during and after 1965 Conflicts (` 0.09 crore).

(e)

- (iii) न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी आयोग को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (` 0.05 करोड़)।
- (iv) नेशनल फायर सर्विस कॉलेज की व्यावसायिक सेवाओं के तहत व्यय की पूर्ति (`0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए उक्त (क), (ख) और (ग) की मदों के सम्बद्ध में प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (घ) मानव अधिकार भवन के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।
- (ङ) (i) नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (`1.00 करोड़)।
 - (ii) नेशनल फायर सर्विस कॉलेज पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (` 22.51 करोड़)।
- (च) नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज के मशीनरी और उपस्कर के तहत होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, (घ), (ङ) और (च) पर उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।

- (iii) providing additional Grants-in-aid General to Justice Tarun Chatterjee Commission (` 0.05 crore).
- (iv) meeting expenditure under Professional Services of National Fire Service College (` 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case in respect of items at (a), (b) and (c) above.

- (d) meeting additional expenditure on construction of Manav Adhikar Bhawan.
 - (i) meeting additional expenditure on National Civil Defence College (` 1.00 crore).
 - (ii) meeting additional expenditure on National Fire Service College (` 22.51 crore).

meeting additional expenditure on Machinery and Equipment of National Civil Defence College.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure at (d), (e) and (f) will not entail any additional cash outgo.

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 41 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

Grants for the year 2011-2012 a	ina page 4 i	of the Second Supplementary Demands in	or Grants for the y	rear 2011-201.	2)	
					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.62	•••	0.62
	स्वीकृतः		Voted:	329.92	104.07	433.99
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	469.40	82.18	551.58
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	190.69		190.69
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		990.63	186.25	1176.88
	भारित:		Charged:	0.62		0.62
	स्वीकृत:		Voted:	990.01	186.25	1176.26
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	त मुख्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया	जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for under t	he following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2013 - मंत्री परिषद	स्वीकृत:	2013 -Council of Ministers	Voted:		190.69	190.69

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- केन्द्रीय मत्रियों के अन्तर्गत विदेश यात्रा व्यय के तहत लम्बित बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत् (8.65 करोड़) और वीवीआईपी यात्रा हेतु उपयोग में आने वाले वायुयान के रख-रखाव लागत के भ्गतान हेत् (181.64 करोड़)। वाय्यानों की रख-रखाव लागत के भ्गतान के प्रयोजन से भारत की आकस्मिकता निधि में से ` 90.00 करोड़ की अग्रिम की राशि मंजूर की गई थी। संसद द्वारा पूरक मांग की स्वीकृति के बाद यह राशि शेष में वापस दी जाएगी।
- वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 के लिए सब्सिडी दावा हेत् उत्तरी रेलवे केटरिंग यूनिट को प्नः प्रतिपूर्ति हेत् सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (0.40 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure on Foreign Travel Expenses for clearing pending bills under Cabinet Ministers (* 8.65 crore) and for payment of maintenance cost of aircraft utilized for VVIP travel (` 181.64 crore). An advance of ` 90.00 crore sanctioned from Contingency Fund of India for the purpose of payment of maintenance cost of aircraft shall be recouped to the Fund after the supplementary grant is passed in the Parliament.

providing Grants-in-aid-General for re-imbursement to the Northern Railway Catering Unit for the subsidy claim for the year 2009-10 and 2011-12 (` 0.40 crore).

The above expenditure will entail cash outgo.

प्लिस

POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36-37 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 42-43 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 36-37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 42-43 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये R	upees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	4.41	8.10	12.51
	स्वीकृत:		Voted:	31543.06	8464.42	40007.48
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:		Charged:	2.80	0.01	2.81
	स्वीकृत:		Voted:	3259.48	0.03	3259.51
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the				
का पूरक अनुमान:		amount now required:				
	भारित:		Charged:	0.50		0.50
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.02	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		34810.27	8472.58	43282.85
	भारित:		Charged:	7.71	8.11	15.82
	स्वीकृत:		Voted:	34802.56	8464.47	43267.03

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2055 - पुलिस	भारित:	2055 - Police	Charged:			0.50	(कa)	0.50
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		0.01		0.51		0.52
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4055 - पुलिस पर पूंजी	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01	(घd)	0.01	(ਭ e)	0.02
परिव्यय								
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.02		0.52		0.54
	भारित:		Charged:			0.50		0.50
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02		0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
 - अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी को पेट्रोल, स्नेहक तथा तेल (` 0.25 करोड़), लघु निर्माण कार्यों (` 1.99 करोड़) तथा सूचना और प्रौद्योगिकी (मशीनरी तथा उपस्कर) (` 0.10 करोड़) के ट्यय की पूर्ति हेत।
 - (ii) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल को सूचना प्रौद्योगिकी (मशीनरी तथा उपस्कर) के व्यय की पूर्ति हेतु (0.08 करोड़)।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) for meeting additional expenditure on Salaries of Central Reserve Police Force (CRPF).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - (i) for meeting expenditure of North Eastern Police Academy on Petrol, Lubricant and Oil (* 0.25 crore), Minor Works (* 1.99 crore) and Information Technology (Machinery and Equipment)(* 0.10 crore).
 - (ii) for meeting expenditure of Central Detective Training School on Information Technology (Machinery and Equipment)(* 0.08 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ग) (i) केन्द्रीय औद्योगिक बल के शस्त्र और गोला बारूद (` 32.10 (c) करोड़), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (` 0.15 करोड़), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (` 11.37 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेत्।
 - (ii) असम राइफल की व्यावसायिक सेवाओं (` 0.84 करोड़), आप्रवासन ब्यूरो (` 0.25 करोड़), चुनाव कार्यो हेतु बलों के नियोजन पर लम्बित दावों के निपटान सम्बन्धी भुगतान (` 2.00 करोड़) और सीमा जांच चौकियों (` 3.00 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेतु।
 - (iii) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक (` 180.00 करोड़), केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल (` 25.15 करोड़), भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (` 5.66 करोड़), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (` 7.00 करोड़) और दिल्ली पुलिस (` 9.79 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेतु।
 - (iv) असम राइफल्स के वस्त्र तथा टैंट निर्माण (` 10.00 करोड़), सीमा सुरक्षा बल (` 25.00 करोड़), सीआरपीएफ (` 75.55 करोड़), दिल्ली पुलिस (` 2.92 करोड़) तथा केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (` 0.03 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेत्।
 - (v) असम राइफल्स के विज्ञापन तथा प्रचार (` 1.00 करोड़), राष्ट्रीय अपराध न्यायिक विज्ञान (` 0.03 करोड़), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (` 0.01 करोड़) तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (` 0.30 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेतु।
 - (vi) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (सी डी टी एस) के लघु निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु (0.46 करोड़)।
 - (vii) असम राइफल्स के विज्ञापन तथा प्रचार (भर्ती) पर व्यय की पूर्ति हेतु (`0.05 करोड़)।
 - (viii) न्यायिक विज्ञान निदेशालय को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना (` 0.38 करोड़)।
 - (ix) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अन्य प्रभारों (V) (` 0.20 करोड़), नक्सल प्रबन्ध (` 13.31 करोड़) तथा अनुसंधान (` 20.00 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेतु।
 - (x) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सूचना प्रौद्योगिकी (मशीन एवं उपस्कर) (` 4.00 करोड़), राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान (` 0.15 करोड़) और राष्ट्रीय अन्वेषण एजेन्सी (` 0.50 करोड़) संबंधी व्यय की पूर्ति हेत्।
 - (xi) दिल्ली पुलिस के अन्य प्रशासनिक व्यय (` 0.05 करोड़), आसूचना ब्यूरो (` 0.15 करोड़) और मानव तस्कर रोधी इकाइयों(` 0.78 करोड़) संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

(घ) (i) दिल्ली पुलिस (` 27.90 करोड़), असम राइफल्स (` 5.00 करोड़), सीमा सुरक्षा बल (` 20.00 करोड़), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (` 35.20 करोड़) भारत तिब्बत सीमा पुलिस (` 20.00 करोड़) और आसूचना ब्यूरो (` 16.50 करोड़) के कार्यालय भवन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- for meeting expenditure on Arms and Ammunition of Central Industrial Force (* 32.10 crore), Narcotics Control Bureau (* 0.15 crore), National Security Guard (* 11.37 crore).
- (ii) for meeting expenditure on Professional Services of Assam Rifles (` 0.84 crore), Bureau of Immigration (` 0.25 crore), payment for clearing pending claims on deployment of forces for election duties (` 2.00 crore) and Border Check Posts(` 3.00 crore).
- (iii) for meeting expenditure on Petrol, Oil and Lubricant of Border Security Force (BSF) (` 180.00 crore), Central Reserve Police Force (` 25.15 crore), Indo-Tibetan Border Police (` 5.66 crore), Sashastra Seema Bal (SSB) (` 7.00 crore) and Delhi Police (` 9.79 crore).
- (iv) for meeting expenditure on Clothing and Tentage of Assam Rifles (* 10.00 crore), Border Security Force
 (* 25.00 crore), CRPF (* 75.55 crore), Delhi Police
 (* 2.92 crore) and Central Detective Training School
 (* 0.03 crore).
- (v) for meeting expenditure on Advertisement and Publicity of Assam Rifles (` 1.00 crore), National Institute of Criminology Forensic Science (` 0.03 crore), National Crime Record Bureau (` 0.01 crore) and National Investigation Agency (` 0.30 crore).
- (vi) for meeting expenditure on Minor Works of Central Detective Training School (CDTS) (` 0.46 crore).
- (vii) for meeting expenditure on Advertisement and publicity (Recruitment) of Assam Rifles (` 0.05 crore).
- (viii) for providing additional Grants-in-aid-General to Directorate of Forensic Science (` 0.38 crore).
- (ix) for meeting expenditure on Other Charges (V) of National Police Academy (* 0.20 crore), Assistance to Naxal Management (* 13.31 crore) and Research (* 20.00 crore).
- (x) for meeting expenditure on Information Technology (Machinery and Equipment) of Central Reserve Police Force (` 4.00 crore), National Institute of Criminology and Forensic Science (` 0.15 crore) and National Investigation Agency (` 0.50 crore).
- (xi) for meeting expenditure on Other Administrative Expenses of Delhi Police (* 0.05 crore), Intelligence Bureau (* 0.15 crore) and Anti Human Trafficking Units (* 0.78 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) for meeting expenditure on Office Building of Delhi Police (* 27.90 crore), Assam Rifles (* 5.00 crore), Border Security Force (* 20.00 crore), Central Reserve Police Force (* 35.20 crore), Indo-Tibetan Border Police (* 20.00 crore) and Intelligence Bureau (IB) (* 16.50 crore).

(e)

- (ii) दिल्ली पुलिस के आवासीय भवन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (40.00 करोड़)।
- (iii) भारत बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य के तहत ओपी टावर (`150.00 करोड़) और सीमा चौंकियों (`20.00) के निर्माण और भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य के तहत सड़कों के निर्माण (`21.00 करोड़) संबंधी व्यय की पूर्ति हेत्।
- (iv) केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (` 0.15 करोड़) और केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (` 0.40 करोड़) के मोटर वाहन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
- (v) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल की मशीन और उपस्कर संबंधी व्यय की पूर्ति हेत् (`0.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- (ङ) (i) केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई) की मशीनरी तथा उपस्कर (` 0.60 करोड़), बीएसएफ (` 19.65 करोड़), एसएसवी (` 3.00 करोड़) और आईबी (` 3.19 करोड़) के व्यय की पूर्ति हेतु।
 - (ii) असम राइफल्स (`11.40 करोड़), एसएसबी (`12.50 करोड़), दिल्ली पुलिस (`7.00 करोड़), टीयर स्मोक यूनिट (`0.14 करोड़), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (`0.15 करोड़), केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (`0.40 करोड़), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (`0.06 करोड़), राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान (`0.05 करोड़), आईबी (`1.50 करोड़), आप्रवासन ब्यूरो (`1.10 करोड़), बीएसएफ (`9.49 करोड़) और सीआरपीएफ (`15.00 करोड़) के मोटर वाहन संबंधी व्यय की पूर्ते हेतु।
 - (iii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के मोटर वाहन (` 0.05 करोड़) और मशीनरी एवं उपस्कर (` 0.02 करोड़) संबंधी व्यय की पूर्ति हेत्।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- (ii) for meeting expenditure on Residential Building of Delhi Police (* 40.00 crore).
- (iii) for meeting expenditure on construction of OP Tower (` 150.00 crore) and Border Outposts (` 20.00 crore) under Indo-Bangladesh Borde Works and Construction of Roads under Indo-Pak Border Works (` 21.00 crore).
- (iv) for meeting expenditure on Motor Vehicles of Central Academy of Police Training (` 0.15 crore) and Central Detective Training School (` 0.40 crore).
- (v) for meeting expenditure on Machinery and Equipment of Central Detective Training School (` 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) for meeting expenditure on Machinery and Equipment of Central Forensic Science Lab (CBI)(* 0.60 crore), BSF
 (* 19.65 crore), SSB (* 3.00 crore) and IB (* 3.19 crore).
- (ii) for meeting expenditure on Motor Vehicles of Assam Rifles (* 11.40 crore), SSB (* 12.50 crore), Delhi Police (* 7.00 crore), Tear Smoke Unit (* 0.14 crore), Bureau of Police Research and Development (* 0.15 crore), Central Detective Training School (* 0.40 crore), National Crime Records Bureau (* 0.06 crore), National Institute of Criminology and Forensic Science (* 0.05 crore), IB (* 1.50 crore), Bureau of Immigration (* 1.10 crore), BSF (* 9.49 crore)and CRPF (* 15.00 crore).
- (iii) for meeting expenditure on Motor Vehicle (* 0.05 crore) and Machinery and Equipment (* 0.02 crore) of Institute of Medical Science of Central Armed Police Force.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 44 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये	Rupees in Crore
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	1640.84	103.99	1744.83
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		0.04
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.03	0.01	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1640.94	104.00	1744.94
	भारित:		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	1640.91	104.00	1744.91
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत रि	देखाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for un	der the follo	owing Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत:	2245 -Relief on account of Natural	Voted:	0.01	(क a) 0.01	(खb) 0.02
		Calamities				
2250 - अन्य सामाजिक	स्वीकृत:	2250 -Other Social Services	Voted:		0.01	(गc) 0.01
सेवाएं						
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	0.02	0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4250 - अन्य समाज सेवाओं	स्वीकृत:	4250 - Capital Outlay on other Social	Voted:		0.01	(घd) 0.01
पर पूंजी परिव्यय		Services				
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.03	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत भुगतान हेतु आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क के लिए (` 0.90 करोड़)।
 - (ii) व्यावसायिक सेवाओं के तहत भुगतान हेतु आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क के लिए (` 0.90 करोड़)।
 - (iii) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना हेतु पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (` 0.63 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(ख) यूएनडीपी जोखिम प्रबंधन परियोजना के तहत सीएएए द्वारा किए गए डेबिट को सुलझाने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (`10 करोड़)। The supplementary grants are required for:

- (i) Disaster Management Communication Network for payment under Other Administrative Expenses (* 0.90 crore)
- (ii) Disaster Management Communication Network for payment under Professional Services(` 0.90 crore)
- (iii) providing additional Grants-in-aid for creation of Capital Assets for National Cyclone Risk Mitigation Project (* 0.63 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

providing additional grants-in-aid to clear the debits raised by CAAA under UNDP-Risk Management Project (` 10 crore).

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचर्तों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ग) युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (c) (`1 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (घ) राष्ट्रीय आपदा अनुक्रियाशील बल के कार्यालय भवन के तहत व्यय की पूर्ति हेतु (`10.46 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure on Youth Exchange Programme (` 1 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting expenditure under Office Building of National Disaster Responsive Force (` 10.46 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 46 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपर	र्गे Rupee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	60088.58				60088.58
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.05				0.05
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	70.02				70.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	60158.65				60158.65
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	ा मुख्य शीप	र्षों के अंतर्गत	दिखाया उ	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for	under the foll	lowing Ma	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)	70.00	(खb)	70.01
2552 - पूर्वीत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		70.00		70.02

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- The supplementary grants are required for:
- क) (i) 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना के तहत सामान्य/एससीएसपी/टीएसपी घटकों की अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 649.00 करोड)।
 - (ii) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' स्कीम के तहत सामान्य एससीएसपी/टीएसपी घटकों की अतिरिक्त जरुरतों की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 76.25 करोड़)।
 - (iii) 'प्रौढ़ शिक्षा तथा दक्षता विकास स्कीम' के तहत सामान्य एससीएसपी/टीएसपी घटकों की अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 2.26 करोड़)।
 - (iv) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' के सामान्य एससीएसपी/टीएसपी घटकों की अतिरिक्त जरुरतों की पूर्ति के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 12.30 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (ख) (1) तिब्बती शरणार्थी बच्चों (तिब्बती स्कूल सोसाइटी) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता (` 1.00 करोड़)।

- (i) Grants-in-aid General under the scheme of 'Sarva Shiksha Abhiyan' to meet the additional requirement under General/SCSP/TSP components (` 649.00 crore).
- (ii) Grants-in-aid General under the scheme of 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' to meet the additional requirement under General/SCSP/TSP components (* 76.25 crore).
- (iii) Grants-in-aid General under the scheme of 'Adult Education & Skill Development Scheme' to meet the additional requirement under General/SCSP/TSP components (* 2.26 crore).
- (iv) Grants for creation of capital assets under the scheme of 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' to meet the additional requirement under General/SCSP/TSP components (` 12.30 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (1) Grants-in-aid General to Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society) to meet the additional expenditure (` 1.00 crore).

(i)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक मांग की गई है।

(2) निम्नलिखित स्वायतशासी निकायों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान। (i) राष्ट्रीय बाल भवन (`0.20 करोड़), (ii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (`53.05 करोड़) (iii) नवोदय विद्यालय समिति (`13.10 करोड़) (iv) तिब्बती शरणार्थी बच्चों (तिब्बती स्कूल सोसाइटी) के लिए शैक्षिक सुविधाएं (`3.65 करोड़)।

उपर्युक्त व्ययों में निवल नकद व्यय होगा।

- (ग) (i) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसियों की अतिरिक्त जरुरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 18.57 करोड़)।
 - (ii) 'सेकन्डरी तथा हायर सेकन्डरी स्कूलों के छात्रों के लिए असम में बालिका छात्रावासों के निर्माण तथा उसके संचालन की स्कीम' के तहत नए बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए पूंजीगत आस्तियों के मृजन हेतु अनुदान (` 5.72 करोड़)।
 - (iii) 'भाषा प्राध्यापकों की नियुक्ति' स्कीम के तहत पूर्वीतर राज्यों की अतिरिक्त जरुरतों की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 13.00 करोड़)।
 - (iv) 'सर्वशिक्षा अभियान' स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसी को अतिरिक्त जरुरतों की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 235.52 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(2) Grants-in-aid General to the following autonomous bodies to meet the additional expenditure on (i) National Bal Bhawan (` 0.20 crore) (ii)National Council of Educational Research and Training (` 53.05 crore) (iii)Navodaya Vidhyalaya Samiti (` 13.10 crore) (iv)Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society) (` 3.65 crore).

The above expenditure will entail a net cash outgo;

- Grants-in-aid General under the scheme 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' for releasing the additional requirements to the Implementing agencies in North-Eastern States (` 18.57 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets for construction of new girls hostels in Assam under the scheme 'Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary & Higher Secondary Schools (* 5.72 crore).
- (iii) Grants-in-aid General under the scheme 'Appointment of Language Teachers' for releasing the additional requirement to the North-Eastern States (* 13.00 crore).
- (iv) Grants-in-aid General under the scheme 'Sarva Shiksha Abhiyan' for releasing the additional requirements to the implementing agency in North-Eastern States (` 235.52 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

उच्च शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 47 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

(-)69.67

				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	21912.00				21912.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
इस समय आवश्यक		Supplementary Estimate of the amount						
रकम का पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	69.71				69.71
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	21981.74				21981.74
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दि	खाया जायेग	Π:		
		II. This Supplementary Grant will be according	unted for ur	nder the follow	ing Major H	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	69.67	(कa)	0.01	(खb)	69.68
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत:	2203 -Technical Education	Voted:	0.01	(गc)	0.01	(घd)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(ਭ e)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	69.69		0.02		69.71
•	-							
		टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर वि जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया र		मानों में नीचे ट	शिई गयी व	स्लियों को शामि	मेल नहीं वि	केया गया है
		Note: The above estimates of additional require	ments do not	take into acco	unt the recov	eries shown belo	w, which a	re adjusted
		in reduction of expenditure.						
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

2202 - सामान्य शिक्षा

- (क) (1) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता-अनुदान (i) शैक्षणिक ऋण ब्याज सब्सिडी (` 203.00 करोड़); (ii) ऑरोविले प्रबन्धन (` 0.70 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद (` 10.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

2202 - General Education

(2) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूंजीगत परिसम्पितयों के सृजन हेतु अनुदान (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (` 97.00 करोड़); (ii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (` 4.00 करोड़); (iii) भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला (` 3.53 करोड़) और (iv) ऑरोविलो प्रबन्धन (` 1.30 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

(-)69.67

- (1) Grants-in-aid General for meeting additional requirements under the following schemes:- (i) Educational Loan Interest Subsidy (` 203.00 crore); (ii) Auroville Management (` 0.70 crore) and (iii) National Council for Promotion of Urdu Language (` 10.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (2) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following schemes:- (i) Grants to Central Universities (` 97.00 crore); (ii) Rashtriya Sanskrit Sansthan (` 4.00 crore); (iii) Indian Institute of Advanced Studies, Shimla (` 3.53 crore) and (iv) Auroville Management (` 1.30 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- (3) निम्निलिखित को विशेष सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (i) दिल्ली विश्वविद्यालय (` 33.00 करोड़) और (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के अन्तर्गत मैसूर विश्वविद्यालय (` 36.67 करोड़)। चूंकि प्रस्तावित व्यय की भारतीय लोक लेखे में धारित 'सामाजिक और ढांचागत विकास निधि' से पूर्ति की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत् निम्नलिखित संस्थानों को सामान्य (ख) (1) सहायता अनुदान (i) विश्विविद्यालय अनुदान आयोग (` 13.32 करोड़); (ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (` 238.43 करोड़); (iii) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (` 6.09 करोड़); (iv) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (` 2.38 करोड़); (v) भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला (` 0.41 करोड़); (vi) भारतीय तात्विक अनुसंधान परिषद (` 0.18 करोड़); (vii) हिन्दी शिक्षण मण्डल आगरा (` 0.04 करोड): (viii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (` 8.94 करोड़); (ix) राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन और प्रशासन विश्वविद्यालय (` 0.60 करोड़) और (x) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग (` 0.02 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- (2) 'केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान' योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (` 30.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक
- (ग) (1) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु को अनुदान (` 30.00 करोड़); (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (` 28.24 करोड़) और (iii) नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (` 41.93 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक

पूरक की मांग की गयी है।

पूरक की मांग की गयी है।

(2) निम्निलिखित योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूंजीगत परिसम्पितयों के सृजन हेतु अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (` 29.76 करोड़); (ii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर (` 15.00 करोड़); (iii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (` 10.00 करोड़); (iv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कांचीपुरम में डिजाइन तथा विनिर्माण (` 5.00 करोड़); (v) नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (` 96.46 करोड़); (vi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विज्ञान संस्थान (` 39.33 करोड़); (vii) नए भारतीय प्रबन्ध संस्थान की स्थापना (` 20.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (3) Grants-in-aid General for special assistance to (i) University of Delhi (` 33.00 crore) and (ii) University of Mysore (` 36.67 crore) under the scheme 'University Grants Commission'. Since, the proposed expenditure will be met from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Account of India, there will be no cash outgo.
- (1) Grants-in-aid General to the following Institutions for meeting additional expenditure (i) University Grants Commission (* 13.32 crore); (ii) Grants to Central Universities (* 238.43 crore); (iii) Indian Council of Social Science Research (* 6.09 crore); (iv) Indian Council of Historical Research (* 2.38 crore); (v) Indian Institute of Advanced Studies, Shimla (* 0.41 crore); (vi) Indian Council of Philosophical Research (* 0.18 crore); (vii) Hindi Shikshan Mandal, Agra (* 0.04 crore); (viii) Rashtriya Sanskrit Sansthan (* 8.94 crore); (ix) National University of Education Planning and Administration (* 0.60 crore) and (x) National Commission for Minority Educational Institutions (* 0.02 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (2) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the scheme 'Grants to Central Universities' (` 30.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (1) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following schemes:- (i) Grants to Indian Institute of Science, Bengaluru (` 30.00 crore); (ii) Indian Institutes of Technology (` 28.24 crore) and (iii) Setting up of New Indian Institutes of Technology (` 41.93 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (2) Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement under the following schemes:- (i) Indian Institutes of Technology (* 29.76 crore); (ii) Indian Institute of Information Technology, Jabalpur (* 15.00 crore); (iii) Indian Institute of Information Technology, Allahabad (* 10.00 crore); (iv) Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing at Kanchipuram (* 5.00 crore); (v) Setting up of New Indian Institutes of Technology (* 96.46 crore); (vi) Indian Institutes of Science for Education Research (* 39.33 crore) and (vii) Setting up of New Indian Institutes of Management (* 20.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (3) विशेष सहायता के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 46.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (घ) (1) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्निलिखित संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (27.26 करोड़); (ii) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु को अनुदान (37.12 करोड़); (iii) भारतीय खान स्कूल, धनबाद (4.63 करोड़); (iv) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर (1.95 करोड़); (v) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (6.65 करोड़); (vi) संत लोंगेवाल इन्जीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (2.91 करोड़); (vii) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई, कोलकाता, कानपुर तथा चेन्नई (1.34 करोड़) और (viii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (68.69 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- (2) इन्जीनियरिंग विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान में 'भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी' योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (` 13.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ङ) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (` 50.00 करोड़) और (ii) भारतीय प्रबन्ध संस्थान (` 65.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- (3) Grants for creation of capital assets to Indian Institutes of Technology, Kharagpur as special assistance (` 46.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (1) Grants-in-aid General to the following Institutions for meeting additional expenditure (i) Indian Institutes of Technology (* 27.26 crore); (ii) Grants to Indian Institute of Science, Bengaluru (* 37.12 crore); (iii) Indian School of Mines, Dhanbad (* 4.63 crore); (iv) School of Planning and Architecture (* 1.95 crore); (v) Indian Institute of Information Technology, Allahabad (* 6.65 crore); (vi) Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (* 2.91 crore); (vii) Board of Apprenticeship Training, Mumbai, Kolkata, Kanpur and Chennai (* 1.34 crore) and (viii) National Institutes of Technology (NITs) (* 68.69 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (2) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the scheme 'Indian National Digital Library in Engineering Science and Technology (INDEST) Consortium' (* 13.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following schemes:- (i) National Institutes of Technology (NITs) (` 50.00 crore) and (ii) Indian Institutes of Management (` 65.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 48 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	2056.14	587.54	2643.68
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	23.34	8.63	31.97
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	75.43		75.43
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2154.94	596.17	2751.11
	भारित:		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	2154.91	596.17	2751.08
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	न मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत वि	देखाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for und	der the follo	wing Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत:	2220 -Information and Publicity	Voted:	•••	0.01	(कa) 0.01
2221 - प्रसारण	स्वीकृत:	2221 -Broadcasting	Voted:	40.00	(ख b) 35.42	(गc) 75.42
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	40.00	35.43	75.43

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय फिल्म्स टेलीविजन संस्थान को (` 1 करोड़) तथा भारतीय सत्यजीत राय फिल्म्स एवं टेलीविजन संस्थान को (` 0.39 करोड़) का अतिरिक्त सहायता अनुदान मुहैया कराना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, लिहाजा सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (ख) प्रसार भारती को अतिरिक्त सहायता अनुदान मुहैया कराना। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुदान के पूंजी भाग के अन्तर्गत इतनी ही राशि विद्यमान है।
- (ग) प्रसार भारती को (50 करोड़) अतिरिक्त सहायता अनुदान मुहैया कराना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (14.58 करोड़) को ध्यान में रखते हुए शेष राशि का पूरक मांगा गया है। इसमें नगद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुदान के पूंजी भाग में समत्ल्य बचतें उपलब्ध हैं।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional Grants-in-Aid General (` 1 crore) to Films Television Institute of India and (` 0.39 crore) to Satyajit Ray Films Television Institute of India. As equivalent savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional Grants-in-Aid General to Prasar Bharati.
 This will not entail cash outgo as equivalent savings are available under the Capital section of the Grant.
- providing additional Grants-in-Aid General (* 50 crore) to Prasar Bharati. Taking into account savings (* 14.58 crore) available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount is sought. This will not entail cash outgo as equivalent savings are available under the Capital section of the Grant.

श्रम तथा रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 49 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

					,	. т.р. т. т. т.	00 0.0.0,
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.02			0.02
	स्वीकृत:		Voted:	3283.62		746.00	4029.62
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	505.56			505.56
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3789.22		746.00	4535.22
	भारित:		Charged:	0.02			0.02
	स्वीकृत:		Voted:	3789.20		746.00	4535.20
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिर	बाया जाये	गा:	
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for unde	r the followi	ing Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत:	2230 -Labour and Employment	Voted:	0.01	(क a)		0.01
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(खb)		0.01
सहायता		Governments					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के लिए राज्य सोसाइटियों से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा(आरएसबीवाई) के लिए केन्द्रीय हिस्सा जारी करना (` 147.51 करोड़)।
 - (ii) श्रम एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय(डीजीईएण्डटी) (मुख्या.) में 'परियोजना कार्यान्वयन तथा व्यापार परीक्षण की स्कीम' की प्रकाशन जरूरतों को पूरा करने के लिए (` 3.50 करोड़)।
 - (iii) 'दक्षता विकास पहल योजना' के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पंजीकृत सोसाइटियों को सहायता अनुदान (`31.10 करोड़)।
 - (iv) 'पूर्वोत्तर राज्य तथा सिक्किम में दक्षता विकास अवसंरचना को बढ़ाने' सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत राज्य सोसाइटियों को केन्द्र का हिस्सा जारी करने हेतु (` 10.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास की स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (` 31.25 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (i) releasing Central Share of Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) scheme to State Societies for BPL families(` 147.51 crore).
 - (ii) meeting the requirement of Publication in the scheme of 'Project Implementation & Trade Testing at Directorate General of Employment & Training (DGE&T)(Hq.) (` 3.50 crore)
 - (iii) Grants-in-aid General to registered societies of various states / UTs under the scheme 'Skill Development Initiative'(` 31.10 crore).
 - (iv) releasing the Central Share to state societies under the scheme "Enhancing Skill Development Infrastructure in NE States & Sikkim" (`10.00 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Grants-in-aid for creation of capital assets under the scheme of Skill development for 34 left wing extremist districts (* 31.25 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO. 64 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore,		
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
।. मूल विनियोग:		I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:		Charged:	95.22		95.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	भारित:		Charged:	17.53		17.53
जोड़ (मूल और पूरक)	भारित:	Total (Original plus Supplementary)	Charged:	112.75		112.75
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्ष के अ <u>ं</u>	तर्गत दिखाया उ	नायेगाः	
		II. This Supplementary Appropriation will be ac	counted for u	under the follow	ving Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2014 - न्याय प्रशासन	भारित:	2014 - Administration of Justice	Charged:		17.53	17.53

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारत के उच्चतम न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों के वेतन, कार्यालय व्यय, विभागीय कैंटीन और सुरक्षा कार्मिकों के लिए व्यावसायिक सेवाओं हेतु अतिरिक्त आवश्यकता। The supplementary appropriation is required for:

Additional requirement for Salaries of Hon'ble Judges, Office Expenses, Departmental Canteen and under Professional Services' for security Personnel in the Supreme Court of India.

सूक्ष्म, लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 52 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2834.49		166.80		3001.29
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमानः		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	2834.54		166.80		3001.34
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षो	के अंतर्गत	दिखाया उ	नायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for u	nder the foll	owing Ma	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वीत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)			0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना स्कीमों के प्रावधान की वृद्धि (` 7.77 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई।
- (ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (` 92.23 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति (एससीएसपी के लिए ` 20.72 करोड़ और टीएसपी के लिए ` 16 करोड़ सहित) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ग) संस्थापन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु ग्रामीण उद्योग (2.45 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) augmentation of provision for the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim under Prime Minister's Employment Generation Programme (` 7.77 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the additional requirement under Prime Minister's Employment Generation Programme (` 92.23 crore including ` 20.72 crore for Schedule Caste Sub-Plan and ` 16 crore for Tribal Sub-Plan. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional requirement under Village Industry (` 2.45 crore) for meeting establishment related expenditure. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) जोड़ राजस्व पूंजी Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 2751.00 115.00 2866.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary) Voted: 2751.01 115.00 2866.01 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-जोड Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्य भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2235 - सामाजिक स्रक्षा और स्वीकृत: 2235 - Social Security and Welfare Voted: 0.01 0.01 कल्याण

यह पूरक अनुदान निम्निष्धित हेतु अपेक्षित है: शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास हेतु केंद्रीय वक्फ परिषद् को सामान्य सहायता अनुदान (`0.86 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for:

Grant-in-aid General to Central Wakf Council for development of Urban Wakf Properties (* 0.86 crore).

Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 54 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

				(करोड़ रुपये Rupees in Cror		
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।.</i> मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1146.88	65.50	1212.38
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	162.80	5.00	167.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount nov required:	V			
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	1309.69	70.50	1380.19
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व	मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाय	॥ जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accour	nted for unde	r the following	y Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत:	2810 -New and Renewable Energy	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (i) राज्य नोडल विभागों/एजेन्सियों को बायोगैस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (`5.00 करोड़)
- (ii) उन्नत बायोमास अनुसंधान केन्द्र (एबीआरसी) परियोजनाएं, भारतीय बेंगलुरू संस्थान और कुक स्टोव परीक्षण केन्द्र, अनुसंधान, डिजाइन, विकास एवं प्रदर्शन तथा बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्र के तहत जैव और प्रौयोगिकी प्रदर्शन के लिए जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (`3.00 करोड़)।
- (iii) भारतीय रासायनिक प्रौचोगिकी संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे, आईआईटी मुम्बई (फोटो वोल्टीय), आईआईटी मुम्बई (सौर तापीय), पवन ऊर्जा प्रौचोगिकी केन्द्र और अन्य परियोजनाओं के सौर ऊर्जा कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (`13.00 करोड़)।
- (iv) हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन की चालू और तीन नई स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (` 3.75 करोड़),
- (v) राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान, जालंधर को अनुसंधान तथा विकास के लिए प्रयोगशाला तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना हेतु अतिरिक्त उपस्करों की अधिप्राप्ति पर सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (`1.00 करोड़); और
- (vi) मानव संसाधन विकास और नवीकरणीय ऊर्जा पदों, प्रयोगशाला और पुस्तकालय सहायता शैक्षिक, संस्थाओं को नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेत्, (` 1.00 करोड़)।

The supplementary grant is required for:

- releasing of Grants-in-aid General for implementation of the Biogas Programme to State Nodal Departments/Agencies (* 5.00 crore),
- (ii) releasing of Grants-in-aid General under Bio Energy Programme for Research & Development Projects such as Advanced Biomass Research Centre (ABRC) Projects, Indian Institute of Bengaluru and Cook Stove Test Centre, Biogas & Technology Demonstration Projects under Research, Design, Development & Demonstration and for Biogas Development Training Centre (` 3.00 crore),
- (iii) releasing of Grants-in-aid General under Solar Energy Programme for Research and Development Projects of Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad, National Chemical Laboratory, Pune, IIT Mumbai (Photo Voltaic), IIT Mumbai (Solar Thermal), Centre for Wind Energy Technology and other projects (* 13.00 crore),
- releasing of Grants-in-aid General for ongoing and three new sanctioned projects of Research, Development and Demonstration in the area of Hydrogen Energy (` 3.75 crore),
- (v) releasing of Grants-in-aid General for procurement of additional equipment for Lab and Technology Demonstration Project at National Institute of Renewable Energy (NIRE), Jalandhar for research and development (` 1.00 crore), and
- (vi) releasing of Grants-in-aid General under Human Resource Development and Training Programme for Renewable Energy chairs, lab and library support to educational institutions for imparting Renewable Energy education (` 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 56 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

Grants for the year 2011-2012)							
					(करोड़ रुपये R	upees in	Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	71.80	9.20		81.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:		11.00		11.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	6.50			6.50
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	78.30	20.20		98.50
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखार	ग्रा जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for unde	er the following	Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
				i idii	Incel		· ota
				i idii	Non-Plan		rotai
राजस्य भाग		REVENUE SECTION		. iuii			rotui
मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		. idii			Total
मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:		Voted:			(কa)	1.17
मुख्य शीर्ष	स्वीकृतः स्वीकृतः	MAJOR HEAD	Voted: Voted:		Non-Plan	(কa) (खb)	
मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं		MAJOR HEAD 2052 -Secretariat-General Services			Non-Plan		1.17
मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2052 -Secretariat-General Services 2061 -External Affairs	Voted:		Non-Plan 1.17 5.33		1.17 5.33
मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2052 -Secretariat-General Services 2061 -External Affairs Total (Supplementary)	Voted:		Non-Plan 1.17 5.33 6.50		1.17 5.33
मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2061 - विदेशी मामले जोड़ (पूरक)	स्वीकृतः स्वीकृतः अपेक्षित हैः	MAJOR HEAD 2052 -Secretariat-General Services 2061 -External Affairs Total (Supplementary) The supple	Voted:	 s are required	Non-Plan 1.17 5.33 6.50		1.17 5.33
मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2061 - विदेशी मामले जोड़ (पूरक) यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु	स्वीकृतः स्वीकृतः अपेक्षित हैः य का व्ययः	MAJOR HEAD 2052 -Secretariat-General Services 2061 -External Affairs Total (Supplementary) The supple (a) exp	Voted: Voted: ementary grantsenditure of Min	 s are required	Non-Plan 1.17 5.33 6.50 for:		1.17 5.33
मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2061 - विदेशी मामले जोड़ (पूरक) यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु (क) निम्नलिखित के लिए मंत्राल	स्वीकृतः स्वीकृतः अपेक्षित हैः य का व्ययः (` 0.43 करो	MAJOR HEAD 2052 -Secretariat-General Services 2061 -External Affairs Total (Supplementary) The supple (a) exp	Voted: Voted: ementary grants enditure of Min Minor Wor	 s are required istry under:	Non-Plan 1.17 5.33 6.50 for:		1.17 5.33

- (iii) चिकित्सा व्यय (` 0.04 करोड़)।
- (ख) अन्य योजनाएं:
 - (i) अनिवासी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना (` 1.42 करोड़),
 - (ii) जागरूकता अभियान (` 0.03 करोड़),
 - (iii) श्रम गति शीलता सहभागीदारी (`0.03 करोड़),
 - (iv) भारतीय विकास फाउन्डेशन (` 1.15 करोड़),
 - (v) अनिवासी भारतीय केन्द्र (` 0.50 करोड़),
 - (vi) भारतीय विदेशी रोजगार परिषद (` 2.00 करोड़),
 - (vii) अनिवासी भारतीयों के विवाह की समस्या से उत्पन्न समस्या को कानूनी सहायता (`0.10 करोड़), और
 - (viii) भारतीय समुदाय कल्याण निधि (` 0.10 करोड़)। चूंिक अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों को अभ्यर्पित किया जाएगा, अत: इसमे नगद व्यय नहीं होगा।

- (iii) Medical Expenses (` 0.04 Crore).
- (b) other schemes:
 - (i) Scholarship Scheme for Diaspora children (` 1.42 Crore),
 - (ii) Awareness Campaign (` 0.03 Crore),
 - (iii) Labour Mobility Partnership (` 0.03 Crore),
 - (iv) Indian Development Foundation (* 1.15 Crore),
 - (v) Overseas Indian Centres (* 0.50 Crore),
 - (vi) Indian Council of Overseas Employment (* 2.00 Crore),
 - (vii) Legal Assistance to women facing problem in Non Resident Indian (NRI) marriages (* 0.10 Crore), and
 - (viii) Indian Community Welfare Fund (* 0.10 Crore).
 As the equivalent savings available in Capital Section of the Grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

स्वीकृत:

स्वीकृत:

स्वीकृत:

I. ORIGINAL GRANT:

required:

राजस्व पूंजी जोड़ Capital Total Revenue Voted: 5250.65 5250.65 Supplementary Estimate of the amount now Voted: 0.01 0.01 Total (Original plus Supplementary) Voted: 5250.66 5250.66 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

आयोजना आयोजना-जोड Plan भिन्त Total

Non-Plan

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

राजस्य भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD**

2515 - अन्य ग्रामीण विकास स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Voted: 0.01 0.01

कार्यक्रम Programmes

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

।. मूल अनुदान:

जोड़ (मूल और पूरक)

अन्मान:

इस समय आवश्यक रकम का पूरक

ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण हेत् राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान रूप में अतिरिक्त आवश्यकता (` 25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हए, सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The supplementary grant is required for:

additional requirement as Grants-in-aid for creation of capital assets (` 25 crore) under Rashtriya Gram Swarojgar Yojana towards construction of Gram Panchayat Bhawans. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 57 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

Grants for the year 2011-2012	and page 5	7 of the Second Supplementary Demands for	or Grants for th	ne year 2011-2	012)	
					(करोड़ रुपये ।	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	16.98	5.00	21.98
	स्वीकृत:		Voted:	675.18	69.62	744.80
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:		Charged:	1.00	•••	1.00
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.01	0.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	10.07		10.07
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		703.25	74.63	777.88
	भारित:		Charged:	17.98	5.00	22.98
	स्वीकृत:		Voted:	685.27	69.63	754.90
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for unde	r the following	Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:		7.55	(क a) 7.55
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:		2.52	(ख b) 2.52
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		10.07	10.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 6.00 करोड़)।
 - (ii) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के घरेलू यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 1.55 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए

उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (i) meeting additional expenditure on Salaries of Central Bureau of Investigation (` 6.00 crore).
- (ii) meeting additional expenditure under Domestic Travel Expenses of Central Bureau of Investigation (` 1.55 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

providing additional Grants-in-aid-Salaries to Indian Institute of Public Administration.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 58 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

•					(करोड़ रुपर	ो Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
<i>।.</i> मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	23716.20			23716.20
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	30000.00	1585.74		31585.74
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	14838.11	0.01		14838.12
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	68554.31	1585.75		70140.06
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीर्षों	के अंतर्गत दिख	ाया जायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be acc		المالية المالية المالية	n Malan Haada		
		ii. This Supplementary Grant will be acc	ounted for ur	ider the followin	ig iviajor Heads:		
		ii. This Supplementary Grant will be acc	ounted for ur	ader the followir आयोजना	ig Major Heads: आयोजना-		जोड़
		ii. This Supplementary Grant will be acc	ounted for ur				जोड़ Total
		ii. This Supplementary Grant will be acc	ounted for ur	आयोजना	आयोजना-		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION	ounted for ur	आयोजना	आयोजना- भिन्न		
<i>राजस्य भाग</i> मुख्य शीर्ष			ounted for ur	आयोजना	आयोजना- भिन्न		
मुख्य शीर्ष 2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृतः	REVENUE SECTION	Voted:	आयोजना	आयोजना- भिन्न	(কa)	
मुख्य शीर्ष	स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना - भिन्न Non-Plan	(কa)	Total
मुख्य शीर्ष 2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत:	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2802 -Petroleum		आयोजना Plan	आयोजना - भिन्न Non-Plan	(কa)	Total
मुख्य शीर्ष 2802 - पेट्रोलियम प्रंजी भाग	स्वीकृतः स्वीकृतः	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2802 - Petroleum CAPITAL SECTION		आयोजना Plan	आयोजना - भिन्न Non-Plan	(কa) (खb)	Total
मुख्य शीर्ष 2802 - पेट्रोलियम <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2802 -Petroleum CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	Voted:	आयोजना Plan 	आयोजना - भिन्न Non-Plan 14838.11	, ,	Total 14838.11

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण तेल विपणन कम्पनियों को अनुमान से कम वसूलियों के संबंध में क्षतिपूर्ति (` 15,000 करोड़) प्रदान करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (` 161.89 करोड़) को देखते हुए, इसमें (` 14838.11 करोड़) का निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) तेल एंव प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (` 0.01 करोड़)। इस व्यय की पूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से की जाएगी और इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing compensation (` 15,000 crore) towards estimated under- recoveries to Oil Marketing Companies on account of sale of petroleum products. Taking into account the savings (` 161.89 crore) available within the same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of ` 14838.11 crore.
- (b) additional equity investment (` 0.01 Crore) in the form of bonus shares issued by Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). The expenditure will be matched by capital receipts and shall not entail cash outgo.

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	944.39		731.61	1676.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	197.00		0.01	197.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	1141.40		731.62	1873.02
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत (देखाया ज	गयेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for un	der the follo	wing Ma	jor Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
		DEVENUE CECTION				Non-Plan	
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD					
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और	स्वीकृत:	3454 -Census Surveys and Statistics	Voted:	197.00	(कa)		197.00
सांख्यिकी		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(/		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5 ५४७५ - अन्य सामान्य आर्थिक	स्वीकृत:	5475 - Capital Outlay on Other General	Voted:	0.01	(खb)		0.01
सेवाओ पर पूंजी परिव्यय	-	Economic Services			, ,		
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	197.01			197.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) आधार नम्बर तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध व्यय जरूरतों को पूरा करने हेत्।
 - (ii) संभार तंत्रों से सम्बन्धी जरूरतों, नॉलेज प्रबन्धन (केएम) पोर्टल; संविदा केन्द्रों तथा प्रलेख प्रबंधन प्रणाली से जुडे व्ययों को पूरा करने हेतु।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) सर्वर तथा अन्य आईटी सम्बन्धी मदों के प्रापण हेतु व्यय जरूरतों की पूर्ति हेतु (` 9.61 करोड़)।
 - अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (i) meeting the committed expenditure requirements for generation of Aadhar numbers.
 - (ii) meeting the obligatory expenditure requirements on logistics, expenditure on Knowledge Management (KM) Portal, Contact Center and Document Management System.

As savings are available in the Capital Section of the Grant, this will not entail cash outgo.

meeting the expenditure requirements for procurement of Servers and other IT related items (` 9.61 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 59 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
/. मूल अनुदान <i>ः</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	11969.52		2862.16	14831.68
पूरक अनुदानः	•	SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	47.63		0.02	47.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमानः		Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	1.82		179.63	181.45
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	12018.97		3041.81	15060.78
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	त मुख्य शीष	ों के अंतर्गत ि	देखाया ज	ायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for ι	under the follo	wing Maj		
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				Non-Plan	
सुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2 801 - विद्युत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:	0.01	(कa)	1.81 (ख	rb) 1.82
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
४ ४५५२ - पूर्वोत्तर क्षेत्रों	स्वीकृत:	4552 - Capital Outlay on North	Voted:	0.01	(गc)	***	0.01
पर पूंजी परिव्यय	-	Eastern Areas					
4801 - विद्युत	स्वीकृत:	4801 - Capital Outlay on Power	Voted:	179.61	(घd)		179.61
परियोजनाओं पर पूंजी		Projects					
परिव्यय							
6552 - पूर्वीत्तर क्षेत्रों के	स्वीकृत:	6552 - Loans for North Eastern Areas	Voted:	0.01	(ਭ e)		0.01
लिए ऋण							
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	179.63			179.63
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	179.64		1.81	181.45
		टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर है जिन्हें ट्यय में से घटाकर समायोजित कि Note: The above estimates of additional requir	या जाता है	ļ		·	
राजस्व भाग		in reduction of expenditure. REVENUE SECTION					
2801 - विद्युत		2801 - Power				(-) 1.81	(-) 1.81
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION		•••		(-) 1.01	(-) 1.01
५० ॥ ४॥४। 4801 - विद्युत				(-) 179.61			(-) 179.61
7001 - 14 ga		4801 - Capital Outlay on Power		(-) 1/7.01		•••	(-) 1/7.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

परियोजनाओं पर पूंजी

परिव्यय

(क) (एचएलटीसी) बैंगलुरु और वियुत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान (पीएसटीआई) बैंगलुरु की पूंजी आस्तियों को राष्ट्रीय वियुत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई), फरीदाबाद (` 12.42 करोड़) को अन्तरण

Projects

The supplementary grants are required for:

carrying out past period accounting adjustment (PPA) for transfer of Capital Assets of Hot Line Training Centre (HLTC), Bengaluru and Power System Training Institute (PSTI),

- करने के लिए पूर्व अविधि के लेखा समायोजन करने हेतु (` 12.42 करोड़)। चूंकि इस व्यय को पूंजी प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।
- (ख) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के संस्थापन संबंधी व्यय की पूर्ति। चूंकि इस व्यय की पूर्ति वस्लियों से पूरी की जाएगी, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।
- (ग) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि. (नीपको लि.) रंगानाडी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के संबंध में ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण पूर्व अविध का लेखांकन समायोजन (पीपीए) करना (` 361.10 करोड़) । चूंकि इस टयय को पूंजी प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नगद टयय नहीं होगा।
- (घ) राष्ट्रीय ताप वियुत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड) को आयंटित कोयला ब्लॉक के सन्दर्भ में कोयला उत्पादन क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) के तहत अधिग्रहीत भूमि की क्षतिपूर्ति संवितरण। इस पूरक में नगद व्यय नहीं होगा, क्योंकि इसकी पूर्ति वस्लियों से की जाएगी।
- (ङ) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि. (नीपको लि.) ट्यूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (एनईईपीसीओ) को ऋण प्रदान करना (` 163.3 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- Bengaluru to National Power Training Institute (NPTI), Faridabad (* 12.42 crore). Since this expenditure will be matched by capital receipts, there will be no cash outgo.
- meeting establishment related expenditure of Central Electricity Regulatory Commission (CERC). Since this expenditure will be matched by recoveries, there will be no cash outgo.
- carrying out past period accounting adjustment (PPA) on account of conversion of loan into equity in respect of Ranganadi Hydro Electric Power Project of North Eastern Electric Power Corporation Ltd. (NEEPCO Ltd.)(` 361.10 Crore). Since this expenditure will be matched by capital receipts, there will be no cash outgo.
- Disbursement of compensation of land acquired under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) in respect of Coal Blocks allotted to National Thermal Power Corporation Limited (NTPC Limited). This supplementary does not entail cash outgo as it is matched by recoveries.
- e) loans and advances to Turial Hydro Electric Power Project of North Eastern Electric Power Corporation Ltd. (NEEPCO Ltd.) (` 163.13 crore). As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 62 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				(करोड़ रुपये Rupees	s in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	0.87		0.87
	स्वीकृत:	Voted:	399.13		399.13
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted:	6.00		6.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount			
अनुमान:		now required:			
	स्वीकृत:	Voted:	11.00		11.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	417.00		417.00
	भारित:	Charged:	0.87		0.87
	स्वीकृत:	Voted:	416.13		416.13
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष वे	न अंतर्गत दिख	ाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accounted for und	er the following	ng Major Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	स्वीकृत:	2011 -Parliament/State/Union Territory Voted:		11.00	11.00
के विधान मंडल		Legislatures			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण के बाद बकाया भुगतान हेतु तथा समयमान पदोन्नित के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय और उत्तर रेलवे से प्रा 2010-11 के लिए वर्धित सब्सिडी दावों की पूर्ति हेतु।

उपर्यक्त व्यय में नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure on account of Salaries for staff of Lok Sabha Secretariat for payment of arrears after fixation of pay and implementation of time scales promotion and to meet the increased subsidy claim for 2010-11 received from Northern Railway.

The above expenditure will entail a cash outgo.

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये ।	Rupees i	n Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.82			0.82
	स्वीकृत:		Voted:	223.53			223.53
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	0.01			0.01
	स्वीकृत:		Voted:	33.01			33.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		257.37			257.37
	भारित:		Charged:	0.83			0.83
	स्वीकृत:		Voted:	256.54			256.54
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब नि	ोम्नलिखित मु	ख्य शीर्ष के 3	नंतर्गत दिखाया जारे	ोगा:	
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	on will be acc	ounted for ur	nder the following	Major H	ead:
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	भारित:	2011 - Parliament/State/Union Territory	Charged:		0.01	(क a)	0.01
के विधान मंडल		Legislatures					
	स्वीकृत:		Voted:		33.01	(खb)	33.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			33.02		33.02

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राज्यसभा के सभापित तथा उपसभापित के वेतन एवं टीए/डीए बिलों से सम्बिधत अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (`0.01 करोड़)।
- (ख) सदस्यों तथा सचिवालय अधिकारियों के वेतन एवं भतों, उत्तर रेल खान-पान सेवा तथा अन्य सरकारी एजेंसियों से सम्बधित ऋण दावों तथा परामर्शकों आदि के कार्यालय उपस्करों की अधिप्राप्ति तथा शुल्क के भुगतान आदि के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (` 33.01 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting additional expenditure towards salary and TA/DA Bills of Chairman & Dy. Chairman, Rajya Sabha. (` 0.01 crore)
- meeting additional expenditure for payment of salary and allowances to the Members and officials of the Secretariat, debit claims pertaining to Northern Railway Catering Services and other government agencies, procurement of office equipments, payment of fee to consultants etc. (* 33.01 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 63 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

राजस्व

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:			9.20		9.20
	स्वीकृत:		Voted:	19241.31		21490.00		40731.31
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	300.01		****		300.01
इस समय आवश्यक		Supplementary Estimate of the						
रकम का पूरक		amount now required:						
अनुमान:						704.00		101/ 50
<u> </u>	स्वीकृत:	T.1.(0::11.0.1.1.)	Voted:	485.15		731.38		1216.53
जोड़ (मूल और पूरक)	a 	Total (Original plus Supplementary)		20026.47		22230.58		42257.05
	भारित:		Charged:			9.20		9.20
	स्वीकृत:		Voted:	20026.47		22221.38		42247.85
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि II. This Supplementary Grant will be acc						
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for unc	uer the followi आयोजना	ng wajor i	neaus. आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
मुख्य शाष 3054 - सड़क और	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3054 -Roads and Bridges	Voted:	481.82	(কa)	3.33	(खb)	485.15
	स्वीकृत:		Voted:	481.82	(ক a)	3.33	(खb)	485.15
3054 - सड़क और	स्वीकृतः		Voted:	481.82	(কa)	3.33	(खb)	485.15
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	481.82	(কa)	3.33	(खb)	485.15
3054 - सड़क और पुल प्रंजी भाग	स्वीकृत: स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges CAPITAL SECTION	Voted:	481.82 0.01	(कa) (गc)	3.33	(खb)	485.15 0.01
3054 - सड़क और पुल <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		3054 -Roads and Bridges CAPITAL SECTION MAJOR HEAD			` ,		(खb)	
3054 - सड़क और पुल प्रंजी भाग मुख्य शीर्ष 4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4552 - Capital Outlay on North			` ,		(खb)	
3054 - सड़क और पुल पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय		3054 -Roads and Bridges CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गट)		(खb)	0.01
3054 - सड़क और पुल प्रंजी भाग मुख्य शीर्ष 4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिच्यय 5054 - सड़क और	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas 5054 - Capital Outlay on Roads and	Voted:	0.01	(गट)		(खb)	0.01
3054 - सड़क और पुल पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय 5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas 5054 - Capital Outlay on Roads and	Voted:	0.01	(गट)		(퍃 b)	0.01
3054 - सड़क और पुल पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिच्यय 5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी	स्वीकृतः स्वीकृतः स्वीकृतः	3054 -Roads and Bridges CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas 5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted: Voted:	0.01 731.37	(गट)		(खb)	0.01 731.37
3054 - सड़क और पुल प्रंजी भाग मुख्य शीर्ष 4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय 5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृतः स्वीकृतः	3054 -Roads and Bridges CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas 5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges Total (Capital Section)	Voted: Voted:	0.01 731.37 731.38	(गट)		(खb)	0.01 731.37 731.38

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्लियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है!

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग CAPITAL SECTION

5054 - सड़क और 5054 - Capital Outlay on Roads and (-) 731.37 ... (-) 731.37

(a)

पुलों पर पूंजी Bridges

परिव्यय

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) "राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि को अंतरण" योजना के तहत अंतर लेखा अंतरण संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (`600.00 करोड़)। meeting expenditure on Inter Account Transfer under the scheme Transfer to National Highways Permanent Bridges Fee Fund (` 600.00 crore).

(d)

- (ii) केंद्रीय सड़क कोष में अंतरण (`176.82 करोड़)
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (`295.00 करोड़)
 और पूंजी भाग से अभ्यर्पित की जाने वाली राशि (`305.00 करोड़) के मद्देनजर इसमें निवल नकद व्यय (`176.82 करोड़)
 होगा।
- (ख) इसमे अतिरिक्त व्यय हेतु, (i) सीमा सड़क स्कंध द्वारा रखरखाव (` 11.00 करोड़); (ii) सीमा सड़क स्कंध द्वारा सामारिक महत्व और सीमावर्ती सड़कों का रख-रखाव (` 11.97 करोड़)(iii) राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों का रख-रखाव (` 5.21 करोड़)। अनुदान के इसी भाग उपलब्ध बचतों (` 24.85 करोड़) और पूंजी भाग से अभ्यर्पित की जाने वाली राशि (` 3.33 करोड़) के मद्देनजर इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में "विशेष त्विरत सड़क विकास कार्यक्रम" के तहत प्रमुख निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 350.00 करोड़) और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्विरत सड़क विकास कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं की गई सड़कों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 35.49 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (घ) (i) भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आरम्भ की गई स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित योजना के तहत निवेश संबंधी व्यय की पूर्ति तथा भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सड़क रोष (`131.37 करोड़) का ग्रहण हेतु (`600.00 करोड़)।
 - चूंकि व्यय की पूर्ति वस्तियों द्वारा की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।
 - (ii) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी विकास (राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़कें) के विशेष कार्यक्रम संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (`50.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ii) transfer to the Central Road Fund (` 176.82 crore). Taking into account savings (` 295.00 crore) available within the same Section of the Grant and an amount (` 305.00 crore) that will be surrendered from Capital Section, this will entail a net cash outgo of (` 176.82 crore).
- meeting additional expenditure on, (i) maintenance by Border Roads Wing (` 11.00 crore); (ii) Strategic & Border Roadsmaintenance by Border Roads Wing (` 11.97 crore); (iii) Roadsmaintenance other than NHs (` 5.21 crore).
 - Taking into account savings (* 24.85 crore) available within the same Section of the Grant and an amount (* 3.33 crore) that will be surrendered from Capital Section, there will be no cash outgo.
- meeting additional expenditure on Major Works under the scheme Special Accelerated Road Development Programme in the North Eastern Area (* 350.00 crore) and road stretches not covered under the Special Accelerated Road Development Programme in the North Eastern Area (* 35.49 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) meeting expenditure on investment under the scheme financed from Permanent Bridges Fee Fund (* 600.00 crore) and Central Road Fund (* 131.37 crore) undertaken by National Highways Authority of India.
 - As the expenditure will be matched by recoveries, there will be no cash outgo.
- (ii) meeting additional expenditure on Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Naxalite Affected Areas(` 50.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 48 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुप	ाये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृतः		Voted:	146909.72				146909.72
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2300.01				2300.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the						
का पूरक अनुमान:		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	149209.75				149209.75
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	ा मुख्य शी	ार्ष के अंतर्गत (दिखाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for	under the foll	owing Maj	jor Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2515 - अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृतः	2515 -Other Rural Development	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
कार्यक्रम		Programmes						

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (क) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण डीआरडीए के प्रशासनिक व्यय के संबंध में वेतन और अतिरिक्त देयता संबंधी अतिरिक्त वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु (`89 करोड़); और
- (ख) एनआईआरडी की वेतन संबंधी वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु (`1.14 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- meeting the additional committed liabilities towards salaries and additional liability towards administrative expenses of DRDAs on account of implementation of 6th CPC report (* 89 crore); and
- b) meeting the committed liabilities towards salaries of NIRD (` 1.14 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, token supplementary is sought.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49-50 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 64-65 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 49-50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 64-65 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत:		Voted:	2695.87	46.75	2742.62
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.03
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amour	nt			
पूरक अनुमानः		now required:				
	भारित:		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2695.96	46.75	2742.71
	भारित:		Charged:	0.05		0.05
	स्वीकृत:		Voted:	2695.91	46.75	2742.66
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब	निम्नलिखित मु	ख्य शीर्ष के 3	तर्गत दिखाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant/Appropri	ation will be acc	counted for ur	nder the following Majo	or Head:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक	भारित:	3425 - Other Scientific Research	Charged:		0.03	(কa) 0.03

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुसंधान

जोड़ (पूरक)

(क) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, गुवाहाटी द्वारा दिए गए क्षितिपूर्ति संबंधी फैसले के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 0.03 करोड़)।

स्वीकृत:

भारित:

स्वीकृत:

Total (Supplementary)

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (i) सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एस एंड टी कार्यक्रमों के तहत एस एंड टी संचार एवं प्रचार (` 2.15 करोड़), (2) सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एस एंड टी कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रौचोगिकी उद्यमिता विकास (` 8 करोड़), (3) सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एस एंड टी कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं समाज कार्यक्रम (` 1.25 करोड़), (4) सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एस एंड टी कार्यक्रम के तहत महिला संघटक योजना (` 5.50 करोड़) (5) राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौचोगिकी मिशन (` 0.55 करोड़), (6) नवाचार समूह (` 2 करोड़)(7) मूलभूत अनुसंधान हेतु मेगा सुविधाएं (` 3 crore) (8)

The supplementary grant/appropriation is required for:

0.01

0.01

0.01

Voted:

Charged:

Voted:

 for meeting additional expenditure arising out of a compensation award given by Motor Accident Claims Tribunal, Guwahati (`0.03 crore).

(खb)

0.03

0.03

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

0.01

0.04

0.03

0.01

for (i) Providing Grants-in-aid General to (1) S&T Communication & Popularization under 'S&T Programmes for Socio Economic Development (* 2.15 crore), (2) Science & Technology Entrepreneurship Development under 'S&T Programmes for Socio Economic Development (* 8 crore), (3) Science & Society Programme under 'S&T Programmes for Socio Economic Development (* 1.25 crore), (4) Women Component Plan under 'S&T Programmes for Socio Economic Development (* 5.50 crore), (5) National Mission on Nano

अनुस्चित जातियों के विकास हेतु विशेष संघटक योजना (` 0.50 करोड़) और (9) जनजातीय उप योजना (` 0.75 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। (iii) (1) प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (` 14.78 करोड़), (2) राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (` 5 करोड़), (3) नवाचार समूह (` 1 करोड़) (4) 'राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए अनुस्चित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (` 0.90 करोड़) और (5) 'राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम' के लिए अनुस्चित जनजाति उप आयोजनाएं (` 0.60 करोड़) को पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। Science & Nano Technology (` 0.55 crore), (6) Innovation Clusters (` 2 crore), (7) Mega Facilities for Basic Research (` 3 crore), (8) Special Component Plan for the Development of Scheduled Castes (` 0.50 crore), and (9) Tribal Sub Plan (` 0.75 crore, (ii) Providing Grants for creation of Capital Assets to (1) Technology Development Programme (` 14.78 crore), (2) State Science & Technology Programme (` 5 crore), (3) Innovation Clusters (` 1 crore), (4) Special Component Plan for Scheduled Castes for 'State Science & Technology Programme' (` 0.90 crore), and (5) Scheduled Tribe Sub Plans for 'State Science & Technology Programme' (` 0.60 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

वैज्ञानिक और औद्योगिक अन्संधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

					(करोड़	र रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी	•		जोड़
				Revenue	Capit	al		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	3378.50		6.50		3385.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमानः		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	3378.52		6.50		3385.02
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीष	र्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for a	under the fo	llowing Major Hea	ad:		
				आयोजना	आयोज	ना-		जोड़
				Plan	भिन्न	Ŧ		Total
					Non-Pl	lan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3425 - अन्य वैज्ञानिक	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	(क a)	0.01	(खb)	0.02
अनुसंधान								

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) 'प्रशासन' (` 0.70 करोड़) और 'राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं' (` 16 करोड़) की योजनाओं के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के लिए वेतन सहायता अनुदान तथा (ii) 'अनुवाद अनुसंधान संस्थान' योजना के तहत सीएसआईआर के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 7.50 करोड़) प्रदान करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ख) 'प्रशासन' (` 2.60 करोड़) और 'राष्ट्रीय प्रयोगशाला' (` 64 करोड़) योजनाओं के तहत सीएसआईआर के लिए वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (a) providing (i) Grants-in-aid Salaries for Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) under the schemes 'Administration' (` 0.70 crore); 'National Laboratories' (` 16 crore), and (ii) Grants for creation of capital assets for CSIR under the scheme 'Institute of Translational Research' (` 7.50 crore).
 - Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- providing Grants-in-aid Salaries for CSIR under the schemes 'Administration' (* 2.60 crore) and 'National Laboratories' (* 64 crore).
 - Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 66 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

Grants for the year 2011-2012 a	na page 66	of the Second Supplementary Demand	is for Grants for	tne year 20	11-2012)		
					(6	करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1426.92			1426.92
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amour	nt				
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	1426.96			1426.96
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नर्ला	खेत मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दि	देखाया जार	येगा:	
		II. This Supplementary Grant will be a	ccounted for und	der the follow	wing Majo	r Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)		0.01
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

की मांग की गई है।

- (क) (क) निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i)निम्नलिखित के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (1) कृषि जैव प्रौद्योगिकी (` 7.45 करोड़) (2) जैव-प्रौद्योगिकी-सुविधा (` 6.81 करोड़) और (ii)निम्नलिखित के संबंध में पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) कृषि जैव प्रौद्योगिकी (` 1 करोड़) (2) पशु जैव प्रौद्योगिकी (` 1 करोड़) (3) जैव प्रौद्योगिकी सुविधा (` 4 करोड़)
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक
- (ख) निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्मोस्टिक्स केन्द्र, हैदराबाद को सामान्य सहायता अनुदान (` 4 करोड़) और (ii) स्टेम सैल रिसर्च के संबंध में पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 1 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- a) providing (i) Grants-in-aid General towards (1) Agriculture Biotechnology (` 7.45 crore), (2) Biotech-Facility (` 6.81 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets towards (1) Agriculture Biotechnology (` 1 crore), (2) Animal Biotechnology (` 1 crore), (3) Biotech-Facility (` 4 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - providing (i) Grants-in-aid General to Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics, Hyderabad (` 4 crore), and ((ii) Grants for creation of Capital Assets towards Stem Cell Research (` 1 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पोतपरिवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 67 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1447.93	623.67	2071.60
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	638.60	0.01	638.61
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	2086.54	623.68	2710.22
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	वत मुख्य शीष	र्भों के अंतर्गत	न दिखाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be acc	counted for a	under the fo	ollowing Major Heads:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:		631.54	(क a) 631.54
3051 - पत्तन और प्रकाश स्तम्भ	स्वीकृत:	3051 -Ports and Light Houses	Voted:		7.03	(ख b) 7.03
3052 - नौयहन	स्वीकृत:	3052 -Shipping	Voted:		0.01	(गc) 0.01
3056 - अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत:	3056 -Inland Water Transport	Voted:	0.01	(घd) 0.01	(इ e) 0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	638.59	638.60
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों	स्वीकृत:	5051 - Capital Outlay on Ports and	Voted:	0.01	(चf)	0.01
पर पूंजी परिव्यय		Light Houses				
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	638.59	638.61

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित हैं:

नकद व्यय नहीं होगा।

- (क) (i) मेसर्स हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि. के संबंध में दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋणों (` 166.42 करोड़) को बट्टे खाते डालने और दंड ब्याज सिहत ब्याज माफी(` 465.12 करोड़) हेतु। चूँकि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई
 - (ii) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु, (` 2.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया हैं।
- (ख) महानिदेशालय (प्रकाश स्तम्भों और प्रकाश पोत) के संबंध में सामान्य प्रारिक्षित निधि (` 7.03 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूँिक इसकी पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (i) writing off outstanding loans (* 166.42 crore) and waiver of interest including penal interest (* 465.12 crore) as on 31.03.2011 in respect of M/s Hoogly Dock and Port Engineers Ltd.
 - As this will be matched by receipts, there will be no cash outgo.
 - (ii) Grants-in-aid-General to Hoogly Dock and Port Engineers
 Limited for implementing Voluntary Retirement Scheme
 (` 2.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting additional expenditure on General Reserve Fund (* 7.03 crore) in respect of Directorate General (Light Houses and Light Ships). As this will be matched by receipts, there will be no cash outgo.

- (ग) राहत एवं बचाव कार्यों के लिए नौकर्षण पोतों को किराए पर लेने हेतु, पोतपरिवहन महानिदेशालय के तहत व्यावसायिक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 13.99 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया हैं।
- (घ) भारतीय अंतरर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान योजना के तहत अंतरर्देशीय जलमार्ग एन डब्ल्यू-1 और एन डब्ल्यू-3 के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान संबंधी अतिरिक्त व्यय हेतु (* 25.12 करोड)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया हैं।
- (ङ) भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (` 0.60 करोड़) और केन्द्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन निगम को सांविधिक देयों के भुगतान हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए (` 0.33 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया हैं।
- (च) तूतीकोरिन पत्तन ट्रस्ट की जलधारा और बंदरगाह को गहरा करने हेतु प्रधान तलकर्षक परियोजना स्कीम के तहत प्रमुख निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 30.00 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया हैं।

- meeting additional expenditure on Professional Services under Directorate General of Shipping for hiring of Emergency Towing Vessels for relief and rescue operations (* 13.99 cr.).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- additional expenditure on Grants for creation of Capital Assets under the scheme Grant to Inland Water Ways Authority of India for Inland Waterways NW-1 and NW-3 (* 25.12 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Grants-in-aid-General to Inland Waterways Authority of India (` 0.60 crore) and Grants-in-Aid-General to Central Inland Water Transport Corporation for payment of statutory dues(` 0.33 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting the additional expenditure on Major Works under the scheme of Capital Dredging Project for Deepening of channel and basin of Tuticorin Port Trust (` 30.00 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 68 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	5183.00		270.00		5453.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमानः		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	5183.05		270.00		5453.05
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत	दिखाया उ	नायेगाः		
		II. This Supplementary Grant will be according	unted for ur	nder the foll	owing Ma	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष 2225 - अनुस्चित जाति,	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:			0.01	(कa)	0.01
• •	स्पापृता.		voteu.			0.01	(पग्व)	0.01
अनुसूचित जनजाति और अन्य		Scheduled Tribes and Other Backward						
पिछड़े वर्गों का कल्याण		Classes						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
कल्याण								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.02		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वेतन सहायता अनुदान (` 2.00 करोड़)।
- (ख) (i) राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थान की निधीयन योजना (` 2.00 करोड़) (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद् (` 0.80 करोड़), (iii) राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (` 0.55 करोड़)हेतु वेतन सहायता अनुदान।
- (ग) (i) राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थान की निधीयन योजना (` 31.50 करोड़), (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद् (` 0.50 करोड़) (iii) राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (` 1.25 करोड़)के लिए वेतन सहायता अनुदान तथा (iv) राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (` 2.88 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर प्रत्येक मामले में सांकेतिक मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-aid Salaries to National Commission for Backward Classes ($\hat{}$ 2.00 crore)
- (b) Grants-in-aid Salaries for (i) Scheme for funding of National Institutes for Disabled Persons (* 2.00 crore), (ii) Rehabilitation Council of India (* 0.80 crore), and (iii) National Institute of Social Defence (* 0.55 crore).
 - C) Grants-in-aid Salaries for (i) Scheme for funding National Institutes for Disabled Persons (` 31.50 crore), (ii) Rehabilitation Council of India (` 0.50 crore), (iii) National Institute of Social Defence (` 1.25 crore) and (iv) Grants-in-aid General to National Institutes for Disabled Persons (` 2.88 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

,					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Cha	arged:	0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:	\	Voted:	3676.97	2948.17	6625.14
पूरक अनुदान <i>ः</i>		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	\	Voted:		0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3677.47	2948.59	6626.06
	भारित:	Cha	arged:	0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:	\	Voted:	3676.97	2948.19	6625.16
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	ार्ष के अं	तर्गत दिखाया	जायेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted for				
		-		आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिट्यय	स्वीकृतः	5402 - Capital Outlay on Space Research	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'मार्स ओरबिटर मिशन' के लिए निम्नलिखित पर व्यय करने हेतु (क) मशीनरी तथा उपस्कर की अधिप्राप्ति (` 1 करोड़) और (ख) अन्य पूंजी व्यय (` 9 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The supplementary grant is required for:

incurring expenditure towards 'Mars Orbiter Mission' for (a) procurement of machinery and equipment (` 1 crore) and (b) other capital expenditure (` 9 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2505.79		21.57		2527.36
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	2375.00				2375.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the						
पूरक अनुमानः		amount now required:						
· -	स्वीकृत:	·	Voted:	0.04				0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	4880.83		21.57		4902.40
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिरि	वेत मख्य १	ीर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया ज	गयेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be ac	•					
		ii. This supplementary crank will be de	oodinod io	आयोजना	_	गुडा गडववडा गयोजना-		जोड
				Plan	•	भ <i>न</i> न		Total
					r	Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)			0.01
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और	स्वीकृत:	3454 -Census Surveys and Statistics	Voted:			0.01	(কa)	0.01
सांख्यिकी								
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(गc)			0.01
		Governments						
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(घd)			0.01
को सहायता अनुदान		Governments						
. 3		00101111101110						
जोइ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		0.01		0.04

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) कोलकाता को 'वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान' उपलब्ध कराना (` 115.40 करोड़)। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक माँग की गई है।
- (ख) (i) क्षमता विकास के तहत वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान मुहैया कराना (` 5.20 करोड़)।
 - (ii) आर्थिक जनगणना के तहत वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान मुहैया कराने हेतु (` 5.62 लाख)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (ग) आर्थिक जनगणना के तहत राज्य सरकार के वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान मुहैया कराना (` 28.26 लाख) । चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (घ) (i) आर्थिक जनगणना के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान (` 2.66 लाख)।
 - (ii) आर्थिक जनगणना के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निधियां जारी करने हेतु (`1.31 करोड़) । चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचते उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing "Grants-in-Aid Salaries" to Indian Statistical Institute (ISI) Kolkata (` 115.40 Crore). As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) For Grants-in-Aid salaries under Capacity Development (* 5.20 crore).
 - (ii) For Grants-in-aid salaries under Economic Census (` 5.62 Lakhs).
 - As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - For Grants-in-Aid salaries to the State Government under Economic Census (` 28.26 lakh). As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) For Grants-in-Aid salaries to UT Governments under economic Census (` 2.66 lakhs).
 - (ii) For release of funds to UT Governments towards Economic Census (` 1.31 crore).
 - As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कपडा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 70 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपये	Rupees in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	5767.48		88.27	5855.75
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	121.74		106.18	227.92
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमानः		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	210.02			210.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	6099.24		194.45	6293.69
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	त मुख्य शीषे	ं के अंतर्गत	दिखाया जा	येगा:	
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for u	nder the foll	owing Maj	or Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	210.00	(खb)	0.01	(गc) 210.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	210.01		0.01	210.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित हैं:

- एकीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत पूर्वीत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान के संवर्धन हेत् (` 34 करोड़)। अनुदान के इसी भाग भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (i) सामान्य सहायता अनुदान के अन्तर्गत एकीकृत हथकरधा (ख) (i) विकास योजना (` 15 करोड़), पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेत् अनुदान (` 2 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (एससीएसपी) (` 4 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (एसटीएसपी) (` 1.45 करोड़) (ii) डिजाइन तकनीकी विकास (` 5.93 करोड़), (iii) विपणन सहायता एवं सेवाएँ (` 5 करोड़) और कल्याण एवं अन्य योजनाएँ (` 18 करोड़) को निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए ये सांकेतिक पूरक माँगें हैं।
 - एकीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत नव निगमित (ii) संघटक (हथकरघा) क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण का कार्यान्वयन (` 10 करोड़)। इस प्रयोजन हेत् भारत की आकस्मिकता निधि से े 10 करोड़, का अग्रिम स्वीकृत किया गया। जिसकी प्रतिपूर्ति निधि में की जाएगी। इसमें (` 10 करोड़) का नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- augmentation of the provision for the Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim under Integrated Handloom Development Scheme (` 34 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - meeting additional requirement of funds to (i) Integrated Handloom Development Scheme under Grants-in-aid-General (` 15 crore), Grants for creation of capital assets (` 2 crore), Grants-in-aid-General (SCSP) (` 4 crore), Grants-in-aid-General (STSP) (* 1.45 crore), (ii) Design Technical Development (* 5.93 crore), (iii) Marketing Support and Services (` 5 crore) and (iv) Welfare and other Schemes (` 18 crore). As saving are available within same section of Grant, these are token supplementaries.
 - (ii) implementation of newly incorporated component (Institutional Credit for Handloom Sector) under Integrated Handloom Development Scheme (` 10 crore). An advance of ` 10 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India for this purpose, will be recouped to the Fund. There will be cash outgo of

` 10 crore.

- (iii) हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरूज्जीवन, सुधार और पुनर्गठन पैकेज का कार्यान्वयन (` 200 करोड़)। इस प्रयोजन हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से (` 50 करोड़ का अग्रिम मंजूर किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति निधि में की जाएगी। इसमें (` 200 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए(` 17.78 करोड़), अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (iii) implementation of Revival, Reform and Restructuring Package and Handloom Sector (` 200 crore). An advance of ` 50 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India for this purpose will be recouped to the Fund. There will be cash outgo of ` 200 crore.
- meeting additional requirement for Grants-in-aid Salary to Central Silk Board (* 17.78 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1166.75	4.01	1170.76
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRA	INT:			
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate	of the amount now			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Suppleme	entary) Voted:	1166.78	4.01	1170.79
		II. इस पूरक अनुदान का हिः	साब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया	जायेगा:	
		II. This Supplementary Gr	rant will be accounted for unde	er the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3452 - पर्यटन	स्वीकृत:	3452 -Tourism	Voted:	0.01		0.01
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु	अपेक्षित है:		The supplementary grant is	required for:		
डेस्टीनेशन और सर्किट्स उत्पाद/अब	ासंरचना विव	गस के तहत चालू योजनाओं	Grants for creation of c	apital assets	for ongoing scher	mes under
हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अन्	पुदान (` 9.0	0 करोड़)।	Product/Infrastructure De	velopment fo	r Destination an	d Circuits

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(9.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जनजाति कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 71 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Rupe			in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	3311.25				3311.25
	स्वीकृत:		Voted:	358.76		70.00		428.76
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमानः		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	23.26				23.26
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3693.28		70.00		3763.28
	भारित:		Charged:	3311.25				3311.25
	स्वीकृत:		Voted:	382.03		70.00		452.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षीं	के अंतर्गत रि	देखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	unted for un	der the follo	wing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्य भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2251 - सचिवालय-सामाजिक	स्वीकृत:	2251 -Secretariat-Social Services	Voted:			0.14	(क a)	0.14
सेवाएं								
2225 - अनुसूचित जाति,	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	23.12	(खb)			23.12
अनुसूचित जनजाति और अन्य		Scheduled Tribes and Other Backward						
पिछड़े वर्गों का कल्याण		Classes						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	23.12		0.14		23.26

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) सचिवालय-सामाजिक सेवाओं के लिए किराया, दर एवं कर के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 0.14 करोड़) । चूंकि अनुदान के राजस्व/भारित भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) अनु.जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (`22.93 करोड़)।
 - (ii) उत्कृष्ट संस्थाओं/उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (`2.00 करोड़)।
 - (iii) पीएमएस, बुक बैंक और अनु.जनजाति वर्ग के छात्रों की योग्यता के उन्नयन की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (`0.18 करोड़)।
 - (iv) अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय उत्सवों तथा अन्य हेतु स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.06 करोड़)। अनुदान के राजस्व/प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों (23.12 करोड़)। जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा तथा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत (2.05 करोड़)। के मद्देनजर

इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure under Rent, Rates & Taxes for Secretariat-Social Services (` 0.14 crore). As equivalent savings are available in the Revenue/Charged Section of the Grant, which will be surrendered, this will not entail cash outgo.
 - (i) Grants-in-aid-General under the scheme of Rajiv Gandhi National Fellowship for ST Students (` 22.93 crore).
 - (ii) Grants-in-aid-General under the Scheme of Institutes of Excellence/Top Class Education (` 2.00 crore).
 - (iii) Grants-in-aid-General under the scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students (` 0.18 crore).
 - (iv) Grants-in-aid-General under the scheme of Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and others (* 0.06 crore).

Taking into account savings (* 23.12 crore) available under Revenue/Charged Section of the Grant, which will be surrendered, and savings (* 2.05 crore) available within the same section of the Grant, this will not entail cash outgo.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 72 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

	- anna paga					·-, (करोड़ रुपये	Rupees	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी	,	जोड
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				•		
"	भारित:		Charged:	0.01				0.01
	स्वीकृत:		Voted:	2111.43		604.32		2715.75
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:						
3	स्वीकृत:		Voted:	35.57		0.01		35.58
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
" 3	स्वीकृत:	·	Voted:	14.83				14.83
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2161.84		604.33		2766.17
	भारित:	. 3	Charged:	0.01				0.01
	स्वीकृत:		Voted:	2161.83		604.33		2766.16
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत वि	देखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco						
		,		आयोजना		, आयोजना-		जोड
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture						
2 2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:	0.30	(गc)	2.00	(कa)	2.30
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत:	2435 -Other Agricultural Programmes	Voted:	0.30	(गc)		, ,	0.30
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	Č	Ministry of Health and Family Welfare			, ,			
मंत्रालय		•						
2210 - चिकित्सा और जन	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:			2.12	(क a)	2.12
स्वास्थ्य	Č						, ,	
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs						
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:			5.00	(क a)	5.00
2225 - अनुसूचित जाति,	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	(खb)		, ,	0.01
अनुसूचित जनजाति और अन्य	•	Scheduled Tribes and Other Backward						
पिछड़े वर्गों का कल्याण		Classes						
उच्चतर शिक्षा विभाग		Department of Higher Education						
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:			0.52	(ਭ e)	0.52
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power						
2801 - विद्युत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:			3.00	(कa)	3.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग		Ministry of Road Transport and Highways						
मंत्रालय								
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	0.01	(जh)	•••		0.01
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development						
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत:	2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01	(घd)			0.01
2515 - अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development	Voted:	0.01	(घd)			0.01
कार्यक्रम	-	Programmes						
महिला और बाल विकास		Ministry of Women and Child Development						
मंत्रालय								
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.75	(चf)	0.80	(छg)	1.55
कल्याण								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	1.39		13.44		14.83

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) वेतनों की अतिरिक्त आवश्यकता (12.12 करोड़)।
- (ख) अंडमान अदिम जनजाति विकास समिति को अतिरिक्त अनुदान (`0.01 करोड़)।
- (ग) कृषि निविष्टियों की लागत में वृद्धि के कारण सब्सिडी की अतिरिक्त आवश्यकता (`0.60 करोड़ रुपए)।
- (घ) पंचायतीराज संस्थानों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (`0.02 करोड़)।
- (ङ) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को वेतन (` 0.26 करोड़) और अतिरिक्त अनुदान (` 0.26 करोड़) संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता।
- (च) विधवा/परित्यक्ता महिला पेंशन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (`0.75 करोड़)।
- (छ) सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड और सीमा क्षेत्र परियोजनाओं (`0.80 करोड़) को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना।
- (ज) पंचायतीराज संस्थानों और पोर्टब्लेयर नगरपालिका परिषद् को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (`0.01 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) additional requirement of salaries (` 12.12 crore).
- (b) additional grants to Andaman Adim Janjati Vikas Samiti (` 0.01 crore).
- (c) additional requirement of Subsidy due to increase in the cost of agricultural inputs (` 0.60 crore).
- (d) providing additional grants to Panchayati Raj Institutions (` 0.02 crore)
- (e) additional requirement on Salaries (* 0.26 crore) and additional grants to Government aided Schools (* 0.26 crore).
- (f) meeting additional expenditure on pension of widow/ deserted women (` 0.75 crore).
- (g) providing additional grants to Social Welfare Advisory Board and Border Area Projects (` 0.80 crore).
- providing additional grants to Panchayati Raj Institutions and Port Blair Municipal Council (` 0.01 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 देखिये)

(See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

(ग) बिजली के उपभोग में वृद्धि होने के कारण अधिक विद्युत खरीद (c)

(ग)

(` 69.97 करोड़)।

उपयुक्त व्यय में नगद व्यय होगा।

(See page 104 of the Demand	s ioi Giailis	of Certifal Government for the ye	edi 2011-2012)				
					(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	88.79	0.10		88.89
	स्वीकृत:		Voted:	2091.32	549.99		2641.31
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the	amount				
पूरक अनुमानः		now required:					
	भारित:		Charged:	4.03			4.03
	स्वीकृत:		Voted:	70.97			70.97
जोड़ (मूल और पूरक)	-	Total (Original plus Supplementary))	2255.11	550.09		2805.20
	भारित:		Charged:	92.82	0.10		92.92
	स्वीकृत:		Voted:	2162.29	549.99		2712.28
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग क	ा हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के अंत	ार्गत दिखाया जाये	गा:	
		II. This Supplementary Grant/A	•				ads:
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		आयोजना	आयोजना-	,	जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs					
2014 - न्याय प्रशासन	भारित:	2014 - Administration of Justice	e <i>Charged:</i>		4.03	(क a)	4.03
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Ser	=		1.00	(खb)	1.00
विद्युत मंत्रालय	-	Ministry of Power					
2801 - विद्युत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:		69.97	(गc)	69.97
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			75.00	, ,	75.00
•	भारित:		Charged:		4.03		4.03
	स्वीकृत:		Voted:		70.97		70.97
यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्ब	नलिखित हेत्	अपेक्षित है:	The supplementary gra	nt/appropriatio	on are required fo	 or:	
	•	भुगतान और नवसृजित पदों को			nced DA and f		of newly
भरना (` 4.03 करोड़)।			created posts (`	-		3 1	. ,
	र्म को संशोधि	धेत दरों पर दैनिक भत्ता भ्गतान	·		o the Home Gua	ard Volur	nteers on
(` 1.00 करोड़)।		3 ·····	revised rates (`	-			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				/ .			

purchase of more Power due to increase in consumption of

electricity (` 69.97 crore)

The above expenditure will entail cash outgo.

दादरा और नागर हवेली

DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 73 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Rup	
				राजस्व	पूंजी	जोड़ • • •
		LODIOWAL OBJANT		Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1704.83	156.33	1861.16
पूरक अनुदानः	•	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	105.49	•••	105.49
इस समय आवश्यक		Supplementary Estimate of the amount r	now			
रकम का पूरक अनुमानः		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	150.00	•••	150.00
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	1960.32	156.33	2116.65
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखिल	न मुख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया जा	प्रेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for under th	e following Maj		
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801 - विद्युत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:		150.00	150.00
			दिए गए अनुमानों में	ं नीचे दर्शाई गर्य	वसूलियों को शामिल नर्ह	ों किया गया
		है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित कि	या जाता है !			
		Note: The above estimates of additional requir in reduction of expenditure.	ements do not take ir	nto account the re	coveries shown below, which	ch are adjusted
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
2801 - विद्युत		2801 - Power			(-) 150.00	(-) 150.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: विद्युत उत्पादक कारी एजेन्सियों से भारी मात्रा में विद्युत खरीद। वर्धित वसूलियों के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।

purchase of bulk power from Power Generating Agencies.

Taking into account the enhanced recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 74 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Ru) · ू	
				राजस्व	पूंजी	जोड़ • • •
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान:</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	855.69	177.26	1032.95
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	86.00		86.00
इस समय आवश्यक		Supplementary Estimate of the amount no)W			
रकम का पूरक अनुमानः		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	135.00		135.00
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	1076.69	177.26	1253.95
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया जा	येगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accord	unted for under th	ne following Maj	or Head:	
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801 - वियुत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:		135.00	135.00
			ए गए अनमानों में	i नीचे दर्शार्ड गर्य	ो वसलियों को शामिल नई	ों किया गया
		है जिन्हें ट्यय में से घटाकर समायोजित किय	-			
		Note: The above estimates of additional require in reduction of expenditure.	-	nto account the re	coveries shown below, whi	ch are adjusted
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
10174 011-1						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: वियुत उत्पादक एजेन्सियों से बड़ी मात्रा में वियुत खरीद। वर्धित वस्लियों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद ट्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

purchase of bulk power from Power Generating Agencies.

Taking into account the enhanced recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 127 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 76 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान</i> :		I. ORIGINAL GRANT:				
Я	भारित:		Charged:	38.48	20.40	58.88
+	वीकृतः		Voted:	1232.50	5563.89	6796.39
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
g	भारित:		Charged:		20.20	20.20
+	वीकृतः		Voted:	0.03	0.05	0.08
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमानः		now required:				
g	भारित:		Charged:	3.61		3.61
स्व	वीकृत:		Voted:	0.01	166.89	166.90
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1274.63	5771.43	7046.06
Я	भारित:		Charged:	42.09	40.60	82.69
, .	वीकृत:		Voted:	1232.54	5730.83	6963.37

॥ इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगाः

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2216 - आवास	भारित:	2216 - Housing	Charged:			3.61	(क a)	3.61
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत:	2217 - Urban Development	Voted:	0.01	(खb)	***		0.01
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		0.01		3.61		3.62
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
४२१६ - आवास पर पूंजी	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:			10.00	(घd)	10.00
परिव्यय								
4217 - शहरी विकास पर पूंजी	स्वीकृत:	4217 - Capital Outlay on Urban	Voted:	156.89	(गc)			156.89
परिव्यय		Development						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	156.89		10.00		166.89
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		156.90		13.61		170.51
	भारित:		Charged:			3.61		3.61
	स्वीकृत:		Voted:	156.90		10.00		166.90

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

) संस्थापना के तहत अन्य प्रशासनिक व्यय (` 0.03 करोड़), पट्टा प्रभारों के तहत किराया, दर और कर (` 0.10 करोड़) तथा राष्ट्रपति संपदा हेतु भवन निर्माण, साधारण मरम्मत और सुसज्जित करने के तहत लघु निर्माण कार्य (` 3.48 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

The supplementary grant/appropriation are required for:

meeting additional expenditure on Other Administrative Expenses under Establishment(` 0.03 crore), Rents, Rates & Taxes under Lease Charges (` 0.10 crore) and Minor Works (` 3.48 crore) under Construction of Building, Ordinary Repairs and furnishing for President's Estate.

(d)

अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

(ख) फरीदाबाद एक्सटेंशन के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अनुदान योजना के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 7.99 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) (i) राष्ट्रीय भवन निर्माण कम्पनी द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (` 30.00 करोड़)।

इसकी प्रतिपूर्ति पूंजी प्राप्तियों द्वारा की जाएगी।

- (ii) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (`126.89 करोड़)।
 अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इस व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में अतिरिक्त इक्तिवटी निवेश (`0.99 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) (i) लेखा परीक्षा हेतु मुख्य कार्य (` 8.00 करोड़) कार्मिक तथा प्रशिक्षण (` 2.00 करोड़) तथा मौजूदा निर्माण कार्यों हेतु लोक सभा/राज्य सभा (` 20.00 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
 अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों (` 20.00

अनुदान के इसा भाग के अन्तगत उपलब्ध बचता (* 20.00 करोड़) को देखते हुए इसमें नकद व्यय (* 10.00 करोड़) होगा।

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Grants for Creation of Capital Assets under the scheme of Grant to Delhi Metro Rail Corporation for Faridabad extension (* 7.99 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- additional equity investment in the form of bonus shares issued by National Building Construction Company (` 30.00 crore).
 - This will be matched by Capital Receipts.
- (ii) additional equity investment in Delhi Metro Rail Corporation (* 126.89 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant, this expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (iii) additional equity investment in National Capital Region Transport Corporation (` 0.99 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) meeting additional expenditure on Major Works for Audit (` 8.00 crore), Personnel & Training (` 2.00 crore) and Lok Sabha/Rajya Sabha (` 20.00 crore) for ongoing works.

Taking into account the savings available (* 20.00 crore) within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo (* 10.00 crore).

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 78 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

,				-	(करोड़ रुपये	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत:		Voted:	1169.20	483.24	1652.44
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	42.51		42.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:				
~ 3	स्वीकृत:	1	Voted:	62.24	24.00	86.24
जोड़ (मूल और पूरक)	Ü	Total (Original plus Supplementary)		1274.95	508.24	1783.19
	भारित:		Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत:		Voted:	1273.95	507.24	1781.19
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व				1701.17
		II. This Supplementary Grant will be account				
				आयोजना	आयोजना-	जोड
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत:	2059 -Public Works	Voted:		62.24	(क a) 62.24
पूंजी भाग _्		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	•••	24.00	(खb) 24.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		86.24	86.24

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) कार्यालय भवन, अन्य भवन के रख-रखाय के लिए तैनात कार्य भारित संस्थापन को वेतन तथा नियमित संस्थापन, सामान्य संस्थापन और संरचनात्मक नियोजन के लिए वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (`47.97 करोड़)।
 - (ii) कार्यालय भवनों के किराए और प्रशुल्कों में बढ़ोतरी के कारण बिजली और स्थानीय निकाय प्रभारों की उच्च दरों की वजह से पट्टा प्रभारों के तहत किराया, दर और कर संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत् (` 13.87 करोड़)।
 - (iii) राजघाट में अमर ज्योति के लिए राजघाट समाधि को वेतन सहायता अनुदान (` 0.10 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (` 0.30 करोड़) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा (` 62.24 करोड़)।
- (ख) लेखापरीक्षा (` 18.95 करोड़), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन (` 10.00 करोड़), गृह मंत्रालय (` 1.25 करोड़) के प्रमुख निर्माण कार्य और विदेश मंत्रालय (` 0.50 करोड़) को अतिरिक्त भवन निर्माण व्यय की पूर्ति हेतु।

 अनदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (` 6.70 करोड़) के मदेनजर

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (` 6.70 करोड़) के मद्देनजर इसमें नकद व्यय होगा (` 24.00 करोड़)। The supplementary grants are required for:

- a) (i) meeting additional expenditure on Salaries (` 47.97 crore) of the Work Charged Establishment deployed for maintenance of Office Building, Other Building and salaries for Regular Establishment, Ordinary Establishment and Structural Planning.
 - (ii) meeting additional expenditure on Rent, Rates & Taxes under Lease Charges on account of higher rates of electricity and local body charges due to increase in rentals and tariffs of Office Buildings (` 13.87crore).
 - (iii) meeting additional expenditure on Grants-in-aid-Salaries (` 0.10 crore) and Grants-in-aid-General (` 0.30 crore) to Rajghat Samadhi for Amar Jyoti at Rajghat. The above expenditure will entail a cash outgo (` 62.24 crore)
- meeting additional expenditure on Major Works of Audit (* 18.95 crore), Personnel, Public Grievances & Pensions (* 10.00 crore), Home Affairs (* 1.25 crore), and External Affairs (* 0.50 crore) for construction of buildings.

Taking into account the savings (` 6.70 crore) available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo (` 24.00 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 103

लेखन सामग्री और मुद्रण

STATIONERY AND PRINTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 129 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 129 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

					(करोड़ रुप	य Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान <i>ः</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	253.11	0.13	253.24
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:		3.55	3.55
इस समय आवश्यक		Supplementary Estimate of the amount				
रकम का पूरक		now required:				
अनुमान:						
	स्वीकृत:		Voted:	10.06		10.06
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	263.17	3.68	266.85
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुग	ख्य शीर्ष के ः	अंतर्गत दिखाया जा	येगा:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for under	the following Maj	jor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्य भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2058 - लेखन सामग्री और मुद्रण	स्वीकृत:	2058 -Stationery and Printing	Voted:		10.06	(কa) 10.06
			•	में नीचे दर्शाई गर	गी वस्तियों को शामि	ाल नहीं किया गया है
		Note: The above estimates of additional requirement in reduction of expenditure.	nts do not take	e into account the re	ecoveries shown belo	w, which are adjusted
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
2058 - लेखन सामग्री		2058 - Stationery and Printing			(-) 10.06	(-) 10.06
और मुद्रण						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) प्रकाशन नियंत्रक के तहत प्रकाशन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (` 28.43 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 18.37 करोड़ रुपए की बचतों और वर्धित वसूलियों (` 10.06 करोड़) के मद्देनजर इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement for Publications under Controller of Publication (* 28.43 crore). Taking into account the savings of * 18.37 crore available within the same section of the Grant and enhanced recoveries (* 10.06 crore), this will not entail any cash outgo.

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:			4.00		4.00
	स्वीकृत:		Voted:	1150.03		95.30		1245.33
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमानः		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1150.06		99.30		1249.36
	भारित:		Charged:			4.00		4.00
	स्वीकृत:		Voted:	1150.06		95.30		1245.36
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत वि	देखाया जा	येगा:		
		II. This Supplementary Grant will be according	unted for un	der the follo	wing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2701 - वृहत और मध्यम	स्वीकृत:	2701 -Major and Medium Irrigation	Voted:			0.01	(क a)	0.01
सिंचाई								
2702 - लघु सिंचाई	स्वीकृत:	2702 -Minor Irrigation	Voted:	0.01	(खb)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01		0.01		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (` 1.66 करोड़)
- (ख) भूजल प्रबन्धन और विनियमन के महत्वपूर्ण कार्यों के तहत निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति(` 29.63 करोड़)
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-aid General to National Institute of Hydrology (`1.66 crore).
- Meeting the additional requirement of funds under Major Works for Ground Water Management and Regulation (* 29.63 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 131 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 131 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 79 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

•		,,		-	•	
					(करोड़ रुपः	मे Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
<i>।. मूल अनुदान :</i>		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	12733.00		12733.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	3450.02		3450.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amoun now required:	t			
3	स्वीकृत:	·	Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	16183.04		16183.04
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिनि	खेत मुख्य शीर्ष	र्व के अंतर्गत	दिखाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be ac	ccounted for a	under the fol	owing Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(কa) 0.01	(खb) 0.02
77 71 1						

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

- (i) समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) स्कीम के तहत आंगनवाड़ी कर्मियों/सहायकों के लिए मानदेय के तौर पर देय प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (`6.30 करोड़)।
 - (ii) 'राष्ट्रीय राजीव गांधी क्रेच स्कीम' के तहत कामगार माताओं के बच्चों के लिए बालगृह की प्रतिबद्ध देयता निभाने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 10.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ख) (i) 'राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान' को संस्थापना संबंधी व्ययों/पेंशनरी लाओं आदि से सम्बन्धित खर्च पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 1.00 करोड़)।
 - (ii) 'केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड' को संस्थापना सम्बन्धी व्ययों/पेंशनरी लाभो आदि की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 2.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for:

- (i) Grant-in-aid General for meeting the committed liability such as Honoraria to Anganwadi Workers/ Helpers under the scheme 'Integrated Child Development Services (ICDS)' (` 6.30 crore).
 - (ii) Grant-in-aid General under the scheme 'Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers' towards committed liabilities (` 10.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grant-in-aid General to 'National Institute of Public Co-operation and Child Development' for meeting the establishment related expenditure/ Pensionary Benefits etc. (` 1.00 crore).
- (ii) Grant-in-aid General to 'Central Social Welfare Board' for meeting the establishment related expenditure/ Pensionary Benefits etc. (* 2.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 106

य्वा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 132 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 132 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 80 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1116.98	4.02	1121.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत:	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	1117.01	4.02	1121.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाय	ा जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant will be accounte	d for unde	r the following	Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत:	2204 -Sports and Youth Services	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राजीवगांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेराम्बद्र्र को अत्याधुनिक पुस्तकालय की स्थापना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (` 10.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid General to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development at Sriperambadur for setting up of State of the Art Library (* 10.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2010-11 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है। Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits 2010-11.

			(करोड़ रुपए Ri	ipees in Crore	2)
क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2010-2011 Budget Estimates 2010-2011	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appro- priation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपेथी विभाग (आयुष)	सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय			राष्ट्रीय स्तर के आरोग्य मेले आयोजित करने, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में पौध स्वास्थ्य संग्रहालय की स्थापना और राष्ट्र मण्डल खेलों के दौरान आयुष के प्रोत्साहन के लिए कार्यकलापों हेतु अतिरिक्त प्रचार बजट
	Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	2210.02.001.05-Expenditure on Information, Education & Communication	23.00	10.00	For organizing National level AROGYA fairs, setting up of Plant Health Museum at Morarji Desai National Institute of Yoga and extra Publicity budget for activities during Commonwealth Games for promotion of AYUSH.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2011-12 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है। Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits 2011-12.

			(करोड़ रुपए Ri	ipees in Crore	2)
क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2011-2012 Budget Estimates 2011-2012	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appro- priation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि मंत्रालय पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग	राष्ट्रीय पशु बीमारी सूचना प्रणाली (एनएडीआरएस) (मु. शी. 2403)			योजना में मौजूदा परियोजना को पूर्ण करने हेतु एनआईसी को भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ी।
	Ministry of Agriculture Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	National Animal Disease Reporting System (NADRS) (M.H.2403)	8.00	45.32	Excess amount was required for payment to NIC for completion of ongoing project in the scheme.
2.	संस्कृति मंत्रालय	मु.श्री2251 2251.00.090.07.03.01- वेतन			वेतन भुगतान हेतु।
	Ministry of Culture	MH-2251 2251.00.090.07.03.01-Salaries	11.70	3.20	For payment of Salaries.
		मु.शी2251 2251.00.090.07.03.12- विदेश यात्रा व्यय MH-2251			मंत्रालय के प्रतिनिधि मण्डल की विदेश यात्रा हेतु।
		2251.00.090.07.03.12- Foreign Travel Expenses	0.50	0.30	For visiting abroad of Ministry's delegations.
		2251.00.090.07.03.13- कार्यालय व्यय 2251.00.090.07.03.13- Office Expenses	0.40	0.10	मंत्रालय में सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के कारण On account of modernization and up-gradation of facilities in the Ministry.
		2251.00.090.07.99.50- अन्य प्रभार			मंत्रालय के पीएओ में ई-भुगतान प्रणाली के कार्यान्वयन, नये कम्प्यूटर्स, प्रिंटर्स खरीद तथा इंटरनेट और आन-लाइन सेवा खरीद।
		2251.00.090.07.99.50- Other Charges	0.60	0.58	Purchase of new computers and printers and up-gradation of internet and online services and implementation of e-payments system in PAOs in the Ministry.
		मु.श्री2205 2205.00.102.03.15.31- सामान्य सहायता अनुदान- केन्द्रीय हिमालयन संस्कृति अध्ययन संस्थान MH-2205 2205.00.102.03.15.31- Grants in aid General- Central Institute of Himalayan			वेतन, टेलीफोन, बिजली और आकस्मिक निवेश के भुगतान के सम्बन्ध में बार-बार होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु। In order to meet the recurring expenditure towards payment of
		Cultural Studies	0.00	0.70	salary, telephone, electricity and

contingencies exposes.

	<u> </u>	अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (करोड़ रुपए Rupees in Crore)						
2	3	4	5	6				
	मु.शी2205 2205.00.102.04.03.31- सहायता अनुदान-आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र MH-2205 2205.00.102.04.03.31- Grants in aid - General	·		पूरे देश में आंचलिक संस्कृति केन्द्रों व स्थापना की रजत जयंती मनाने से संबंधि अपना उत्सव, यात्रा और अन्य कार्यक्रा पर अतिरिक्त खर्च की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure of apna Utsav, Yatras and other programmes across the country relatir				
	Zonal Cultural Centres मु.शी2205 2205.00.102.04.12.20- शताब्दी-महोत्सव और वर्षगांठ	15.50	10.00	to celebration of Silver Jubilee the setting of Zonal Cultur Centres.				
	अन्य प्रशासनिक व्यय MH-2205 2205.00.102.04.12.20- Centenaries and Aniversaries- Other Administrative expenses	0.30	0.40	राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली के उठ में शताब्दी स्मरणोत्सव के दौरान "डॉन अप दिल्ली राइज ऑफ केपिटल" नामक प्रदर्श आयोजित करने संबंधी अतिरिक्त व्यय व पूर्ति हेतु। To meet the additional expenditu towards holding of exphibition namely "Dawn upon Delhi Rise Capital" during the Centenar				
	मु.शी2205 2205.00.102.04.20.31- सामान्य सहायता अनुदान			commemoration of Re-emergen of Delhi as National Capital.				
	नव-नालन्दा महावीर और ह्वेन सांग मेमोरियल हॉल MH-2205 2205.00.102.04.20.31- Grants-in-aid General- Nava Nalanda Mahavihara and Huen T Sang			4 प्रोफेसरों की नियुक्ति के कारण प्रतिबद्ध व की पूर्ति हेतु।				
	मार्सी2205 2205.00.102.04.54.31- सामान्य सहायता अनुदान	1.80	0.50	To meet the committed expenditude to recruitment of 4 Professor				
	केन्द्रीय धरोहर स्वयंसेवक (सीएचवी) योजना MH-2205 2205.00.102.04.54.31-			2011-12 के दौरान "सांस्कृतिक धरोहर नेतृत्व कार्यक्रम" योजना के कार्यान्वयन हे				
	Grants-in-aid General- Central Heritage Volunteers (CHV) scheme मु.शी2205	0.01	0.50	For implementation of the scher "Cultural Heritage You Leadership Programme" duri 2011-12.				
	2205.00.102.04.67.13- गुरुदेव रबिन्द्र नाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाना कार्यालय व्यय MH-2205 2205.00.102.04.67.13- Celebration of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore.			विदेशों और भारत में टैगोर प्रदर्शनी का आयो हेतु।				
	Office Expenses मु.शी2205	0.25	4.40	For organizing Tagore Exhibiti overseas and India.				
	2205.00.102.04.67.20- कार्यालय प्रशासनिक व्यय			भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों को गुरुदेव रबिन्द्र टैगोर की 150वीं जयंती मनाने संबंधी प्रकाश अन्य कार्यों के संबंध में निधियां प्रदान करः				

			e)		
1	2	3	4	5	6
		MH-2205			To provide funds to Indian
		2205.00.102.04.67.20-			Embassies/High Commissions in
		Office Administrative Expenses	0.02	2.00	connection with publications/other
					works related to Celebration of
					150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore.
		मु.शी2205			Gurude / Rabindranaur Tagore.
		2205.00.102.06.02.12-			विदेश और भारत में टैगोर प्रदर्शनी आयोजित
		नेशनल गैलरी ऑफ मॉर्डन			करने के लिए विदेश में प्रतिनियुक्तियों हेतु।
		आर्ट, नई दिल्ली			
		विदेश यात्रा भत्ता			
		MH-2205 2205.00.102.06.02.12-			
		National Gallry of Modern Art,			
		New Delhi			
		Foreign Travel Expenses	0.08	0.20	For deputation abroad for
		-			organising Tagore Exhibitions
		मु.शी2205			overseas and India.
		2205.00.798.01.00.32- अंशदान -			
		अशदान - विश्व धरोहर निधि को अंशदान			विश्व धरोहर समिति के संबंध में भारत का
		विषय वर्षात्र । ॥व वर्ग वर्षाया			अंशदान प्रदान करने हेतु।
		MH-2205			
		2205.00.798.01.00.32-			
		Contributions -			
		Contribution to World	0.00	0.46	The small of the time of the time of
		Heritage Fund	0.08	0.46	To make India's contribution towards World Heritage Committee.
		मु.शी2205			towards world Heritage Committee.
		2205.00.104.01.03.13-			
		कार्यालय व्यय -			
		भारतीय राष्ट्रीय पुरातत्व			
		MH-2205			विद्युत, टेलीफोन और जल बिलों का भुगतान
		2205.00.104.01.03.13- Office Expenses -			
		National Archives of India	2.93	0.80	For Payment of electricity,
		1,441014411,45 01 111014	2.50	0.00	telephones and water bills.
		मु.श्री2205			•
		2205.00.104.01.03.13-			जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के
		कार्यालय व्यय -			तहत कार्य कर रहे पुरातत्व सहायक/मेंडर्स/
		भारतीय राष्ट्रीय पुरातत्व			हेल्पर्स को भुगतान के संबंध में प्रतिबद्ध व्यय की
		2205.00.104.01.03.31-			पूर्ति ।
		सामान्य सहायता अनुदान			पाण्डुलिपि/दुर्लभ "पुस्तक संरक्षण हेतु वित्तीय
		Ç			सहायता" योजना के तहत स्वयंसेवी संगठनों
		MH-2205			का पंजीकरण
		2205.00.104.01.03.13-			To meet the committed expenditure
		Office Expenses- National Archives of India	3.20	2.00	towards payment to Archival
		National Archives of India	3.20	2.00	Assistant/Menders/Helpers working under various projects on critical
					area.
		2205.00.104.01.03.31-			
		Grants-in-aid General	0.20	0.50	Registration of voluntary
					organizations under the scheme
		T #0 2005			"Financial assistance to preservation
		मु.शी2205 2205.00.106.01.03.20-			of Manuscripts/Rare books".
		४=य प्रशासनिक व्यय -			
		भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)			
		· "			

	ानुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEM	(करोड़ रुपए Rup		
 2	3	4	5	6
	MH-2205			
	2205.00.106.01.03.20-			एएसआई के 150वें समारोह के संबंध में
	Other Administrative Expenses -			// ((o))
	Archaeological Survey			
	of India (ASI)	1.60	474	In connection with celebration
	of fildia (ASI)	1.00	4.74	
	T T 0005			150th year of ASI
	मु.शी2205			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	2205.00.106.02.03.28-			2011-12 के दौरान एएसआई द्वारा सीआईएर
	व्यावसायिक व्यय -			और निजी सुरक्षा आदि के अतिरिक्त विका
	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण			सुरक्षा उपायों के कारण हुए अतिरिक्त व्यर
	2205.00.106.10.00.50-			पूर्ति हेतु।
	प्रकाशन			विश्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/संग्रहालय के स्म
				के लिए विशेष रूप से तैयार कॉमन प्रवेश वि
				के मुद्रण हेतु।
	2205.00.106.10.00.50-			-
	अन्य प्रभार			एएमएएसआर अधिनियम 2010 के तहत
	MH-2205			प्राधिकारी के कार्यालयों की स्थापना के संबं
	2205.00.106.02.03.28-			
	Professional Expenses -			To meet the additional expendit
	Archaeological Survey of India	20.00	10.00	on account of security measures
	Archaeological Sulvey of India	20.00	10.00	additional development of C
	2205 00 406 04 02 46			
	2205.00.106.01.03.16- प्रकाशन			and private security guards etc
				ASI during 2011-12.
	2205.00.106.01.03.16-	6.00	2.00	E : :: 6 ::11 1 :
	Publication	6.00	2.80	For printing of specially desig
				common entry ticket
	2205.00.106.10.00.50-			monuments of world Herita
	अन्य प्रभार			National Importance/Museums
	2205.00.106.10.00.50-			
	Other Charges	1.00	0.90	Towards setting up of offices
				competent authority under AMA
	मु.शी2205			Act 2010.
	2205.00.102.04.18.31-			
	सामान्य सहायता अनुदान			2011-12 के दौरान योजना के तहत स्वैि
	सांस्कृतिक संगठन योजना			संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की वर्धित संख्य
	का विकास			अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	MH-2205			To meet the additional expendi
	2205.00.102.04.18.31-			on increased number of propo
	Grants-in-aid General -			received from volunt
	Development of Cultural			organizations under the sche
	organization scheme	4.85	2.00	during 2011-12.
	organization scheme	4.03	2.00	during 2011-12.
	मु.शी2205			
	2205.00.102.03.15.31-			
	सामान्य सहायता अनुदान			वेतन, टेलीफोन, बिजली और आकर्षि
				निवेश के भुगतान के सम्बन्ध में बार
	केन्द्रीय हिमालयन सांस्कृतिक			
	अध्ययन संस्थान			होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु।
	MH-2205			
	2205.00.102.03.15.31-			In order to meet the recurr
	Grants-in-aid General -			expenditure towards paymen
	Central Institute of Himalayan			salary, telephone, electricity
	Cultural Studies	0.00	0.70	contingencies exposes.
	T # 0005			
	मु.शी2205			
	2205.00.102.06.02.20-			सुरक्षा सेवाओं, सफाई और अनुरक्षण से
	अन्य प्रशासनिक व्यय			के आउट सोर्सिंग पर हुए व्यय की
				तथा संविदा वाले कर्मचारियों को पारिश्र
	राष्ट्रीय मॉर्डन आर्ट गैलरी			_
	MH-2205			हेतु।
				हेतु।
	MH-2205			_

	ा पुष	ानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMEN' <i>(करो</i> र		ees in Crore	
1	. 2	3	4	5	6
		मु.शी2205 2205.00.107.10.00.35- पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद - MH-2205 2205.00.107.10.00.35- Grants for creation of Capital			and also for remuneration to contratual staff, etc. हाई एण्ड उपस्करों की अधिप्राप्ति और क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कोलकाता स्थित ताराघर में मुख्य निर्माण कार्य पर हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।
		Assets - National Council of Science Museum मु.शी2205 3601.03.201.05.00.31- सामान्य सहायता अनुदान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं	0.50	4.90	To meet the additional expenditure on procurement of high end equipments and major renovation of planetarium at Regional Science Centers, Kolkata.
		जयंती समारोह MH-2205 3601.03.201.05.00.31- Grants-in-aid-General - Celebration of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore	0.00	5.00	राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करने हेतु। For providing funds to State
		Ruomerumum rugore	0.00	3.00	Governments.
3.	व्यय विभाग Department of of Expenditure	राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2052-सिचवालय सामान्य सेवाएं 00.090-सिचवालय 10-व्यय विभाग 10.01.16-प्रकाशन			पेंशन संबंधी पुस्तिकाओं, लेखापरीक्षा में मेन्युअल और पीएओ निर्देशिका मुद्रण हेतु।
		Revenue Section Major Head 2052-Secretariat General Services 00.090-Secretariat 10-Department of Expenditure 10.01.16-Publication	0.25	0.13	For printing pension related booklets and Audit Manual and PAO Directory.
		मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं 00.090-सचिवालय 10-व्यय विभाग 10.01.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			आर्थिक संपादक सम्मेलन, अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुल्क अदायगी और सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि की प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान हेतु।
		Major Head 2052-Secretariat General Services 00.090-Secretariat 10-Department of Expenditure 10.01.20-Other Administrative Expense	0.39 s	0.44	For payment of committed liabilities like Economic Editors' Conference, fees payment of mandatory training programmes and for conferences, seminars etc.
		मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं 00.090-सचिवालय 10-व्यय विभाग 10.01.26-विज्ञापन और प्रचार			2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों के मामलों, पेशनभोगियों के जीवन प्रमाणपत्र तथा पेंशनभोगियों की शिकायतों के लिए टॉलफ्री कॉलसेंटरों की स्थापना से संबंधित विज्ञापन सूचना हेतु।
		Major Head-Secretariat General Services 00.090-Secretariat 10-Department of Expenditure	0.01	3.72	For advertising information regarding pre-2006 pensioners' cases, Life Certificate of pensioners' and establishment of toll free call

	(करोड़ रुपए Ri	ipees in Cror	e)
2	3 4	5	6
	10.01.26-Advertising & Publicity		centres for pensioners grievance
	मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं		महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के नए १
	00.090-सचिवालय		में कार्य करने हेतु।
	10-व्यय विभाग		
	10.01.27-लघु निर्माण कार्य		
	Major Head 2052-Secretariat General 0.82	0.60	For carrying out work in the
	Services		ofice building of Controller Gen
	00.090-Secretariat		of Accounts (CGA).
	10-Department of Expenditure		
	10.01.27-Minor Work		
	मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं		सलाहकारों को शल्कों के भगतान, क
	00.090-सचिवालय		9 9
	10-व्यय विभाग		when one or a general general
	10.01.28-व्यावसायिक सेवाएं		
	10.01.20 વ્યાવસામિવન સવાર્		
	Major Head 2052-Secretariat 1.58	0.93	For payment of fees to consulta
	General Services		payment towards legal services
	00.090-Secretariat		award of studies
	10-Department of Expenditure		
	10.01.28-Professional Services		
	मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं		संविदा आधार पर लगाए गए डाटा
	00.090-सचिवालय		
	10-व्यय विभाग		ऑपरेटरों और आईटी स्टॉफ को भु कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की अधि
	10.99.13-सूचना प्रौद्योगिकी		
	u		तथा नई आई योजनाओं का विकास
	Major Head 2052-Secretariat General 2.95	5 54	For payment to Data Er
	Services	3.51	= :
	00.090-Secretariat		= :
	10-Department of Expenditure		_
	10.99.13-Information Technology		payment towards legal services award of studies संविदा आधार पर लगाए गए डाटा ऑपरेटरों और आईटी स्टॉफ को भु कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की अधि और मौजूदा प्रणाली को अद्यतन
	10.55.13 Information Technology		
	मुख्य शीर्ष २०७०-अन्य प्रशासनिक सामान्य		भारकारक प्रक्रिशाम कार्यका और स
	मुख्य शाष २०७०-अन्य प्रशासानक सामान्य सेवाएं		लेखा और वित्त संस्थान द्वारा आयो
	सपार 00.003-प्रशिक्षण		कार्यशाला के संबंध में शुल्कों के भुगतान
	00.003-प्रशिक्षण 08-सिविल लेखा विभाग में प्रशिक्षण केन्द्र		कायशाला क सबध म शुल्का क मुगतान
	08-1सावल लखा विमाग में प्रशिक्षण केन्द्र (आईएनजीएफ)		
	08.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		
	Major Head 2070-Other Administrative 0.00	0.03	For payment of fees for manda
	Services		training programme and tow
	00.003 - Training		workshops organized by Institut
	08 - Training Centre in Civil Accounting		Government Accounts
	Department (INGAF)		Finance(INGAF).
	08.00.20 - Other Administrative		
	Expenses		

मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सामान्य सेवाएं

बकाया भुगतानों के निपटान हेतु न्यू पेंशन

		(करोड़	रुपए Rupe	es in Crore	?)
1	2	3	4	5	6
		800-अन्य व्यय			स्कीम योजना और चालू वित्तीय वर्ष में प्राप
		35-एनएसडीएल को एनपीएस हेतु सेवा प्रभार			किए जा रहे बिलों में वृद्धि हेतु नेशनल सिक्यूरिट
		35.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			डिपोजिटरी लिमिटेड को भुगतान हेतु।
		Major Head 2070-Other Administrative 3 Services	6.00	9.00	For payment to National Securitie Depository Limited (NSDL) fo
		800 - Other Expenditure			New Pension Scheme for clearin
		35 - Service Charges to NSDL			pending payments and due t
		for NPS			increase in the number of bills bein
		35.00.20 - Other Administrative			received in the current financia
		Expenses			year.
	मांग सं. 42	राजस्व भाग			
	प्रत्यक्ष कर	मु.शी. आय और व्यय पर कर संग्रहण			
	Demand No.42	(मुख्य शीर्ष)			
	Direct Taxes	00.001-दिशा निर्देश और प्रशासन (लघु शीर्ष) 01-अन्वेषण			
		01.00.12 विदेश यात्रा व्यय			ब.अ.स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं की ग
		01.00.12			थी, जबिक अधिकारियों के स्वीकृत दौरे व्यय की पूर्ति के लिए निधियां आवश्यक र्थ
		01.00.14 किराया, दरें और कर			ब.अ.स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं की ग थी, जबिक एअर इंटेलीजेंस यूनिट के लि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किराया चुक
					के लिए निधियों की आवश्यकता थी।
		01.00.26 विज्ञापन और प्रचार			ब.अ.स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं की ग थी, तथापि, आयकर विभाग के 150 वर्ष समारोह के लिए निधियों की आवश्यकता थी
		01.00.28 व्यावसायिक सेवाएं			पुलिस विभाग को भुगतान के लिए आयव विभाग के अन्वेषण स्कन्ध द्वारा अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी। तलाशी और अभिग्रह अभियानों के दौरान उनकी सेवाओं और कोषक की सुरक्षा हेतु।
		01.00.28 अन्य प्रभार			पुरस्कार प्रस्तावों आदि के सम्बन्ध में व्यय व पूर्ति के लिए क्षेत्रीय प्रवर्तनों द्वारा और अधि निधियों की आवश्यकता थी।
		01.99.13 सूचना प्रौद्योगिकी (ओई)			ब.अ.स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं की ग थी, तथापि निधियां क्षेत्रीय प्रवर्तन द्वारा अनुमानि आईटी संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु आवंटित थ
		Revenue Section:			ς 5
		MH 2020 Collection of Taxes on Income & Expenditure (Major Head) 00.001 Direction and Administration			
		(Minor Head)			
		01 Investigation			
		01.00.12 Foreign Travel Expenses	0	0.03	No funds were allotted at BE stag whereas funds were required to meet the expenses of sanctione tours of officials.
		01.00.14 Rent, Rates & Taxes	0	0.50	No funds were allotted at BE stag whereas funds were required to pa rent to Airport Authority of Ind for Air Intelligence Unit.

1	2	3	रोड़ रुपए Rup 4	5	6
*		01.00.26 Advertising			0
		and Publicity	0	0.025	No funds were allotted at BE stage however, funds were required fo celebration of 150 years of Incom Tax Department.
		01.00.28 Professional Services	0.20	0.185	Additional funds were required be Investiongation Wing of Income Tax Department to make the payment to Police Deptt. For their services during Search and Seizur operations and security of Strom Room.
		01.00.50 Other Charges	0.15	0.10	More funds were required by th field formations to meet th expenditure towards reward proposals etc.
		01 99.13 Information			
		Technology (O.E)	0	0.82	No funds were allotted at the Bl stage. However, funds were allotted to meet I.T related expenditure projected by field formantion.
		02 अनुसंधान सांख्यिकी और प्रकाशन			निधियां चुनावों संबंधी यात्रा व्यय की पूर्ति व
		02. घरेलू यात्रा व्यय			लिए आवश्यक है।
		02.00.12 विदेशी यात्रा व्यय 02.00.26 विज्ञापन और प्रचार			ब.अ. स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं व गयी जबिक अधिकारियों के स्वीकृत दौरों वे व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित थीं। आयकर विभाग के वार्षिक प्रचार कार्यक्रम हे अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता थी।
		02 Research Statistics			
		and Publication			
		02. Domestic Travel Expenses	0.14	0.045	Funds are required to meet the travelling expenses related to elections.
		02.00.12 Foreign Travel Expenses	0	0.008	No funds were allotted at BE stag whereas, funds were required to meet the expenses of sanctioned tours of officials.
		02.00.26 Advertising and Publicity	78	20	Additional funds are requred fo annual publicity programme o Income Tax Department.
		03 संगठन और प्रबंधन सेवाएं			
		03.00.03 समयोपरि भत्ता			यह वृद्धि वाहन चालकों और अन्य सम्बद्ध स्टाप् द्वारा किए गए समयोपरि कार्य के संबंध भुगतान की पूर्ति हेतु है।
		03.00.06 चिकित्सीय इलाज़			यह वृद्धि बकाया चिकित्सीय बिलों के निपटा हेतु है।
		103.00.11 घरेलू यात्रा व्यय			राज्यों में चुनावों से संबंधित यात्रा व्यय क पूर्ति हेतु अधिक निधियों की आवश्यकता है
		03.00.12 विदेशी यात्रा व्यय			ब.अ.स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं की गई र्थ जविक अधिकारियों के स्वीकृत दौरा कार्यक्रम

		(व	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)						
1	2	3	4	5	6				
					की पूर्ति हेतु ये निधियां अपेक्षित थीं।				
		03.00.13 कार्यालय व्यय			यह वृद्धि प्रचालन वाहन किराए पर लेने, डाक टिकट आदि के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु है।				
		03.00.20 अन्य प्रशासनिक व्यय			यह वृद्धि आईआरएस अधिकारियों के उन्नत मध्य करियर प्रशिक्षण के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु है।				
		03.00.26 विज्ञापन और प्रचार			यह वृद्धि के 150 वर्ष के समारोह के व्यय की पूर्ति के लिए है।				
		03.00.281 व्यावसायिक सेवाएं			यह वृद्धि व्यावसायिकों तता वकीलों के बकाया बिलों के भुगतान की पूर्ति हेतु है।				
		01.99.13 सूचना प्रौद्योगिकी (ओई)			ओ.ई. (आईटी) के तहत निधियां आयुक्तों और उनके कार्यालयों में थीं। अब निधियों का उचित प्रदर्शन हो गया है।				
		03 Organisation and							
		Management Services 03 00.03 Overtime Allowance	0.003	0.002	The Increase is to meet the payment towards Overtime Work done by Drivers and Other related Staff.				
		03.00.06 Medical Treatment	0.086	0.114	The increase is to clear pending medical bills.				
		103.00.11 Domestic							
		Travel Expenses	0.635	0.385	More funds are required to meet the travelling expenses related to elections in the states.				
		03.00.12 Foreign Travel Expenses	0	0.24	No funds were allotted at BE stage whereas, funds were required to meet the expenses of sanctioned tours of officials.				
		03.00.13 Office Expenses	2.50	5.10	The increase is to meet the expenditure towards hiring operational vehicles, postage stamps etc.				
		03.00.20 Other Administrative							
		Expenses	0.06	8.37	The increase is to meet the expenditure towards advance Mid Career Training of IRS Officers.				
		03.00.26 Advertising and Publicity	0.015	0.10	The increase is to meet the celebration of 150 years of the Department.				
		03.00.281 Professional Services	0.03	0.12	The increase is to meet the payment of pending bills of professionals and lawyers fees etc.				

	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)						
1	2	3	4	5	6		

04-निरीक्षण			यह वृद्धि बकाया चिकित्सीय बिलों के निपटान
07.00.06-चिकित्सीय इलाज			हेतु है।
07.99.13-कार्यालय व्यय			यह वृद्धि प्रचालन वाहन किराए पर लेने, पोस्टेज स्टाम्प के लिए व्यय कू पूर्ति हेतु है। यह वृद्धि फील्ड वेतन यूनिट के लम्बित बिलों के भुगतान की पूर्ति हेतु है।
04.00.20 अन्य प्रशासनिक व्यय			यह वृद्धि कम्प्यूटर आदि तथा ओई (एलटी) के तहत सम्बद्ध मदों की खरीद हेतु व्यय की पूर्ति के लिए है।
07.99.13-सूचना और प्रौद्योगिकी (ओ.ई.)			यह वृद्धि कम्प्यूटर आदि तथा ओई (आईटी) के तहत सम्बद्ध मदों की खरीद हेतु व्यय की पूर्ति के लिए है।
04 Inspection 04.00.06 Medical Treatment	0.035	0.065	The increase is to clear pending medical bills.
04.00.13 Office Expenses	0.60	0.41	The increase is to meet the expenditure towards hiring operational vehicles, postage stamps. The increase is to meet the payment of pending bills of field pay unit.
04.00.20 Other Administrative			
Expenses	0.01	0.007	The increase is to meet the expenditure towards purchase of Computers etc. and related items under O.E (I.T.)
04.99.13 Information			
Technology (O.E)	0	0.031	The increase is to meet the expenditure towards purchase of Computers etc. and related items under O. E (I.T.)
07-आसूचना 07.00.06-चिकित्सीय इलाज			यह वृद्धि बकाया चिकित्सीय बिलों के निपटान हेतु है।
07.99.13-सूचना और प्रौद्योगिकी (ओ.ई.)			यह वृद्धि कम्प्यूटर आदि तथा ओई (आईटी) के तहत सम्बद्ध मदों की खरीद हेतु व्यय की पूर्ति के लिए है।
07 Intelligence			
07.00.06 Medical Treatment	0.60	0.15	The increase is to clear pending medical bills.
07.99.13 Information			
Technology (O.E)	0	0.50	The increase is to meet the expenditure towards purchase of Computers etc. and related items under O. E (I.T.)

		(करोड़ रुपए Rupe		<u>′</u>	
2	3	4	5	6	
	०० ४०४ एथान गंगाना शामकन (स्ट्रा की	 14			
	00.101-प्रभार संग्रहण-आयकर (लघु शी	14)			
	01-आयुक्त और उनके कार्यालय				
	01.01.11-घरेलू यात्रा व्यय			यह वृद्धि राज्यों में चुनावी ड्यूटी के सम्बन	
				में व्यय की पूर्ति हेतु है।	
	०१.०१.१२-विदेशी यात्रा व्यय			यह वृद्धि स्वीकृत विदेशी यात्राओं पर व्य	
				की पूर्ति हेतु है।	
	01.01.28-व्यावसायिक सेवाएं			यह वृद्धि व्यावसायिक और वकीलों व	
				शुल्क आदि के लम्बित बिलों के भुगता	
				की पूर्ति हेतु है।	
	01.01.41-गुप्त सेवा व्यय			कर अपवंचकों तथा तलाशी और अभिग्रह	
	01.01.41-नुया सर्वा व्यव				
				मामलों से संबंधित सूचना खरीदने के लि	
				क्षेत्रीय प्रवर्तनों को अधिक निधियों व	
	00.101 Collection Charges-			आवश्यकता है।	
	Income Tax(Minor Head)				
	01 Commissioners and				
	their Offices				
	01.01.11 Domestic				
	Travel Expenses	31.72	9.35	The increase is to meet th	
	Traver Expenses	31.72	7.55	expenditure towards election dut	
	04.04.42.5			in the states.	
	01.01.12 Foreign Travel				
	Expenses	1.05	0.72	The increase is to meet th	
				expenditure on sanctioned foreig	
				tours.	
	01.01.28 Professional Services	21.80	5.43	The increase is to meet the paymer	
				of pending bills of professional	
	01.01.41 Secret Service			and lawyers fee etc.	
	Expenditure	0.50	3.60	More funds are needed by fiel	
	Expeliciture	0.50	3.00	-	
				formations for purchase of	
				information pertaining to tax	
				evaders and search and seizur	
				cases	
	02- आयकर और संपत्ति कर मामले नि	पटान			
	आयोग				
	02.00.03-समयोपरिभत्ता			यह वृद्धि वाहन चालकों और अन्य सम्ब	
				स्टाफ द्वारा किए गए समयोपरि कार्य वे	
				संबंध में भुगतान की पूर्ति हेतु है।	
	02.00.06-चिकित्सा इलाज			यह वृद्धि बकाया चिकित्सीय बिलों के निपटा	
	02.00.00 File VIII QUIV			हेतु है।	
	02.00.13-कार्यालय व्यय			रुपु है। यह वृद्धि प्रचालन वाहन किराए करने, डाव	
	02.00.13-4મવાલવ વ્યવ			C	
				टिकट आदि संबंध में व्यय की पूर्ति हे	
				है।	
	02.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			यह वृद्धि क्षेत्रीय भुगतान इकाई के बकार	
				बिलों के भुगतान की पूर्ति हेतु है।	
	02.00.27-लघु कार्य			रखरखाव और लघु मरम्मत के संबंध	
	Ŭ			क्षेत्रीय प्रवर्तनों को अधिक निधियों व	
				आवश्यकता है।	
	02.99.13-सूचना प्रौद्योगिकी (ओ.ई.)			यह वृद्धि ओ.ई.(आई.टी.) के तहत कम्प्यूट	
	02.00.10 \(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}{1} \) \(\frac{1}{1} \) \(\frac{1}{2}			आदि और सम्बद्ध वस्तुओं की खरीद व	
				संबंध में व्यय की पूर्ति है।	

	(9-	ज्रोड़ रुपए Rup	ces in crore	~/
2	3	4	5	6
	02 Settlement Commission			
	for Income Tax and Wealth			
	Tax Cases			
	02.00.03 Overtime Allowance	0.008	0.01	The Increase is to meet the paym
				towards Overtime Work done
				Drivers and Other related Staff.
	02.00.06 Medical Treatment	0.074	0.103	The increase is to clear pend
				medicals bills.
	02.00.13 Office Expenses	1.70	0.69	The increase is to meet the expendit
				towards hiring operational vehic
	02.00 20 Other Administrative			postage stamps etc.
	Expenses	0.006	0.015	The increase is to meet the paym
				of pending bills of field pay uni
	02.00.27 Minor Works	0.10	0.10	More funds are required by fi
				formations towards maintenan
	02.99.13 Information			and minor repairs.
	Technology (O. E)	0	0.01	The increase is to meet
				expenditure towards purcahse
				Computers etc. and related item
	04-प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का आंचलिव	त		under O.E (I.T.)
	लेखा कार्यालय			
	०४.९९.१३-सूचना प्रौद्योगिकी (ओ.ई.)			यह वृद्धि ओ.ई.(आई.टी.) के तहत कम्प्र
				आदि और सम्बद्ध वस्तुओं की खरीद
	04 Zonal Accounts Office of			संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु है।
	Principal Chief Controller of Acco	unts		
	04.99.13 Information			
	Technology (O.E.)	0	3.00	The increase is to meet
				expenditure towards purchase
				Computers etc. and related item
	02-अग्रिम निर्णय प्राधिकरण			under O.E (I.T.)
	02.00.06-चिकित्सा इलाज			यह वृद्धि बकाया चिकित्सीय बिलों के निप
				हेतु है।
	02.00.11-घरेलू यात्रा व्यय			यह वृद्धि अधिकारियों और कर्मचारिये
	मु.शी. ४०७५-विविध पर			यात्राओं के संबंध में व्यय की पूर्ति हेत्
	पूंजी परिव्यय			
	00.204 सामान्य सेवाएं			
	(मुख्य शीर्ष)			
	00.204-आयकर अधिनियम 1961 के			
	अध्याय xx-ग के तहत अचल सम्पत्ति			
	अधिग्रहण			क्षेत्रीय प्रवर्तनों को अधिक निधियों
				आवश्यकता है।
	00.00.53-मुख्य निर्माण कार्य			
	02 Authority for Advance			
	Rulings			
	02 00.06 Medical Treatment	0.02	0.005	The increase is to clear pend
				medical bills.
	02.00.11 Domstic Travel Expenses	0.04	0.03	The increase is to meet
	Capital Section			expenditure towards tours a
	MH 4075 Capital Outlay on			travels of Officers and staff.
	Miscellaneous			
	00.204 General Services			
	(Major Head)			
	00.204 Acquisition of immovable			
	Properties under Chapter XX-C			
	of Income Tax Act, 1961			More funds are required by fi
	00.00.53 Major Works	1.00	0.70	formations.

वेत्तीय सहायत f financia स्पताल खर्च मे liture or the CGHS
f financia स्पताल खर्च गे liture on the CGHS र्मालय व्यय औ ते पर वर्धित व्यय
f financia स्पताल खर्च गे liture on the CGHS र्मालय व्यय औ ते पर वर्धित व्यय
स्पताल खर्च में liture or the CGHS र्पालय व्यय औ ते पर वर्धित व्यय
स्पताल खर्च में liture or the CGHS र्पालय व्यय औ ते पर वर्धित व्यय
liture oi the CGHS र्पालय व्यय औ ते पर वर्धित व्यय
liture oi the CGHS र्पालय व्यय औ ते पर वर्धित व्यय
the CGHS र्पालय व्यय औ ते पर वर्धित व्यय
the CGHS र्पालय व्यय औ ते पर वर्धित व्यय
र्पालय व्यय औ ते पर वर्धित व्यय
ते पर वर्धित व्यय
ते पर वर्धित व्यय
C - 1
on Salaries
it, Office
irement o
ता/सुरक्षा सेवाप
य की अधिप्राप्ति
on Salaries
sanitation
procuremen
nd othe
र सामग्री तथ
त व्यय।
e on Office
Aaterials and
कार्यालय व्यय
ार्माण कार्यों प
on Salaries
nd,Office
Aaterials and
णि कार्य औ
वर्धित व्यय।
e on Office
works and nents.
डिया अभिया
e on Media
VP.

121 अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS						
J	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
1 2	3 4	5	6			
	2210.06.101.08- राष्ट्रीय वेक्टर जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (आयोजना-भिन् 2210.06.101.08 - National Vector 359.1 Borne Disease Control (Non-Plan Programme	5 32.07	डीडीटी वॉटर डिसपर्सिबल पॉवडर के दरों में संशोधन होने के कारण लागत में आए अन्तर की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है। Additional funds are required to meet the differential cost towards revision in rates of DDT Water Dispersible Powder.			
	2210.06.101.30- राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम (आयोजना-भिन् 2210.06.101.30 - National T.B. 85.0 Control Programme (Non-Plan	0 15.00	यह प्रावधान ड्रग्स की अधिप्राप्ति के लिए किया गया है। The provision has been kept for Programme procurement of drugs.			
	2210.06.800.26.01.35- ट्रामा सेन्टर की क्षमता निर्माण हेतु सहायता (आयोजन 2210.06.800.26.01.35 - Assistance 1.0 for Capacity Building for Trauma (Plan Centres	0 29.00	राज्यों में ट्रामा सेन्टरों की पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय। Additional expenditure for Grants for creation of capital assets for Trauma Centres in the States.			
	2210.06.800.30.01.35- जिला अस्पताल (राज्य सरकार चिकित्सा महाविद्यालय) का उन्नयन (आयोजन 2210.06.800.30.01.35 - District Hospitals (Upgradation of State Government Medical Colleges)	30.81	राज्य सरकार चिकित्सा महाविद्यालय उन्नयन राज्य हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय। Additional expenditure for Grants for creation of capital assets for upgradation of State Government Medical Colleges.			
	2210.06.800.31.03.35- स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन (नर्सिंग सेवा उन्नयन/ सशक्तिकरण (आयोजन 2210.06.800.31.03.35-Human 20.0 Resources for Health (Upgradation/ (Plan Strengthening of Nursing Services)	56.00	नर्सिंग सेवा उन्नयन हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय। Additional expenditure for Grants for creation of capital assets for upgradation of Nursing Services.			
	2211.00.109.10- पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (आयोजन 2211.00.109.10-Pulse Polio 212.3 Immunization Programme (Plan	4 8.81	अतिरिक्त एसएनआईडी (उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस) राउण्ड जिनकी पहले आशा नहीं थी, पर व्यय की पूर्ति। To meet expenditure on additional SNID(Sub-National Immunization Day) rounds which were not anticipated earlier.			
	2211.00.796.02- पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (आयोजन 2211.00.796.02-Pulse Polio 25.0 Immunization Programme (Plan	7.19	आतिरिक्त एसएनआईडी राउण्ड जिनकी पहले आशा नहीं थी, पर व्यय की पूर्ति। To meet expenditure on additional SNID rounds not anticipated earlier.			

्करोड़ रुपए Ruped			ees in Crore	e) 	
	2	3	4	5	6
		2552.00.285.01- डिसपेंसरियों)	(}
		अस्पतालों की स्थापना	(आयोजना)	2.22	वेतन, चिकित्सा उपचार और आपूर्ति सामग्री की अधिप्राप्ति पर वर्धित व्यय।
		2552.00.285.01-Setting up of	6.00	2.23	Increased expenditure on Salarie
		Dispensaries/ Hospitals	(Plan)		MedicalTreatment and procureme
					of Supplies & Materials.
		3601.04.245.01- उप-केन्द्र	(आयोजना)		or supplies & Materials.
		3001.04.243.01 04 47 8	(011410111)		वेतन भुगतान के लिए राज्यों से प्राप्त म
		3601.04.245.01-Sub-Centres	2295.14	203.75	अधिक होने के कारण।
			(Plan)		Due to more demand from States to
					payment of salary.
		3601.04.246.03- पल्स पोलियो			
		टीकाकरण नियंत्रण कार्यक्रम	(आयोजना)		आतिरिक्त एसएनआईडी राउण्ड जिन
		3601.04.246.03 - Pulse Polio	272.42	76.30	पहले आशा नहीं थी, पर व्यय की पूर्ति
		Immunization Control Programme	e (Plan)		To meet expenditure on addition
					SNID rounds not anticipated earli
		3601.04.263.03- राष्ट्रीय वेक्टर जनित			, , , , , ,
		रोग नियंत्रण कार्यक्रम-ग्रामीण(जीसी)	(आयोजना)		लार्वासाइड्स मदों के विकेन्द्रीयकरण
		3601.04.263.03 - National Vector	73.00	6.00	कारण, प्रावधान नगद अनुदान में प्रस्तावित Due to decentralisation
		Borne Disease Control	(Plan)		Larvacides items, the provision h
		Programme - Rural (GC)			been proposed in cash grants.
					been proposed in easi grains.
		3601.04.263.05- कालाजार			
		नियंत्रण कार्यक्रम	(आयोजना)		डीडीटी वॉटर डिसपर्सिबल पॉवडर के
					में संशोधन होने के कारण लागत में 3
					अन्तर की पूर्ति करने के लिए अतिरि
		3601.04.263.05-Kala-Azar	19.63	22.37	निधियों की आवश्यकता है।
		Control Programme	(Plan)		Additional funds are required
					meet the differential cost towar
					revision in rates of DDT War
		3601.04.789.07.05- पल्सपोलियो			Dispersible Powder.
		3601.04.789.07.05- पल्सपालया टीकाकरण नियंत्रण कार्यक्रम-ईएसी	(आयोजना)		अतिरिक्त एसएनआईडी राउण्ड जिन
		3601.04.789.07.05 - Pulse Polio	(आयाजना)	15.20	पहले आशा नहीं थी, पर व्यय की पूर्ति
		Immunization Programme - EAC	(Plan)	13.20	To meet expenditure on addition
		Immunization Programme - Exte	(Tiuil)		SNID rounds not anticipated earli
		3601.04.796.06.05- पल्सपोलियो			
		टीकाकरण नियंत्रण कार्यक्रम-ईएसी	(आयोजना)		अतिरिक्त एसएनआईडी राउण्ड जिन
		3601.04.796.06.05-Pulse Polio	32.90	8.50	पहले आशा नहीं थी, पर व्यय की पूर्ति
		Immunization Control	(Plan)		To meet expenditure on addition
		Program - EAC			SNID rounds not anticipated earli

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1	2	3	4	5	6	
6.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपेथी विभाग (आयुष)	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपेथी विभाग			(i) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयुष विभाग को आवंटित नए भवन को सुसज्जित करने हेतु। (ii) किराया दर वृद्धि के कारण	
	Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	2251.00.090.15-Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy	11.50	6.79	 (i) For furnishing new building allotted to Deptt. of AYUSH by Ministry of Urban Developent. (ii) Due to increase of rate of rent. 	
		सूचना, शिक्षा और संचार			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेत्	
		2210.02.001.05-Information, Education & Communication	13.50	0.50	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.	
		आयुष के प्रयोग और स्वीकार्यता पर सर्वे 2210.02.200.10-Survey on usage and acceptability of AYUSH	0.50	0.50	आयुष के प्रयोग और स्वीकार्यता पर एनएसएसओ द्वारा सर्वे करने हेतु For conducting survey by NSSO on usages and acceptability of AYUSH.	
		राष्ट्रीय औषध पौध बोर्ड			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु	
		2210.02.200.13-National Medicinal Plant Board	46.20	6.00	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.	
		आयुष उद्योग को बाजार अवसर सृजन और विकास के लिए मेलों में भागीदारी/बाजार अध्ययन			प्राप्त प्रस्तावों की संख्या अधिक होने के कारण	
		आयोजन के लिए प्रोत्साहन 2210.02.200.19-Incentive to AYUSH Industry for participation in fairs/conduting market study for creating & developing	0.35	0.10	Due to higher number of proposals received.	
		market opportunity राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु For expenditure on schemes benefiting	
		2210.02.200.29-National Mission on Medicinal Plants	44.34	8.00	North Eastern Region.	
		आयुष अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का विकास तथा आयुष को मुख्य धारा में लाना			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.	
		2210.02.200.30-Development of AYUSH Hospitals & Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH	228.00	40.10		

	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1 2	3	4	5	6	
				पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर	
	केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान			व्यय हेतु	
	अनुसंधान परिषद				
	2210.05.101.04-Central	38.00	2.00	For expenditure on schemes benefiting	
	Council for Research in			North Eastern Region.	
	Ayurvedic Sciences				
	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु	
	2210.05.102.02-Central	25.00	3.00	For expenditure on schemes benefiting	
	Council for Research in			North Eastern Region.	
	Homoeopathy				
	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर	
	2210.05.102.02.5	22.00	0.75	व्यय हेतु	
	2210.05.103.03-Central	22.00	0.75	For expenditure on schemes benefiting	
	Council for Research in Unani Medicine			North Eastern Region.	
	Onam Medicine				
	पूर्वोत्तर लोक औषध संस्थान, पासीघाट			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु	
	2210.05.200.08-North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat	0.00	8.00	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.	
	पूर्वोत्तर आयुर्वेद व होम्योपैथी संस्थान, शिलांग			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु	
	2210.05.200.13-North Eastern	0.00	19.00	For expenditure on schemes benefiting	
	Institute of Ayurveda &	0.00	17.00	North Eastern Region.	
	Homoegopathy, Shillong			Tvorui Zusterii reegioni	
	केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु	
	2210.05.200.01-Central Council	17.00	0.90	For expenditure on schemes benefiting	
	for Research in Yoga &			North Eastern Region.	
	Naturopathy			S	
एड्स नियंत्रण विभाग	यूएनडीपी से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत अनुदान			योजना के उनके निधियन को जारी रखने के लिए यूएनडीपी के साथ समझौते की बढ़ी हुई अवधि के कारण प्रावधान बढ़ाना पड़ा।	
Department of AIDS Control	2210.06.101.33.14.31 Grants under UNDP Assisted Projects	1.00	4.54	Provision had to be increased due to Extended term of Agreement with UNDP for continuing their funding for scheme.	

(करोड़ रुपए Rupees in Crore))
1	2	3	4	5	6
8.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	2202.04.200.14 वयस्क शिक्षा तथा दक्षता विकास योजना 14.00.28 व्यावसायिक सेवाएं	आयोजना		साक्षर भारत हेतु वेब आधारित पोर्टल तथा प्रबन्ध सूचना प्रणाली के विकास हेतु भुगतान।
		2202.04.001.01 वयस्क शिक्षा निदेशालय 01.00.20 अन्य प्रशासनिक व्यय	आयोजना		अन्तरराष्ट्रीय साक्षर दिवस समारोह, अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रशिक्षणों पर व्यय, मूल्यांकनकर्ता एजेंसियों को भुगतान के संबंध में अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।
	Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy	2202.04.200-14 Adult Education & Skill Development Scheme 14.00.28 Professional Services	0.10 Plan	2.20	Payment for development of Webbased Portal and Management Informartion System (MIS) for Saakshar Bharat.
		2202.04.001.01 Directorate of Adult Education 01.00.20 Other Administrative Expenses	1.14 Plan	2.26	Additionality is required in connection with International Literacy Day celebration, International Conference and expenditure on trainings, payment to evaluating agencies.
9.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	4225.01.789.02 राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त विकास निगम 02.00.54 निवेश			पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभग्राहियों हेतु वित्त निगमों को इक्विटी उपलब्ध कराने हेतु।
	Ministry of Social Justice and Empowerment	2 4225.01.789.02-National Finance Development Corporation for Weaker Section 02.00.54-Investment	129.00	8.00	For providing equity to the Finance Corporations for beneficiaries of NE Region and Sikkim.
	-तदैव -	2251.00.090.02 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 02.10.06 चिकित्सा उपचार			अधिक चिकित्सा दावों की प्राप्ति के कारण
	-do -	2251.00.090.02 Ministry of Social Justice and Empowerment 02.01.06 - Medical Treatment	0.17	0.07	Due to receipt of more medical claims.
	-तदैव -	3601.04.789.17.01 मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति 17.01.31 सामान्य सहायता अनुदान			पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में स्थित राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी करने हेतु।
	- do -	3601.04.789.17.01-Post Matric Scholarship 17.01.31 - Grants-in-aid-General	2171.00	18.52	For releasing Grants-in-aid to the State Governments located in NE Region and Sikkim.
	-तदैव -	3601.04.377.03 मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति योजना 03.00.31 सामान्य सहायता अनुदान			-तदेव -
	- do -	3601.04.377.03-Post Matric Scholarship Scheme 03.00.31-Grants-in-aid - General	479.00	7.43	- do -

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
1	2	3	4	5	6
	-तदेव -	2225.80.001.07 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 07.00.13 कार्यालय व्यय			कार्यालय परिसरों के कमरों तथा अध्यक्ष और सदस्यों के आवास के नवीयन पर वांछित व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता तथा सदस्यों द्वार की जाने वाली यात्राओं के लिए टैक्सी किराए पर लेना।
	- do -	2225.80.001.07-National Commission for Safai Karamcharis 07.00.13 - Office Expenses	0.45	0.15	Due to additional requirement on expenditure requires for renovation of rooms of Office premises and residence of Chairperson and Members and hiring of taxies on account of visits by Members.
10.	गृह मंत्रालय (विधान सभा रहित				
	(विधान सभा राहत संघ राज्य क्षेत्र)				
	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह Ministry of Home Affairs (UT without Legislature) Andaman and Nicobar Islands				
	स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	मु.शी. 2202 सामान्य शिक्षा 01.101 सरकारी प्राइमरी स्कूल 02. प्राइमरी शिक्षा			वेतन तथा अन्य संस्थापना संबंधी व्यय पर
	Department of School Education and Literacy	MH 2202- General Education 01.101 Government Primary Schools			अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
		02. Primary Education	144.73	11.14	To meet the additional expenditure on Salaries and other establishment related expenditure.
	उच्च शिक्षा विभाग	मु.शी. 2202- सामान्य शिक्षा 02.109 सरकारी संकेण्डरी स्कूल			
		03 सेकेण्डरी स्कूल			वेतन तथा अन्य संस्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	Department of Higher Education	MH 2202- General Educaton 02.109 Government Secondary Schools			
		03 Secondary Schools	80.97	9.30	To meet the additional expenditure on Salaries and other establishment related expenditure.
	सड़क परिवहन तथा	मु.शी. 3055- सड़क परिवहन			
	राजमार्ग मंत्रालय	00.104 सरकारी परिवहन सेवाएँ 02. प्रचालन			कलपूर्जों तथा पीओएल आदि की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	Ministry of Road Transport and Highways	MH-3055- Road Transport 90.104 Govt Transport Services	20.05	6.07	
	पोत परिवहन मंत्रालय	02. Operation	29.05	6.87	To meet the additional expenditure on procurement of spares, POL,
	नात पारपहन मत्रालय	मु.शी. 3052 पोत परिवहन 02.103 पोत परिवहन सेवाएं 02. मेनलैंड के प्रचालनात्मक प्रभार - द्वीप यान 04. अन्तर द्वीप जल यानों के			etc.

प्रचालनात्मक प्रभार

3	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
1 2	3	4	5	6
Ministry of Shipping	MH-3052 Shipping 02.103 Shipping Services 02. Operational charges of Mainland - Island Vessels	41.20	10.00	मेनलैंड - द्वीप जल यानों के रख-रखाव पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the additional expenditure on maintenance of Mainland-Island vessels.
				अन्तर द्वीप जल यानों के रख-रखाव और नए जल यानों के प्रारम्भ करने पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	04. Operational charges of Inter-Island Vessels	70.80	25.00	To meet the additional expenditure on maintenance of Inter-Island vessels and due to induction of new vessels.
शहरी विकास मंत्रालय	मु.शी. 4055- पुलिस पर पूंजी परिव्यय 00.208. विशेष पुलिस 208.05. भारतीय रिजर्व बटालियन			भारतीय रिजर्व बटालियन हेतु सिविल कार्यों के निर्माण में हुई तीव्र प्रगति के कारण।
Ministry of Urban Development	MH-4055- Capital Outlay on Police 00.208. Special Police 208.05. India Reserve Battalion	2.00	6.00	Due to accelerated progress in construction of Civil Works for India Reserve Battalion.
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	मु.शी. 5225- दूरसंचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 209 - ऑप्टिकल फाइबर केबल मुख्य निर्माण कार्य			मेनलैंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्र के नीचे आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
Ministry of Communications and Information Techonology	MH- 5225 - Capital Outlay on Telecommunication Services 209 - Optical Fibre Cable Systen Major Works	0.01	23.99	To meet the additional expenditure on laying of under sea Optical fibre cable between Mainland and Andaman and Nicobar Islands.